



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941 (शक)
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 9th August, 2019/Shravana 18, 1941 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 9th August, 2019, and is hereby published for general information:—

THE JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION ACT, 2019

No. 34 OF 2019

[9th August, 2019.]

An Act to provide for the reorganisation of the existing State of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

PART-I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Short title.
Definitions.

(a) “appointed day” means the day which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

(b) “article” means an article of the Constitution;

(c) “assembly constituency” and “parliamentary constituency” have the same meanings as in the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);

(d) “Election Commission” means the Election Commission appointed by the President under article 324;

(e) “existing State of Jammu and Kashmir” means the State of Jammu and Kashmir as existing immediately before the appointed day, comprising the territory which

immediately before the commencement of the Constitution of India in the Indian State of Jammu and Kashmir;

(f) "law" includes any enactment, ordinance, regulation, order, bye-law, rule, scheme, notification or other instrument having, immediately before the appointed day, the force of law in the whole or in any part of the existing State of Jammu and Kashmir;

(g) "Legislative Assembly" means Legislative Assembly of Union territory of Jammu and Kashmir;

(h) "Lieutenant Governor" means the Administrator of the Union territory appointed by the President under article 239;

(i) "notified order" means an order published in the Official Gazette;

(j) "population ratio", in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir, and Union territory of Ladakh means the ratio as per 2011 Census;

(k) "Scheduled Castes" in relation to the Union territory means such castes, races or tribes or parts of groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes in relation to that Union territory;

(l) "Scheduled Tribes" in relation to the Union territory means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes in relation to that Union territory;

(m) "sitting member", in relation to either House of Parliament or of the Legislature of the existing State of Jammu and Kashmir, means a person who immediately before the appointed day, is a member of that House;

(n) "Union territory", in relation to the existing State of Jammu and Kashmir, means the Union territory of Jammu and Kashmir or Union territory of Ladakh, as the case may be;

(o) "transferred territory" means the territory which on the appointed day is transferred from the existing State of Jammu and Kashmir to Union territories formed under sections 3 and 4 of this Act; and

(p) any reference to a district, tehsil or other territorial division of the existing State of Jammu and Kashmir shall be construed as a reference to the area comprised within that territorial division on the appointed day.

PART II

REORGANISATION OF THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR

Formation of Union territory of Ladakh without Legislature.

3. On and from the appointed day, there shall be formed a new Union territory to be known as the Union territory of Ladakh comprising the following territories of the existing State of Jammu and Kashmir, namely:—

"Kargil and Leh districts",

and thereupon the said territories shall cease to form part of the existing State of Jammu and Kashmir.

Formation of Union territory of Jammu and Kashmir with Legislature.

4. On and from the appointed day, there shall be formed a new Union territory to be known as the Union territory of Jammu and Kashmir comprising the territories of the existing State of Jammu and Kashmir other than those specified in section 3.

Governor of existing State of Jammu and Kashmir to be common Lieutenant Governor.

5. On and from the appointed day, the Governor of the existing State of Jammu and Kashmir shall be the Lieutenant Governor for the Union territory of Jammu and Kashmir, and Union territory of Ladakh for such period as may be determined by the President.

6. On and from the appointed day, in the First Schedule to the Constitution, under the heading—"I. THE STATES",—

Amendment
of First
Schedule to
the
Constitution.

(a) entry 15 shall be deleted.

(b) entries from 16 to 29 shall be renumbered as 15 to 28.

(c) under the heading—"II. UNION TERRITORIES",—

after entry 7, the following entries shall be inserted, namely:—

"8. Jammu and Kashmir: The territories specified in section 4 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019".

"9. Ladakh: The territories specified in section 3 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019".

7. Nothing in the foregoing provisions of this Part shall be deemed to affect the power of the Government of successor Union territory of Jammu and Kashmir to alter, after the appointed day, the name, area or boundaries of any district or other territorial division in that Union territory.

Saving powers
of the
Government
of Union
territory of
Jammu and
Kashmir.

PART III

REPRESENTATION IN THE LEGISLATURES

The Council of States

8. On and from the appointed day, in the Fourth Schedule to the Constitution, in the Table,—

Amendment
of Fourth
Schedule to
Constitution

(a) entry 21 shall be deleted;

(b) entries 22 to 31 shall be renumbered as entries 21 to 30, respectively;

(c) after entry 30, the following entry shall be inserted, namely:—

"31. Jammu and Kashmir4"

9. (1) On and from the appointed day, four sitting members of the Council of States representing the existing State of Jammu and Kashmir shall be deemed to have been elected to fill the seats allotted to the Union territory of Jammu and Kashmir, as specified in the First Schedule to this Act.

Allocation of
sitting
members.

(2) The term of office of such sitting members shall remain unaltered.

The House of the People

43 of 1950.

10. On and from the appointed day, there shall be allocated five seats to the successor Union territory of Jammu and Kashmir and one seat to Union territory of Ladakh, in the House of the People, and the First Schedule to the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) shall be deemed to be amended accordingly.

Representation
in House of
the People.

Delimitation
of
Parliamentary
Constituencies
Order 1976.

11. (1) On and from the appointed day, the Delimitation of Parliamentary Constituencies Order, 1976 shall stand amended as directed in the Second Schedule of this Act.

Delimitation
of
Parliamentary
Constituencies.

(2) The Election Commission may conduct the elections to the House of the People for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh as per the allocation of seats specified in the Delimitation of Parliamentary Constituencies Order, 1976 as amended by this Act.

12. (1) Every sitting member of the House of the People representing a constituency which, on the appointed day by virtue of the provisions of section 10, stands allotted, with or without alteration of boundaries, to the successor Union territory of Jammu and Kashmir or Union territory of Ladakh, as the case may be, shall be deemed to have been elected to the House of the People by that constituency as so allotted.

Provision as
to sitting
members.

(2) The term of office of such sitting members shall remain unaltered.

*The Lieutenant Governor and The Legislative Assembly of Union territory of
Jammu and Kashmir*

Applicability
of article
239A of
Constitution.

13. On and from the appointed day, the provisions contained in article 239A, which are applicable to "Union territory of Puducherry", shall also apply to the "Union territory of Jammu and Kashmir".

Legislative
Assembly for
the Union
Territory of
Jammu and
Kashmir and
its
composition.

14. (1) There shall be an Administrator appointed under article 239 of the Constitution of India for the Union territory of Jammu and Kashmir and shall be designated as Lieutenant Governor of the said Union territory.

(2) There shall be a Legislative Assembly for the Union territory of Jammu and Kashmir.

(3) The total number of seats in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir to be filled by persons chosen by direct election shall be 107.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), until the area of the Union territory of Jammu and Kashmir under the occupation of Pakistan ceases to be so occupied and the people residing in that area elect their representatives—

(a) twenty four seats in the Legislative Assembly of Union territory of Jammu and Kashmir shall remain vacant and shall not be taken into account for reckoning the total membership of the Assembly; and

(b) the said area and seats shall be excluded in delimiting the territorial constituencies as provided under PART V of this Act.

(5) On and from the appointed day, the Delimitation of Assembly Constituencies Order, 1995, as applicable to Union territory of Jammu and Kashmir, shall stand amended as directed in the Third Schedule of this act.

(6) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.

(7) The number of seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir under sub-section (6) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the Union territory of Jammu and Kashmir or of the Scheduled Tribes in the Union territory of Jammu and Kashmir, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the Union territory of Jammu and Kashmir.

Explanation: In this sub-section, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 2011 census.

(8) Notwithstanding anything in sub-section (6), the reservation of seats for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir shall cease to have effect on the same date on which the reservation of seats for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the House of the People shall cease to have effect under article 334 of the Constitution of India:

(9) In the Second Schedule to the Representation of the People Act, 1950, under the heading:—"I. THE STATES:" 43 of 1950.

"(a) entry 10 shall be deleted".

"(b) entries 11 to 29 shall be renumbered as 10 to 28".

43 of 1950.

(10) In the Second Schedule to the Representation of the People Act, 1950, under the heading :—"II. Union Territories"

(a) after entry 4, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"5. Jammu and Kashmir	83	6	...	83	6"

(11) The provisions of articles 324 to 327 and 329 of the Constitution of India, shall apply in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir, the Legislative Assembly and the members thereof as they apply, in relation to a State, the Legislative Assembly of a State and the members thereof respectively; and any reference in articles 326 and 329 to "appropriate Legislature" shall be deemed to be a reference to Parliament.

15. Notwithstanding anything in sub-section (3) of section 14 the Lieutenant Governor of the successor Union territory of Jammu and Kashmir may nominate two members to the Legislative Assembly to give representation to women, if in his opinion, women are not adequately represented in the Legislative Assembly.

Representation of women.

16. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly unless he—

Qualification for membership of Legislative Assembly.

(a) is a citizen of India and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Fourth Schedule of this Act;

(b) is not less than twenty-five years of age; and

(c) Possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by the Parliament.

17. The Legislative Assembly, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Legislative Assembly:

Duration of Legislative Assembly.

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency issued under clause (1) of article 352 is in operation, be extended by the President by order for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

18. (1) The Lieutenant Governor shall, from time to time, summon the Legislative Assembly to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

Sessions of Legislative Assembly, prorogation and dissolution.

(2) The Lieutenant Governor may, from time to time,—

(a) prorogue the House;

(b) dissolve the Legislative Assembly.

19. (1) Legislative Assembly shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly.

(2) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the Assembly—

(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;

(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office;

(c) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

(3) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Legislative Assembly as may be determined by the rules of procedure of the Assembly.

(4) During the absence of the Speaker from any sitting of the Legislative Assembly, the Deputy Speaker, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Legislative Assembly, shall act as Speaker.

(5) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, such salaries and allowances as may respectively be fixed by the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as the Lieutenant Governor may, by order determine.

Speaker or Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.

20. (1) At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker, from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of sub-section (4) of section 19 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

(2) The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly while any resolution for his removal from office is under consideration in the Assembly and shall, notwithstanding anything in section 25, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes.

Special address by Lieutenant Governor to Legislative Assembly.

21. (1) At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Lieutenant Governor shall address the Legislative Assembly, and shall inform the Legislative Assembly of the causes of its summons.

(2) Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the Legislative Assembly for the allotment of time for the discussion of matters referred to in such address.

Rights of Ministers and Advocate-General as respects Legislative Assembly.

22. Every Minister and the Advocate-General for the Union territory of Jammu and Kashmir shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislative Assembly of which he may be named a member, but shall not by virtue of this section be entitled to vote.

Rights of Lieutenant Governor to address and send messages to the Legislative Assembly.

23. (1) The Lieutenant Governor may address the Legislative Assembly and may for that purpose require the attendance of members.

(2) The Lieutenant Governor may also send messages to the Legislative Assembly whether with respect to a Bill then pending in the Legislative Assembly or otherwise, and when a message so sent, the Legislative Assembly shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration.

24. Every member of the Legislative Assembly shall, before taking his seat, make and subscribe before the Lieutenant Governor of the said Union territory, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Fourth Schedule of this Act.

Oath or affirmation by members.

25. (1) Save as otherwise provided in this Act, all questions at any sitting of the Legislative Assembly shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as such.

Voting in Assembly, power of Assembly to act notwithstanding vacancies and quorum.

(2) The Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

(3) The Legislative Assembly shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the Legislative Assembly shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(4) The quorum to constitute a meeting of the Legislative Assembly shall be ten members or one-tenth of the total number of members of the Legislative Assembly, which ever is greater.

(5) If at any time during a meeting of the Legislative Assembly there is no quorum, it shall be the duty of the Speaker, or person acting as such, either to adjourn the Legislative Assembly or to suspend the meeting until there is a quorum.

26. (1) No person shall be a member both of Parliament and of the Legislative Assembly, and if a person is chosen a member both of Parliament and of such Assembly, then, at the expiration of such period as may be specified in the rules made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislative Assembly of the said Union territory.

Vacation of seats.

(2) If a member of the Legislative Assembly—

(a) becomes subject to any of disqualification mentioned in section 27 or section 28 for membership of the Legislative Assembly; or

(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker, and his resignation is accepted by the Speaker,

his seat shall thereupon become vacant.

(3) If for a period of sixty days a member of the Legislative Assembly is without permission of the Assembly absent from all meetings thereof, the Assembly may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days, no account shall be taken of any period during which the Assembly is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

27. (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly—

Disqualifications for membership.

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of Union territory of Jammu and Kashmir or the Government or administration of any other Union territory or other than an office declared by law made by Parliament or by the Legislative Assembly not to disqualify its holder; or

(b) if he is for the time being disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under the provisions of sub-clause (b), sub-clause (c) or sub-clause (d) of clause (1) of article 102 or of any law made in pursuance of that article.

(2) For the purposes of this section, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of

Union Territory of Jammu and Kashmir or the Government of any other Union territory by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State or Union territory.

(3) If any question arises as to whether a member of the Legislative Assembly becomes subject to any of disqualification under the provisions of sub-sections (1) and (2), the question shall be referred for the decision of the Lieutenant Governor and his decision shall be final.

(4) Before giving any decision on any such question, the Lieutenant Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

Disqualification on ground of defection for being a member.

28. The provisions of the Tenth Schedule to the Constitution shall, subject to the necessary modifications (including modifications for construing references therein to the Legislative Assembly of a State, article 188, article 194 and article 212 as references, respectively, to the Legislative Assembly of Union territory of Jammu and Kashmir, as the case may be, section 24, section 30 and section 50 of this Act), apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of Union territory of Jammu and Kashmir as they apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of a State, and accordingly,—

(a) the said Tenth Schedule as so modified shall be deemed to form part of this Act; and

(b) a person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly if he is so disqualified under the said Tenth Schedule as so modified.

Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation or when not qualified or when disqualified.

29. If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly before he has complied with the requirements of section 24 or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from doing so by the provisions of any law made by Parliament or the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the said Union territory.

Powers, privileges, etc., of members.

30. (1) Subject to the provisions of this Act and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislative Assembly, there shall be freedom of speech in the Legislative Assembly.

(2) No member of the Legislative Assembly shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Assembly or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of such Assembly of any report, paper, votes or proceedings.

(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and the committees thereof shall be such as are for the time being enjoyed by the House of the People and its members and committees.

(4) The provisions of sub-sections (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Act have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly or any committee thereof as they apply in relation to members of the Legislative Assembly.

Salaries and allowances of members.

31. Members of the Legislative Assembly shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislative Assembly by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as the Lieutenant Governor may, by order determine.

Extent of legislative power.

32. (1) Subject to the provisions of this Act, the Legislative Assembly may make laws for the whole or any part of the Union territory of Jammu and Kashmir with respect to any of the matters enumerated in the State List except the subjects mentioned at entries 1 and 2, namely "Public Order" and "Police" respectively or the Concurrent List in the Seventh

Schedule to the Constitution of India in so far as any such matter is applicable in relation to the Union territories.

(2) Nothing in sub-section (1) shall derogate from the powers conferred on Parliament by the Constitution to make laws with respect to any matter for the Union territory of Jammu and Kashmir or any part thereof.

33. The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempted from all taxes imposed by or under any law made by the Legislative Assembly or by or under any other law in force in the Union territory of Jammu and Kashmir:

Exemption of property of the Union from taxation.

Provided that nothing in this section shall, until Parliament by law otherwise provides, prevent any authority within the Union territory of Jammu and Kashmir from levying any tax on any property of the Union to which such property was immediately before the commencement of the Constitution liable or treated as liable, so long as that tax continues to be levied in that Union territory.

34. (1) The provisions of article 286, article 287 and article 288 shall apply in relation to any law passed by the Legislative Assembly with respect to any of the matters referred to in those articles as they apply in relation to any law passed by the Legislature of a State with respect to those matters.

Restrictions on laws passed by Legislative Assembly with respect to certain matters.

(2) The provisions of article 304 shall, with the necessary modifications, apply in relation to any law passed by the Legislative Assembly with respect to any of the matters referred to in that article as they apply in relation to any law passed by the Legislature of a State with respect to those matters.

35. If any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to matters enumerated in the State List, in the Seventh Schedule to the Constitution is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the Legislative Assembly, or, if any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to any matter enumerated in the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution is repugnant to any provision of any earlier law, other than a law made by the Legislative Assembly, with respect to that matter, then, in either case, the law made by Parliament, or, as the case may be, such earlier law shall prevail and the law made by the Legislative Assembly of the Union territory shall, to the extent of the repugnancy, be void:

Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by Legislative Assembly.

Provided that if such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, such law shall prevail in the Union territory of Jammu & Kashmir:

Provided further that nothing in this section shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly.

36. (1) A Bill or amendment shall not be introduced into, or moved in, the Legislative Assembly except on the recommendation of the Lieutenant Governor, if such Bill or Amendment makes provision for any of the following matters, namely:—

Special provisions as to financial Bills.

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of the Union territory;

(c) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Union territory;

(d) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of the Union territory or the increasing of the amount of any such expenditure;

(e) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the Union territory or the public account of the Union territory or the custody or issue of such money or the audit of the account of the Union territory:

Provided that no recommendation shall be required under this sub-section for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

(2) A Bill or Amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of Union territory shall not be passed by the Legislative Assembly of the Union territory unless the Lieutenant Governor has recommended to the Assembly, the consideration of the Bill.

Procedure as
to lapsing of
Bills.

37. (1) A Bill pending in the Legislative Assembly shall not lapse by reason of the prorogation of the Legislative Assembly.

(2) A Bill which is pending in the Legislative Assembly shall lapse on dissolution of the Legislative Assembly.

Assent to
Bills.

38. When a Bill has been passed by the Legislative Assembly, it shall be presented to the Lieutenant Governor and the Lieutenant Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President:

Provided that the Lieutenant Governor may, as soon as possible after the presentation of the Bill to him for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the Assembly will reconsider the Bill or any specified provisions thereof, and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the Assembly will reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again with or without amendment and presented to the Lieutenant Governor for assent, the Lieutenant Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he reserves the Bill for the consideration of the President:

Provided further that the Lieutenant Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which,—

(a) in the opinion of the Lieutenant Governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is, by the Constitution, designed to fill; or

(b) relates to any of the matters specified in clause (1) of article 31A; or

(c) the President may, by order, direct to be reserved for his consideration.

Explanation.—For the purposes of this section and section 39, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the matters specified in sub-section (1) of section 36 or any matter incidental to any of those matters and, in either case, there is endorsed thereon the certificate of the Speaker of the Legislative Assembly signed by him that it is a Money Bill.

Bills reserved
for
consideration.

39. When a Bill is reserved by Lieutenant Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom:

Provided that where the Bill is not a Money Bill, the President may direct the Lieutenant Governor to return the Bill to the Legislative Assembly together with such a message as is mentioned in the first proviso to section 38 and, when a Bill is so

returned, the Assembly shall reconsider it accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if it is again passed by the Assembly with or without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration.

40. No Act of the Legislative Assembly and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some previous sanction or recommendation required by this Act was not given, if assent to that Act was given by the Lieutenant Governor, or, on being reserved by the Lieutenant Governor for the consideration of the President, by the President.

Requirements as to sanction and recommendations to be regarded as matters of procedure only.

41. (1) The Lieutenant Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir, a statement of the estimated receipts and expenditure of the Union territory for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

Annual financial statement.

(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—

(a) the sums required to meet expenditure described by this Act as expenditure charged upon the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir, and

(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir; and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

(3) The following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir:—

(a) the emoluments and allowances of the Lieutenant Governor and other expenditure relating to his office;

(b) the charges payable in respect of loans advanced to the Union territory of Jammu and Kashmir from the Consolidated Fund of India including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure connected therewith;

(c) the salaries and allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

(d) expenditure in respect of the salaries and allowances of Judges of High Court of Jammu and Kashmir;

(e) any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal;

(f) expenditure incurred by the Lieutenant Governor in the discharge of his special responsibility;

(g) any other expenditure declared by the Constitution or by law made by Parliament or by the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir to be so charged.

42. (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of Union territory of Jammu and Kashmir shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this sub-section shall be construed as preventing the discussion in the Legislative Assembly of any of those estimates.

Procedure in Legislative Assembly with respect to estimates.

(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the Legislative Assembly, and the Legislative Assembly shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Lieutenant Governor.

Appropriation
Bills.

43. (1) As soon as may be after the grants under section 42 have been made by the Legislative Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the Union territory of all moneys required to meet—

(a) the grants so made by the Legislative Assembly, and

(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the Assembly.

(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in the Legislative Assembly which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this sub-section shall be final.

(3) Subject to the other provisions of this Act, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of the Union territory except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this section.

Supplementary,
additional or
excess grants.

44. (1) The Lieutenant Governor shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of section 43 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,

cause to be laid before the Legislative Assembly, another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly with such previous approval a demand for such excess, as the case may be.

(2) The provisions of sections 41, 42 and 43 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorising the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir to meet such expenditure or grant.

Votes on
account.

45. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the Legislative Assembly shall have power to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in section 42 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of section 43 in relation to that expenditure and the Legislative Assembly shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir for the purposes for which the said grant is made.

(2) The provisions of sections 42 and 43 shall have effect in relation to the making of any grant under sub-section (1) or to any law to be made under that sub-section as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir to meet such expenditure.

46. (1) The Legislative Assembly may make rules for regulating, subject to the provisions of this Act, its procedure and the conduct of its business:

Rules of procedure.

Provided that the Lieutenant Governor shall, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly, make rules—

(a) for securing the timely completion of financial business;

(b) for regulating the procedure of, and the conduct of business in, the Legislative Assembly in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir;

(c) for prohibiting the discussion of, or the asking of questions on, any matter which affects the discharge of the functions of the Lieutenant Governor in so far as he is required by this Act to act in his discretion.

(2) Until rules are made under sub-section (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Act, with respect to the Legislative Assembly of the existing State of Jammu and Kashmir shall have effect in relation to the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of Legislative Assembly.

47. (1) The Legislative Assembly may by law adopt any one or more of the languages in use in the Union territory of Jammu and Kashmir or Hindi as the official language or languages to be used for all or any of the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir.

Official language or languages of Union territory of Jammu and Kashmir and language or languages to be used in Legislative Assembly thereof.

(2) The business in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir shall be transacted in the official language or languages of the Union territory of Jammu and Kashmir or in Hindi or in English:

Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the Legislative Assembly in his mother-tongue.

48. Notwithstanding anything contained in section 47, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative texts—

Language to be used for Acts, Bills, etc.

(a) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in the Legislative Assembly,

(b) of all Acts passed by the Legislative Assembly, and

(c) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under any law made by the Legislative Assembly of,

shall be in the English language:

Provided that where the Legislative Assembly has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislative Assembly or in any order, rule, regulation or bye-law issued under any law made by the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir, a translation of the same in the English language published under the authority of the Lieutenant Governor in the Official Gazette shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language.

49. No discussion shall take place in the Legislative Assembly with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.

Restriction on discussion in the Legislative Assembly.

Courts not to inquire into proceedings of Legislative Assembly.

50. (1) The validity of any proceedings in the Legislative Assembly shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

(2) No officer or member of the Legislative Assembly in whom powers are vested by or under this Act for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order in the Legislative Assembly shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers.

Secretariat of the Legislative Assembly.

51. (1) Legislative Assembly shall have a separate secretariat staff.

(2) The Legislative Assembly may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Legislative Assembly.

(3) Until provision is made by the Legislative Assembly under sub-section (2), the Lieutenant Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said sub-section.

Power of Lieutenant Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislative Assembly.

52. (1) If at any time, except when the Legislative Assembly is in session, the Lieutenant Governor thereof is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:

Provided that the power of making an Ordinance under this section shall extend only to those matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws.

(2) An Ordinance promulgated under this section shall have the same force and effect as an Act of the Legislative Assembly assented by the Lieutenant Governor but every such Ordinance—

(a) Shall be laid before the Legislative Assembly and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly of the Legislative Assembly, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly; and

(b) May be withdrawn at any time by the Lieutenant Governor.

Council of Ministers for the Union territory of Jammu and Kashmir

Council of Ministers.

53. (1) There shall be a Council of Ministers consisting of not more than ten percent of the total number of members in the Legislative Assembly, with the Chief Minister at the head to aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws except in so far as he is required by or under this Act to act in his discretion or by or under any law to exercise any judicial or quasi-judicial functions.

(2) The Lieutenant Governor shall, in the exercise of his functions, act in his discretion in a matter:

(i) which falls outside the purview of the powers conferred on the Legislative Assembly; or

(ii) in which he is required by or under any law to act in his discretion or to exercise any judicial functions.

(iii) related to All India Services and Anti Corruption Bureau:

Provided that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Lieutenant Governor is by or under this Act required to act in his discretion, the decision of the Lieutenant Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Lieutenant Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.

(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Lieutenant Governor shall not be inquired into in any court.

54. (1) The Chief Minister shall be appointed by the Lieutenant Governor and the other Ministers shall be appointed by the Lieutenant Governor on the advice of the Chief Minister.

Other provisions as to Ministers.

(2) The Ministers shall hold office during the pleasure of the Lieutenant Governor.

(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly.

(4) Before a Minister enters upon his office, the Lieutenant Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Fourth Schedule.

(5) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislative Assembly shall at the expiration of that period cease to be a Minister.

(6) The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislative Assembly may from time to time by law determine, and until the Legislative Assembly so determines, shall be determined by the Lieutenant Governor.

55. (1) The Lieutenant Governor shall make rules on the advice of the Council of Ministers—

Conduct of business.

(a) for the allocation of business to the Ministers; and

(b) for the more convenient transaction of business with the Ministers including the procedure to be adopted in case of a difference of opinion between the Lieutenant Governor and the Council of Ministers or a Minister.

(2) Save as otherwise provided in this Act, all executive action of the Lieutenant Governor, whether taken on the advice of his Ministers or otherwise, shall be expressed to be taken in the name of the Lieutenant Governor.

(3) Orders and other instruments made and executed in the name of the Lieutenant Governor, shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Lieutenant Governor on the advice of council of ministers, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Lieutenant Governor.

56. It shall be the duty of the Chief Minister—

Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to the Lieutenant Governor, etc.

(a) to communicate to the Lieutenant Governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union territory and proposals for legislation;

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union territory and proposals for legislation as Lieutenant Governor may call for.

Legislative Council

57. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, document, judgment, ordinance, rule, regulation or notification, on and from the appointed day, the Legislative Council of the existing State of Jammu and Kashmir shall stand abolished.

Abolition of Legislative Council of the State of Jammu and Kashmir.

(2) On the abolition of the Legislative Council, every member thereof shall ceased to be such member.

(3) All Bills pending in the Legislative Council immediately before the appointed day shall lapse on the abolition of the Council.

PART IV

ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

Appointment
of Lieutenant
Governor of
Union
territory of
Ladakh.

58. (1) The Union territory of Ladakh will be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through a Lieutenant Governor to be appointed by him under article 239.

(2) The President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union territory of Ladakh under article 240 of the Constitution of India.

(3) Any regulation so made may repeal or amend any Act made by Parliament or any other law which is for the time being applicable to the Union territory of Ladakh and, when promulgated by the President, shall have the same force and effect as an Act of Parliament which applies to the Union territory of Ladakh.

(4) The Lieutenant Governor shall be assisted by advisor(s) to be appointed by the Central Government.

PART V

DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

Definitions.

59. In this Part, unless the context otherwise requires,—

(a) “associate member” means a member associated with the Delimitation Commission under section 60;

(b) “Delimitation Commission” means the Delimitation Commission to be constituted under section 3 of the Delimitation Act, 2002; and thereafter by any law made by the Parliament.

33 of 2002.

(c) “Election Commission” means the Election Commission appointed by the President under article 324 of the Constitution of India;

(d) “latest census figures” mean the census figures ascertained at the latest census of which the finally published figures are available;

(e) “Parliamentary Constituency” means a constituency provided by law for the purpose of elections to the House of the People from Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.

(f) “Assembly Constituency” means a constituency provided by law for the purpose of elections to the Legislative Assembly.

Delimitation
of
constituencies.

60. (1) Without prejudice to sub-sections (3) of section 14 of this Act, the number of seats in the Legislative Assembly of Union territory of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to 114, and delimitation of the constituencies may be determined by the Election Commission in the manner hereinafter provided—

(a) the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly, having regard to the relevant provisions of the Constitution;

(b) the assembly constituencies into which the Union territory shall be divided, the extent of each of such constituencies and in which of them seats shall be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes; and

(c) the adjustments in the boundaries and description of the extent of the parliamentary constituencies in each Union territory that may be necessary or expedient.

(2) In determining the matters referred to in clauses (b) and (c) of sub-section (1), the Election Commission shall have regard to the following provisions, namely:—

(a) all the constituencies shall be single-member constituencies;

(b) all constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them, regard shall be had to physical features, existing

boundaries of administrative units, facilities of communication and conveniences to the public; and

(c) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall, as far as practicable, be located in areas where the proportion of their population to the total population is the largest.

(3) The Election Commission shall, for the purpose of assisting it in the performance of its functions under sub-section (1), associate with itself as associate members, four persons as the Central Government may by order specify, being persons who are the members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir or four members of the House of the People representing the Union territory of Jammu and Kashmir:

Provided that none of the associate members shall have a right to vote or to sign any decision of the Election Commission.

(4) If, owing to death or resignation, the office of an associate member falls vacant, it shall be filled as far as practicable, in accordance with the provisions of sub-section (3).

(5) The Election Commission shall—

(a) publish its proposals for the delimitation of constituencies together with the dissenting proposals, if any, of any associate member who desires publication thereof in the Official Gazette and in such other manner as the Commission may consider fit, together with a notice inviting objections and suggestions in relation to the proposals and specifying a date on or after which the proposals will be further considered by it;

(b) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified; and

(c) after considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine by one or more orders the delimitation of constituencies and cause such order or orders to be published in the Official Gazette, and there upon such publication, the order or orders shall have the full force of law and shall not be called in question in any court.

(6) As soon as may be after such publication, every such order relating to assembly constituencies shall be laid before the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.

61. (1) The Election Commission may by notification in the Official Gazette,—

(a) correct any printing mistakes in any order made under section 60 or any error arising therein from inadvertent slip or omission; and

(b) where the boundaries or name of any territorial division mentioned in any such order or orders is or are altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing such order up-to-date.

(2) Every notification under this section relating to an assembly constituency shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the Legislative Assembly.

62. (1) On and from the appointed day, notwithstanding the publication of orders under sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 2002 or anything contained in sub-section (2) or sub-section (4) of the said section, the Delimitation Act, 2002 shall be deemed to have been amended as provided below:

(a) in section 2(f), the words “but does not include the State of Jammu and Kashmir” shall be omitted; and

(b) for the purpose of delimitation of Assembly and Parliamentary Constituencies, the words and figure “census held in the year 2001”, wherever occurring, shall be construed as words and figure “census held in the year 2011”.

Power of Election Commission to maintain Delimitation Orders up-to date.

Special provision as to readjustment of Parliamentary and Assembly Constituencies on the basis of 2011 census.

(2) Readjustment of the constituencies as provided under section 60 in the successor Union territory of Jammu and Kashmir into Assembly Constituencies, shall be carried by the Delimitation Commission, to be constituted under the Delimitation Act, 2002 as amended by this Act, and shall take effect from such date as the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, specify.

(3) Readjustment of the constituencies as provided under section 11 in the successor Union territory of Jammu and Kashmir into Parliamentary Constituencies, shall be carried by the Delimitation Commission, to be constituted under the Delimitation Act, 2002 as amended by this Act, and shall take effect from such date as the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, specify.

Special provisions as to readjustment of Assembly and Parliamentary Constituencies.

Procedure as to delimitation.

63. Notwithstanding anything contained in sections 59 to 61, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, it shall not be necessary to readjust the division of successor Union territory of Jammu and Kashmir into Assembly and Parliamentary Constituencies and any reference to the "latest census figures" in this Part shall be construed as a reference to the 2011 census figures.

64. The procedure as provided in the law made by Parliament, shall apply, in relation to the delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies under this Part as they apply in relation to the delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies under that law.

PART VI

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Applicability of Scheduled Castes Order.

Applicability of Scheduled Tribes Order.

65. On and from the appointed day, the Constitution Jammu and Kashmir (Scheduled Castes) Order, 1956, shall stand applied to the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.

66. On and from the appointed day, the Constitution Jammu and Kashmir (Scheduled Tribes) Order, 1989, shall stand applied to the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.

Jammu and Kashmir (Scheduled Castes) Order, 1956.

Jammu and Kashmir (Scheduled Tribes) Order, 1989.

PART VII

MISCELLANEOUS AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir.

67. (1) On and from the appointed day, all revenues received in the Union territory of Jammu and Kashmir by the Government of India or the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir in relation to any matter with respect to which the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir has power to make laws, and all grants made and all loans advanced to the Union territory of Jammu and Kashmir from the Consolidated Fund of India and all loans raised by the Government of India or the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir upon the security of the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir and all moneys received by the Union territory of Jammu and Kashmir in repayment of loans shall form one Consolidated Fund to be entitled "the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir".

(2) No moneys out of such Consolidated Fund shall be appropriated except in accordance with, and for the purposes and in the manner provided in, this Act.

(3) The custody of such Consolidated Fund, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom and all other matters connected with or ancillary to those matters shall be regulated by rules made by the Lieutenant Governor.

Public Account of the Union territory of Jammu and Kashmir and moneys credited to it.

68. (1) On and from the appointed day, all other public moneys received by or on behalf of the Lieutenant Governor shall be credited to a Public Account entitled "the Public Account of the Union territory of Jammu and Kashmir".

(2) The custody of public moneys, other than those credited to the Consolidated Fund of the Union territory or the Contingency Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir, received by or on behalf of the Lieutenant Governor, their payment into the Public

Accounts of the Union territory of Jammu and Kashmir and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to the aforesaid matters shall be regulated by rules made by the Lieutenant Governor on the advice of Council of Ministers.

69. (1) There shall be established a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled "the Contingency Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir", into which shall be paid from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir such sums as may, from time to time, be determined by law made by the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir; and the said Fund shall be held by the Lieutenant Governor to enable advances to be made by him out of such Fund.

Contingency Fund of Union territory of Jammu and Kashmir.

(2) No advances shall be made out of the Contingency Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir except for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislative Assembly under appropriations made by law.

(3) The Lieutenant Governor on the advice of the Council of Ministers may make rules regulating all matters connected with or ancillary to the custody of, the payment of moneys into, and the withdrawal of moneys from, the Contingency Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir.

70. (1) The executive power of the Union territory extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir within such limits, if any, as may, from time to time, be fixed by Legislative assembly by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

Borrowing upon the security of Consolidated Fund of Union territory of Jammu and Kashmir.

(2) Any sums required for the purpose of invoking a guarantee shall be charged on the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir.

71. The accounts of the Union territory of Jammu and Kashmir shall be kept in such form as the Lieutenant Governor may, after obtaining advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe by rules.

Form of accounts of the Union territory of Jammu and Kashmir.

72. The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of Union territory of Jammu and Kashmir for any period subsequent to the date referred to in sub-section (1) of section 67 shall be submitted to the Lieutenant Governor who shall cause them to be laid before the Legislative Assembly.

Audit reports.

73. If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir, or otherwise, is satisfied,—

Provision in case of failure of constitutional machinery.

(a) that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Jammu and Kashmir cannot be carried on in accordance with the provisions of this Act, or

(b) that for the proper administration of Union territory of Jammu and Kashmir it is necessary or expedient so to do,

the President may, by order, suspend the operation of all or any of the provisions of this Act for such period as he thinks fit and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the Union territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provisions of this Act.

74. Where the Legislative Assembly is dissolved, or its functioning as such Assembly remains suspended, on account of an order under section 73, it shall be competent for the President to authorize, when the House of the People is not in session, expenditure from the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir pending the sanction of such expenditure by Parliament.

Authorisation of expenditure by President.

PART VIII

HIGH COURT

High Court of Jammu and Kashmir to be common High Court.

75. (1) On and from the appointed day,—

(a) the High Court of Jammu and Kashmir shall be the common High Court for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh;

(b) the Judges of the High Court of Jammu and Kashmir for the existing State of Jammu and Kashmir holding office immediately before the appointed day shall become on that day the Judges of the common High Court.

(2) The expenditure in respect of salaries and allowances of the Judges of the common High Court shall be allocated amongst the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh on the basis of population ratio.

Special provision relating to Bar Council and advocates.

76. (1) On and from the date referred to in sub-section (1) of section 75, in the Advocates Act, 1961, in section 3, in sub-section (1),—

25 of 1961.

(a) in clause (a), the words "Jammu and Kashmir" shall be deleted.

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely—

— (g) - for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, to be known as the Bar Council of Jammu and Kashmir; and Ladakh.

(2) Any person who immediately before the date referred to in sub-section (1) of section 75 is an advocate on the roll of the Bar Council of the existing State of Jammu and Kashmir and practising as an advocate in the High Court of Jammu and Kashmir, may continue to be members of the "Bar council of Jammu and Kashmir; and Ladakh", notwithstanding anything contained in the Advocates Act, 1961 and the rules made thereunder.

(3) The persons other than the advocates who are entitled immediately before the date referred to in sub-section (1) of section 75, on and after that date, be recognised as such persons entitled also to practise in the common High Court of Jammu and Kashmir or any subordinate court thereof, as the case may be.

(4) The right of audience in the common High Court of Jammu and Kashmir shall be regulated in accordance with the like principles as immediately before the date referred to in sub-section (1) of section 75, are in force with respect to the right of audience in the High Court of Jammu and Kashmir.

Practice and procedure in common High Court of Jammu and Kashmir.

77. Subject to the provisions of this Part, the law in force immediately before the date referred to in sub-section (1) of section 75 with respect to practice and procedure in the High Court of Jammu and Kashmir shall, with the necessary modifications, apply in relation to the common High Court of Jammu and Kashmir and accordingly, the common High Court of Jammu and Kashmir shall have all such powers to make rules and orders with respect to practice and procedure as are immediately before that date exercisable by the common High Court of Jammu and Kashmir:

Provided that any rules or orders which are in force immediately before the date referred to in sub-section (1) of section 75 with respect to practice and procedure in the High Court of Jammu and Kashmir shall, until varied or revoked by rules or orders made by the common High Court of Jammu and Kashmir, apply with the necessary modifications in relation to practice and procedure in the common High Court of Jammu and Kashmir as if made by that Court.

Savings.

78. Nothing in this Part shall affect the application to the common High Court of Jammu and Kashmir of any provisions of the Constitution, and this Part shall have effect subject to any provision that may be made on or after the date referred to in sub-section (1) of section 75 with respect to the common High Court of Jammu and Kashmir by any Legislature or other authority having power to make such provision.

PART IX

ADVOCATE-GENERAL OF UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR

79. (1) The Lieutenant Governor shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the High Court, to be Advocate-General for the Union territory of Jammu and Kashmir.

Advocate
General for
Union
territory of
Jammu and
Kashmir.

(2) It shall be the duty of such Advocate - General to give advice to the Government of such Union territory upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the said Government, and to discharge the functions conferred on him by or under the Constitution or any other law for the time being in force.

(3) In the performance of his duties, the Advocate-General shall have the right of audience in all courts in the Union territory of Jammu and Kashmir.

(4) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Lieutenant Governor and receive such remuneration as the Lieutenant Governor may determine.

PART X

AUTHORISATION OF EXPENDITURE AND DISTRIBUTION OF REVENUES

80. The Governor of existing State of Jammu and Kashmir may, at any time before the appointed day, authorise such expenditure from the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir as he deems necessary for any period not more than six months beginning with the appointed day pending the sanction of such expenditure by the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir:

Authorisation
of expenditure
of Union
territory of
Jammu and
Kashmir.

Provided that the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir may, after the appointed day, authorise such further expenditure as he deems necessary from the Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir for any period not extending beyond the said period of six months.

81. The Governor of existing State of Jammu and Kashmir may, at any time before the appointed day, authorise such expenditure from the Consolidated Fund of Union territory of Jammu and Kashmir as he deems necessary for any period not more than six months beginning with the appointed day pending the sanction of such expenditure by the Parliament:

Authorisation
of expenditure
of Union
territory of
Ladakh.

Provided that the President may, after the appointed day, authorise such further expenditure as he deems necessary from the Consolidated Fund of India for any period not extending beyond the said period of six months.

82. (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India referred to in clause (2) of article 151 relating to the accounts of the existing State of Jammu and Kashmir in respect of any period prior to the appointed day shall be submitted to the Lieutenant Governors of the successor Union territory of Jammu and Kashmir, and Union territory of Ladakh.

Reports
relating to
accounts of
Jammu and
Kashmir State.

(2) The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, thereafter shall cause the reports to be laid before the Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir.

(3) The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir may by order—

(a) declare any expenditure incurred out of the Consolidated Fund of Jammu and Kashmir on any service in respect of any period prior to the appointed day during the financial year or in respect of any earlier financial year in excess of the amount granted for that service and for that year as disclosed in the reports referred to in sub-section (1) to have been duly authorised; and

(b) provide for any action to be taken on any matter arising out of the said reports.

Distribution of
revenue.

83. (1) The award made by the Fourteenth Finance Commission to the existing State of Jammu and Kashmir shall be apportioned between the successor Union territory of Jammu and Kashmir; and Union territory of Ladakh by the Central Government on the basis of population ratio and other parameters:

Provided that on the appointed day, the President shall make a reference to the Union Territories Finance Commission to take into account the resources available to the successor Union territory of Ladakh and make separate award for the successor Union territory of Ladakh:

Provided that on the appointed day, the President shall make a reference to the Fifteenth Finance Commission to include Union territory of Jammu and Kashmir in its Terms of Reference and make award for the successor Union territory of Jammu and Kashmir.

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), the Central Government may, having regard to the resources available to the successor Union territory of Ladakh make appropriate grants and also ensure that adequate benefits and incentives in the form of special development package are given to the backward areas of this region.

PART XI

APPORTIONMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

Application of
this Part.

84. (1) The provisions of this Part shall apply in relation to the apportionment of the assets and liabilities of the existing State of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day, between the successor Union territory of Jammu and Kashmir and successor Union territory of Ladakh.

(2) The apportionment of the assets and liabilities of the existing State of Jammu and Kashmir shall be subject to the recommendations of a committee constituted by the Central Government.

(3) The process of apportionment shall be completed within a period of twelve months from the appointed day.

PART XII

PROVISIONS AS TO CERTAIN CORPORATIONS AND ANY OTHER MATTERS

Advisory
Committee(s).

85. (1) The Central Government may by order, establish one or more Advisory Committees within a period of 90 days from the appointed day, for the purposes of:

(a) apportionment of assets, rights and liabilities of the companies and corporations constituted for the existing State of Jammu and Kashmir between Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh;

(b) issues relating to Continuance of arrangements in regard to generation and supply of electric power and supply of water;

(c) issues related to Jammu and Kashmir State Financial Corporation;

(d) issues related to Companies constituted for the existing state of Jammu and Kashmir regarding the division of the interests and shares and reconstitution of Board of Directors;

(e) issues related to facilities in certain State Institutions; and

(f) issues related to any other matters not covered under this section.

(2) The committees so appointed under sub-section (1) of this section, shall submit their reports within six months to the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir, who shall act on the recommendations of such committees within a period of 30 days from the date of receiving such reports.

59 of 1988.

86. (1) Notwithstanding anything contained in section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, a permit granted by the State Transport Authority of the existing State of Jammu and Kashmir or any Regional Transport Authority in that State shall, if such permit was, immediately before the appointed day, valid and effective in any area in the transferred territory, be deemed to continue to be valid and effective in that area after that day till its period of validity subject to the provisions of that Act as for the time being in force in that area; and it shall not be necessary for any such permit to be countersigned by the Transport Authority of any of Union territory or any Regional Transport Authority therein for the purpose of validating it for use in such area:

Temporary provisions as to continuance of certain existing road transport permits.

Provided that the Lieutenant Governor may add to amend or vary the conditions attached to the permit by the Authority by which the permit was granted.

(2) No tolls, entrance fees or other charges of a like nature shall be levied after the appointed day in respect of any transport vehicle for its operations in any of the successor Union Territories under any such permit, if such vehicle was, immediately before that day, exempt from the payment of any such toll, entrance fees or other charges for its operations in the transferred territory:

Provided that the Central Government may, after consultation with the Government of Union territory of Jammu and Kashmir or the administration of Union territory of Ladakh, as the case may be, authorise the levy of any such toll, entrance fees or other charges, as the case may be:

Provided further that the provisions of this sub-section shall not be applicable where any such tolls, entrance fees or other charges of a like nature are leviable for the use of any road or bridge which is constructed or developed for commercial purpose by the State Government, an undertaking of the State Government, a joint undertaking in which the State Government is a shareholder or the private sector.

43 of 1961.

87. Where the assets, rights and liabilities of any body corporate carrying on business are, under the provisions of this Part, transferred to any other bodies corporate which after the transfer carry on the same business, the losses or profits or gains sustained by the body corporate first-mentioned which, but for such transfer, would have been allowed to be carried forward and set off in accordance with the provisions of Chapter VI of the Income-tax Act, 1961, shall be apportioned amongst the transferee bodies corporate in accordance with the rules to be made by the Central Government in this behalf and, upon such apportionment, the share of loss allotted to each transferee body corporate shall be dealt with in accordance with the provisions of Chapter VI of the said Act, as if the transferee body corporate had itself sustained such loss in a business carried on by it in the years in which those losses were sustained.

Special provision as to income-tax.

PART XIII

PROVISIONS AS TO SERVICES

88. (1) In this section, the expression "State cadre"—

(a) in relation to the Indian Administrative Service, has the same meaning assigned to it in the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954;

(b) in relation to the Indian Police Service, has the same meaning assigned to it in the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954; and

(c) in relation to the Indian Forest Service, has the same meaning assigned to it in the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

(2) The members of the cadres of Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service for the existing State of Jammu and Kashmir, on and from the appointed day, shall continue to function on the existing cadres.

(3) The provisional strength, composition and allocation of officers currently borne on the existing cadre of Jammu and Kashmir to the Union territory of Jammu and Kashmir

Provisions relating to All-India Services.

IAS (Cadre) rules, 1954.

IPS (Cadre) rules, 1954.

IFS (Cadre) rules, 1966.

and Union territory of Ladakh, as referred to in sub-section (2) shall be such as the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir may, by order, determine on or after the appointed day.

(4) The members of each of the said services, currently borne on the Jammu and Kashmir cadre immediately before the appointed day shall be finally allocated between the successor Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, in such manner and with effect from such date or dates as the Central Government may, by order, specify on the recommendation of Lieutenant Governors of Union territory of Jammu and Kashmir; and Union territory of Ladakh.

(5) The Officers so allocated to both the Union Territories shall function within these Union Territories, in accordance with the rules framed by the Central Government.

(6) In future, the All India Service officers to be posted to Union territory of Jammu and Kashmir or Union territory of Ladakh, as the case may be, shall be borne on the Arunachal Goa Mizoram Union Territory cadre, and necessary modifications in corresponding cadre allocations rules may be made accordingly, by the Central Government.

Provisions
relating to
other services.

89. (1) Every person who immediately before the appointed day is serving on substantive basis in connection with the affairs of the existing State of Jammu and Kashmir shall, on and from that day provisionally continue to serve in connection with the affairs of the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, by general or special order of the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir:

Provided that every direction under this sub-section issued after the expiry of a period of one year from the appointed day shall be issued with the consultation of the Government or Administration of the successor Union Territories, as the case may be.

(2) As soon as may be after the appointed day, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir shall, by general or special order, determine the successor Union territory to which every person referred to in sub-section (1) shall be finally allotted for service, after consideration of option received by seeking option from the employees, and the date with effect from which such allotment shall take effect or be deemed to have taken effect:

Provided that even after the allocation has been made, Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir may in order to meet any deficiency in the service, depute officers from one successor Union territory to the other Union territory.

(3) Every person who is finally allotted under the provisions of sub-section (2) to a successor Union territory shall, if he is not already serving therein, be made available for serving in the successor Union territory from such date as may be agreed upon between the Government of the successor Union territory of Jammu and Kashmir and Administration of Union territory of Ladakh, or, in default of such agreement, as may be determined by the Central Government:

Provided that the Central Government shall have the power to review any of its orders issued under this section.

Other
provisions
relating to
services.

90. (1) Nothing in this section or in section 89 shall be deemed to affect, on or after the appointed day, the operation of the provisions of Chapter I of Part XIV of the Constitution in relation to determination of the conditions of service of persons serving in connection with the affairs of the Union or any Union territory:

Provided that the conditions of service applicable immediately before the appointed day in the case of any person deemed to have been allocated to the Union territory of Jammu and Kashmir or Union territory of Ladakh under section 89 shall not be varied to his disadvantage except with the previous approval of the Lieutenant Governor.

(2) All services prior to the appointed day rendered by a person,—

(a) if he is deemed to have been allocated to any Union territory under section 89, shall be deemed to have been rendered in connection with the affairs of that Union territory;

(b) if he is deemed to have been allocated to the Union in connection with the administration of the successor Union territory, shall be deemed to have been rendered in connection with the affairs of the Union, for the purposes of the rules regulating his conditions of service.

(3) The provisions of section 89 shall not apply in relation to members of any All-India Service.

91. Every person who, immediately before the appointed day, is holding or discharging the duties of any post or office in connection with the affairs of the existing State of Jammu and Kashmir in any area which on that day falls within one of the successor Union territory shall continue to hold the same post or office in that successor Union territory, and shall be deemed, on and from that day, to have been duly appointed to the post or office by the Government of, or other appropriate authority in, that successor Union territory:

Provisions as to continuance of officers in same post.

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent a competent authority, on and from the appointed day, from passing in relation to such person any order affecting the continuance in such post or office.

92. On and from the appointed day, the employees of State Public Sector Undertakings, corporations and other autonomous bodies shall continue to function in such undertaking, corporation or autonomous bodies for a period of one year and during this period the corporate body concerned shall determine the modalities for distributing the personnel between the successor Union Territories.

Provision for employees of Public Sector Undertakings, etc.

93. (1) The Public Service Commission for the existing State of Jammu and Kashmir shall, on and from the appointed day, be the Public Service Commission for the Union territory of Jammu and Kashmir.

Provisions as to State Public Service Commission.

(2) The Union Public Service Commission, with the approval of the President, shall serve the needs of the Union territory of Ladakh.

(3) The persons holding office immediately before the appointed day as the Chairman or other member of the Public Service Commission for the existing State of Jammu and Kashmir shall, as from the appointed day, be the Chairman or, as the case may be, the other member of the Public Service Commission for the Union territory of Jammu and Kashmir.

(4) Every person who becomes the Chairman or other member of the Public Service Commission for the Union territory of Jammu and Kashmir on the appointed day under subsection (3) shall be entitled to receive from the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir, conditions of service not less favourable than those to which he was entitled under the provisions applicable to him.

(5) The report of the Jammu and Kashmir Public Service Commission as to the work done by the Commission in respect of any period prior to the appointed day shall be presented to the Lieutenant Governor of the State of Jammu and Kashmir, and the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining as far as possible, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir.

PART XIV

LEGAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

94. On and from the appointed day, in section 15 of the States Reorganisation Act, 1956, in clause (a), for the words "Jammu and Kashmir" the words "Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh" shall be substituted.

Amendment of section 15 of Act 37 of 1956.

95. (1) All Central laws in Table -1 of the Fifth Schedule to this Act, on and from the appointed day, shall apply in the manner as provided therein, to the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.

Territorial extent of laws.

(2) All other laws in Fifth Schedule, applicable to existing State of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day, shall apply in the manner as provided therein, to the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.

Power to
adapt laws.

96. For the purpose of facilitating the application in relation to the successor Union Territories, of any law made before the appointed day, as detailed in Fifth Schedule, the Central Government may, before the expiration of one year from that day, by order, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and thereupon every such law shall have effect subject to the adaptations and modifications so made until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.

Power to
construe laws.

97. Notwithstanding that no provision or insufficient provision has been made under section 96 for the adaptation of a law made before the appointed day, any court, tribunal or authority, required or empowered to enforce such law may, for the purpose of facilitating its application in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir or Union territory of Ladakh, construe the law in such manner, without affecting the substance, as may be necessary or proper in regard to the matter before the court, tribunal or authority.

Power to
name
authorities,
etc., for
exercising
statutory
functions.

98. The Lieutenant Governor, as respects the concerned territory may, by notification in the Official Gazette, specify the authority, officer or person who, on or after the appointed day, shall be competent to exercise such functions exercisable under any law in force on that day as may be mentioned in that notification and such law shall have effect accordingly.

Legal
proceedings.

99. Where, immediately before the appointed day, the existing State of Jammu and Kashmir is a party to any legal proceedings with respect to any property, rights or liabilities subject to apportionment among the successor Union Territories under this Act, the Union territory of Jammu and Kashmir or the Union territory of Ladakh which succeeds to, or acquires a share in, that property or those rights or liabilities by virtue of any provision of this Act shall be deemed to be substituted for the existing State of Jammu and Kashmir or added as a party to those proceedings, and the proceedings may continue accordingly.

Transfer of
pending
proceedings.

100. (1) Every proceeding pending immediately before the appointed day before a court (other than High Court), tribunal, authority or officer in any area which on that day falls within the State of Jammu and Kashmir shall, if it is a proceeding relating exclusively to the territory, which as from that day are the territories of any Union territory, stand transferred to the corresponding court, tribunal, authority or officer of that Union territory.

(2) If any question arises as to whether any proceeding should stand transferred under sub-section (1), it shall be referred to the common High Court of Jammu and Kashmir and the decision of that High Court shall be final.

(3) In this section—

(a) proceeding includes any suit, case or appeal; and

(b) corresponding court, tribunal authority or officer in any of Union territory means—

(i) the court, tribunal, authority or officer in which, or before whom, the proceeding would have laid if it had been instituted after the appointed day; or

(ii) in case of doubt, such court, tribunal, authority, or officer in that Union territory, as may be determined after the appointed day by the Government or administration of that Union territory, or the Central Government, as the case may be, or before the appointed day by the Government of the existing State of Jammu and Kashmir to be the corresponding court, tribunal, authority or officer.

101. Any person who, immediately before the appointed day, is enrolled as a pleader entitled to practise in any subordinate court in the existing State of Jammu and Kashmir shall, for a period of one year from that day, continue to be entitled to practise in those courts, notwithstanding that the whole or any part of the territories within the jurisdiction of those courts has been transferred to any of the Union Territories.

Right of
pleaders to
practise in
certain cases.

102. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law.

Effect of
provisions of
the Act
inconsistent
with other
laws.

103. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the President may, by order do anything not inconsistent with such provisions which appears to him to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Power to
remove
difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of five years from the appointed day.

(2) Every order made under this section shall be laid before each House of Parliament.

The First Schedule

(See Section 9)

Union territory of Jammu and Kashmir**Members of Council of State**

S.No.	Name of the sitting Member	Term
1.	Fayaz Mir Mohammad	11/02/2015 to 10/02/2021
2.	Laway Shri Nazir Ahmed	16/02/2015 to 15/02/2021
3.	Manhas Shri Shamsher Singh	11/02/2015 to 10/02/2021
4.	Ghulam Nabi Azad	16/02/2015 to 15/02/2021

The Second Schedule

[See Section 11(1)]

Amendments to the Delimitation of Parliamentary Constituencies Order, 1976**Union territory of Jammu and Kashmir****Parliamentary Constituencies**

S.No.	Name of the Constituency	Extent of Constituency
1.	Baramulla	Baramulla District
2.	Srinagar	Srinagar District
3.	Anantnag	Anantnag District
4.	Udhampur	Udhampur, Doda and Kathua Districts
5.	Jammu	Jammu, Rajouri and Poonch Districts

Union territory of Ladakh**Parliamentary Constituency**

S.No.	Name of the Constituency	Extent of Constituency
1.	Ladakh	Ladakh District

Note.— (i) Any reference in this Schedule to a district shall be taken to mean the area comprised within that district on the 1st day of August, 1975.

(ii) As per details included in Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 under Articles 81 & 82 of the Constitution of India as applied to the State of Jammu and Kashmir by the Constitution (Application to J&K) Order, 1954 (C.O. 48).

The Third Schedule**[See Section 14(5)]**

Amendments to the Delimitation of Assembly Constituencies Order, 1995

Union territory of Jammu and Kashmir**Assembly Constituencies**

S. No.	Name of the Assembly Constituency	Extent
1	2	3
KUPWARA DISTRICT		
1.	Karnah	All PCs of Tehsil Karnah; PC Keran of Tehsil Kupwara.
2.	Kupwara	PCs 18-Sulakot, 20-Radabug, 22-Bumhama, 23-Drugmulla, 25-Gushi, 26-Batergam, 27-Dadikoot, 30-Gulgam, 31-Harrai, 32-Hayan, 33-Trehgam, 34-Guglose, 35-Kralpora, 36-Guzeryal, 37-Gundizona-Reshi, 38-Panzgam, 39-Meelyal, 40-Shooloor, 41-Dardihairi-Kharagund, 42-Kupwara and P.C. 55-Manzgam in Tehsil Handwara.
3.	Lolab	PCs 1-Harduring, 2-Chontiware, 3-Machil, 4-Kalaroch, 5-Khumrayal, 6-Kanthpora, 7-Wawoor, 8-Maidanpora, 9-Khurhama, 10-Warnow, 11-Krusan, 12-Sogam, 13-Darapora, 14-Lalpora, 15-Chandigam, 16-Tekipora, 17-Dewar Inderbug, 19-Manigah, 29-Haihama, 45-Dardapora in Kupwara Tehsil.
4.	Handwara	PCs 8-Maidan Chogal, 28-Taratpora, 29-Wilgam, 30-Lilam, 31-Dulipora, 32-Opzawani, 33-Shogapora, 34-Neelipora, 35-Magam, 36-Jagarpora, 39-Behnipora, 40-Rajpora, 41-Zachaldara, 42-Wadder, 43-Turkapora, 44-Chanjimulla, 45-Wadipora, 46-Bhaki Akhar, 47-Batakoot, 48-Braripora, 49-Waripora Gonipora, 50-Nutanoosa, 51-Kandikhas, 52-Handwara; 53- Dhama, 54-Panchakoot in Tehsil Handwara; and 21-Kegam, 28-Nagrimalpora, 24-Najatpora in Tehsil Kupwara.
5.	Langate	PCs 1- Langate, 2-Unusu, 3-Pohrupeth, 4-Glura, 5- Martgam, 6-Hanga, 7-Shanoo, 9-Nowgam, 10-Mawar, 11- Qalamchakla, 12- Adura, 13-Haril, 14-Drangsoo-Shah-Nagri, 15-Udipora, 16- Kralagund, 17-Lokipora, 18-Kichlo Qazipora, 19-Khaipora, 20-Panditpora, 21-Super-Nagam, 22-Ashapora, 23-Safalpora, 24-Kralpora, 25-Deedarpora, 26-Shathgund-Balla, 27-Rawalpora, 37-Wasiakawnar, 38- Lachampora in Tehsil Handwara.
BARAMULLA DISTRICT		
6.	Uri	All PCs in Tehsil Uri.
7.	Rafiabad	PCs 11-Chakloo, 12- Nadihal, 13-Shitloo, 15-Biner Kahdoora in Tehsil Baramulla; and PCs 5-Nowpora Kalan, 8-Watergam, 9-Fidarpora, 10-Handipora, 11-Yarbug, 12-Riban-Ramhama, 13-Ladora, 14-Rehama, 15-Chijahama, 16- Wanpora, 17-Panzalla-Gundabal, 18- Sailkoot, 19-Balhama-Thakanpora, 20-Chatoosa, 21-Dangiwacha, 22-Rawacha, 23-Harduchanam, 24-Bakshipora-Batapora, 25-Zithan, 36- Behrampora, 37-Chitlora, 38- Achabal in Tehsil Sopore.
8.	Sopore	PCs 1-Sopore with NAC, 2- Warapora, 3- Arampora, 4- Dangerpora, 6- Watalab, 32- Seeloo, 33- Botingoo, 34- Mundji, 35- Duroo, 39- Hardu-Shiva, 41- Aadipora-Bomai, 42-Wadoora, 40-Tujar-Pahlihar, 43- Harwan, 44- Zaloor in Tehsil Sopore.

1	2	3
9.	Gurez	All PCs in Tehsil Gurez.
10.	Bandipora	All PCs in Tehsil Bandipora; and PC 1- Ajas of Tehsil Sonawari.
11.	Sonawari	All PCs in Tehsil Sonawari excluding PC 1-Ajas.
12.	Sangrama	PCs 16-Kreeri, 17-Wizar, 18-Authora, 19-Shalakawara, 20-Nowpora-Jagir, 21-Wagoora, 22-Kachumuqam, 24- Manigam, 25-Kalantara-Balla, 26 - Dandmoh, 27- Sultanpora-Kandi in Tehsil Baramulla; and 7-Tarzoo, 26-Hygam, 27-Seer-Jagir, 28-Bulagam, 29-Sangrama, 30-Krank-Shivan, 31-Wagub in Tehsil Sopore.
13.	Baramulla	PCs 1- Laridora, 2- Heewan, 30 Malapora, 4-Kich-Hama, 50-Ushkara, 6-Khanpora with NAC, 7-Khaja-Bagh, 8-Taki-Sultan, 9-Khaitangan, 10-Delina, 14-Kansipora, 23- Chandoosa in Tehsil Baramulla.
14.	Gulmarg	All PCs in Teshil Gulmarg; and 2-Wailoo Kralpora, 8-Sriwarpora, 9-Chokar, 10- Waripora-Bangil, 12- Malmoh, 13- Nowlari, 16-Yal in Tehsil Pattan.
15.	Pattan	Tehsil Pattan excluding 2-Wailoo-Kralpora, 8-Sriwarapora, 9-Chokar, 10-Waripora Bangil, 12- Malmoh, 13-Nowlari and 16-Yal.
SRINAGAR DISTRICT		
16.	Kangan	All PCs of Tehsil Kangan; and PCs -Manigam, 2-Wailoo, 3-Nunar in Tehsil Ganderwal.
17.	Ganderbal	Tehsil Ganderbal excluding 1-Manigam, 2-Wailoo, 3-Nunar and P.C. Haran in Srinagar Tehsil.
18.	Hazratbal	Ward 16 in Srinagar Municipality (excluding Municipal areas not falling in Srinagar Tehsil but falling in Ganderbal Tehsil) and PC 9-Bachpora in Tehsil Ganderbal and Wards 17 and 12 except the following Mohallas of Ward 12 ; Mugal Mohalla, Surateng, Khawjapora, Kocha Nidan, Zindashah and boat population of these wards.
19.	Zadibal	Wards 14 and 15 in Srinagar Municipality and boat population of Anchar and of the ghats of these wards.
20.	Idgah	Wards 8 and 11 in Srinagar Municipality and P.C. 38-Palpura and 41-Sangam in Srinagar Tehsil.
21.	Khanyar	Wards 10-13 of Srinagar Municipality and the following mohallas of Ward 12-Mugal Mohalla, Surateng, Khawjapora, Zindshah and Kocha Nidan and boat population of these wards.
22.	Habbakadal	Wards 7 and 9 in Srinagar Municipality and boat population of Wards 6, 7 and 9.
23.	Amirakadal	Wards 3 and 4 in Srinagar Municipality excluding (i) Natipora (rural), (ii) Rawalpura (rural), (iii) Hyderpora (rural) ; and excluding Aramwari, Gund Chandal, Stingoo, Sutho Kirther Bagh in Tehsil Chadoora and Watdoor, Galwanpora Laloo and Shesgam Bagh in Tehsil Badgam and boat population of these wards and of Ward 5.
24.	Sonawar	Wards 1 and 2 in Srinagar Municipality and Badamibagh Cantonment and P.C. 21-Chitrahama, 19-Dara, 29-Khunmu, 30-Balhama, 31-Zewan in Tehsil Srinagar and boat population of ghats in these wards.
25.	Batamaloo	Wards 5 and 6 in Srinagar Municipality ; and PCs 6-Mujgund, 42-Bachipora Tengpora in Srinagar Tehsil.

1	2	3
BUDGAM DISTRICT		
26.	Chadoora	The following Patwar Circles of Tehsil Chadoora, 16-Chadoora, 24-Chattergam, 25-Wagora, 26-Wathura, 27-Khanda, 28-Bugam Batapora, 29-Kralpora, 30-Hayatpora, 31-Pohroo, 32-Rakh Shalina, 33-Bagati Kanipora, 34-Nowgam, 35-Kanihama, 36-Daulatpora, 38-Natipora rural area outside Srinagar Municipal limits in ward 4 and 39-Lasjan and Aramwari, Gund, Chandal Stengoo, Suthoo, Kirtherbagh and 40-Kursu Padshahibagh.
27.	Badgam	PCs 1-Soibugh, 2-Dhrmana, 3-Wahabpora, 4-Arth, 5-Wadwan, 6-Bemina, 7-Pallar, 8-Garriend Kalan, 9-Sholipra, 10-Nassar-ullah-Pora, 11-Jahama, 12-Water-Wani, 28-Chune, 29-Badgam, 30-Ompora 31-Narkara, 32-Humhama, 35-Karewa Damodar, 36-Gund-Sathu, 37-Ichakoot, 38-Ichgam, 33-Rawalpora (rural), 34-Hyderpora (rural) in Badgam Tehsil.
28.	Beerwah	PCs 1-Suzeth-Gooripora, 2-Kawoosa Khalisa, 3-Kawoosa Jagir, 4-Batapora Kahiham, 5-Sanoor-Kalipora, 6-Hardu Malpora, 7-Bandagam, 8-Utligam, 9-Mula-Shulla, 10-Sonapah, 12-Gondipora, 21-Shanglipora, 22-Khag, 23-Malpora Khag, 24-Himchipora, 25-Lalpora, 26-Beerwah, 27-Chewdara, 28-Peth Mukahama, 29-Rathusun, 30-Bona Makhama, 31-Nagam, 32-Iskanderpora, 33-Aripanthan, 34-Palpora, 36-Hardua-Shorsh in Tehsil Beerwah.
29.	Khansahib	PCs 1-Hokhalatri, 13-Phartahn, 14-Kandoora, 15-Drahg, 16-Sitaharan, 17-Zogikharian, 18-Arizal, 19-Qamroo, 20-Rawalpora-Berwah; and PC 35- Sail in Tehsil Berwah; and PCs 13-Waterhail, 14-Jawalapora, 15-Sondipora, 16-Dalipora, 17-Yari Khah, 18-Talapora, 19-Parnawah, 20-Drayagram, 21-Frestwar Khasipora, 22-Arigam, 23-Khan Sahib, 24-Raithan, 25-Kachwari, 26-Gurwait Kalan, 27-Falchall in Tehsil Budgam.
30.	Chrar-i-Sharief	PCs 1-Gogji Pathari, 2-Brinjan, 3-Hafroo Batapora, 4-Branawar, 5-Surasyar, 6-Dada-Ompara, 7-Hanjura, 8-Nowpora, 9-Pakharpora, 10-Hardu Dalwan Futlipora, 11-Teelsarah, 12-Chrar-i-Sharief, 13-Watkaloo, 14-Darawan Nowgam, 15-Chtsesn, 17-Nagam, 18-Badipora, 19-Yarikalan, 20-Ropora Namtihal, 21-Kanir, 22-Ranger, 23-Sogam, 37-Nowhar in Tehsil Chadoora.
PULWAMA DISTRICT		
31.	Tral	All PCs in Tehsil Tral.
32.	Pampore	All PCs in Tehsil Pampore and Patwar Circles 26-Awantipora, 27-Padgampora, 29-Lilhar, 46-Nihama, 47-Kakapora in Tehsil Pulwama.
33.	Pulwama	PCs 1-Inder, 2-Gangoo, 5-Pulwama with NAC, 9-Ratnipora, 10-Pahoo, 11-Trich, 12-Koil, 13-Pinglina, 14-Narwa, 17-Litter-Shistar, 18-Nayina, 19-Panzgam, 20-Dogripora, 21-Rishipora, 22-Laderpur, 23-Nownagri, 24-Tokna, 25-Malangpora, 28-Lajoora, 40-Palapora, 45-Newa, 48-Jagir Parigam, 49-Tumchi Nowpora, 50-Hakripora in Tehsil Pulwama.
34.	Rajpora	PCs 3-Karimabad, 4-Moran, 6-Kangan, 7-Wahibugh, 8-Gosoo, 15-Bonarah, 16-Trichal, 30-Ramoo, 31-Billowdergund, 32-Qasbayar, 33-Drubgam, 34-Mitrigam, 35-Abhama, 36-Trujan, 37-Khaigam, 38-Noorpora Payeen, 39-Arihal, 41-Tahab-Shadipora, 42-Achan, 43-Chandigam, 44-Rajpora in Tehsil Pulwama.
35.	Wachi	PCs 8-Kalroo Malikgund, 9-Nadigam, 11-Dangerpora, 12-Turka Wangam, 13-Urapora, 14-Hardu-Handow, 15-Harmain, 16-Chak-Chowand, 17-Kapran, 19-Dangam, 20-Chakora, 21-Pratabpora, 24-Kanji-Ullar, 25-Chitragam, 26-Darikalpora, 27-Hef, 28-Sugan, 29-Awnera, 30-Wachi, 31-Aglar, 32-Zainapora, and 39-Allowpora-Sheikhpora in Tehsil Shopian.

1	2	3
36.	Shopian	PCs 1-Saidapora, 2-Meemandar, 3-Arhama, 4-Pinjoora, 5-Ganowpora Arish, 6-Bemnipora, 7-Harapora, 10-Trenz, 18-Vehilchal-Awattoo, 22-Sedew, 23-Ram Nagri, 33-Diyaroo, 34-Barthipora, 35-Daramdoora, 36-Zoora-Baderhama, 37-Narapora, 38-Keegam, 40-Keller Mastpora, 41-Pahlipora, 42-Sindhu-Shrimal, 43-Shopian, 44-Devipora (forest block) in Tehsil Shopian.
ANANTNAG DISTRICT		
37.	Noorabad.	PCs 5-Malwan, 6- Pahloo, 7-Akhal, 23- Gudder, 34-Brinal Lamber, 46-Damhal-Hanjipora, 47- Ahmada-Abad, 48- Yaroo, 49 - Hardu-Mandagori, 51- Manzgam, 52-Asnoor, 53-Wattoo, 54-Avil, 55-Khuri-Batapora, 56-Nagam, 57-Danow-Kandimarg, 58-Bdi-Jehalan, 59-Chimar, 60-Qasba Khul, 61-Nandimarg in Tehsil Kulgam.
38.	Kulgam	PCs 1-Kulgam with NAC, 2-Hanad-Chawalgam, 3-Amnoo, 4-Chamabagund, 11-Ashmuji, 19-Mirhama, 20-Akey, 21-Pariwan, 22-Chehla, 24-Areh, 25-Bihibagh, 26-Gopalpora, 38-Bugam, 39-Tarigam-Devsar, 43-Yamroch, 44-Munand-Guffan, 45-Katersoo, 50-Largurhama in Tehsil Kulgam.
39.	Home-Shalibugh	PCs 8-Uranhal, 9-Tuli-Nowpora, 10-Kujar, 12-Redwani, 13-Arwani, 14-Frisal, 15-Jablipora, 16-Wanpora, 17-Hassanpora Tavela, 18-Khandi-Phari, 40-Tarigam-Devibugh, 41-Matibugh, 42-Homshalibugh in Tehsil Kulgam.
40.	Anantnag	PCs 1-Qasba Bhagal, 2-Khanabal, 3-Roohoo, 4-Kamar, 5-Anchidoora, 6-Hardu-Chichan, 10-Ranbirpora in Tehsil Anantnag.
41.	Devsar	PCs 27-Devsar, 28-Bona Devsar, 29-Kilam-Buzgam, 30-Hablishi, 31-Nipora, 32-Laram-Ganipora, 33-Chowgam, 35-Razloo, 36-Waitengu, 37-Sopat Tengpora, 62-Oral in Tehsil Kulgam ; and PCs 18-Vesoo, 19-Nasoo-Badargund, 20-Panzeth, 21-Kurigam, 23- Qazigund with NAC in Doru Tehsil.
42.	Doru	PCs 1- Doru, 2-Bragam, 3-Oibamdooth, 4-Mantpora, 5-Larkipora, 6-Hakura, -Badasgam, 7-Batgund, 8-Verinag, 9-Sadiwara, 10-Mundah, 11-Hiller, 12-Nowgam Shahabad, 13-Rain-Chowgund, 14-Thamankoot, 15-Qamar, 16-Halsidar, 17-Kapron, 22- Wangund in Tehsil Doru.
43.	Kokernag	PCs 28-Saagam, 29-Bider-Hayatpora, 30-Bhai, 31-Akingam, 32-Nagam, 33-Soof-Shali, 34-Panzgam, 35-Bindo-Zulangam, 36-Devalgam, 37-Nalla-Sund-Brari, 38-Lohar-Sanzi, 39-Ahlan-Gadol, 40-Kharatti, 41-Desoo, 42-Kharapora, 43-Qasba-Nowbugh, 44-Mati Hundoo, 45-Larnoo, 46-Kokernag NAC, 47-Achabal NAC in Tehsil Anantnag.
44.	Shangus	PCs 13-Sahibabad, 14-Nowgam, 15-Imoh, 16-Brakapora, 17-Shangus, 18-Uttarsoo, 19-Kreri, 20-Chatergul, 21-Ghikalpora, 22-Ranipora, 23-Detho-Nagnarian, 24-Gopalpora, 25-Telwani, 26-Kwarigam, 27-Ahupaisan in Tehsil Anantnag.
45.	Bijbehara	All PCs in Tehsil Bijbehara and PCs 7-Macha Bawan, 11-Nanilang, 12-Akora in Tehsil Anantnag.
46.	Pahalgam	All PCs in Tehsil Pahalgam and PCs 8-Seer-Kanligund, 9-Salia in Tehsil Anantnag.
DODA DISTRICT		
47.	Kishtwar	PCs 1-Marghi, 2-Inshan, 3-Yerudu, 4-Renai, 5-Nowpachi, 6-Chanjer, 7-Qaderana, 8-Deharana, 9-Lopara, 10-Lohama, 11-Soundhar, 19-Palmar, 30-Trigam, 31-Kishtwar, 32-Matta, 33-Poochal, 34-Dool, 35-Bhagnah, 36-Galarbahta, 37-Atholi, 38-Sohal, 39-Ishtiari, 40-Gulabgarh, 41-Massu, 42-Kishtwar NAC, 43-Forest Block in Tehsil Kishtwar.
48.	Inderwal	PCs 12-Chingam, 13-Inderwal, 14-Chatroo, 15-Sigdi, 16-Moolchhiter, 17-Drubeel, 18-Kochal, 20-Filler, 21-Pakhalan, 22-Keshwan, 23-Shandri, 24-Sangna, 25-Patnazi.

1	2	3
		26-Jawalapur, 27-Loundri, 28-Badhat and 29-Karool in Tehsil Kishtwar ; PCs 1-Jakyas in Tehsil Bhalesa (Gandoh) and following PCs of Tehsil Thathri :-- 1-Jangalwar, 3-Malanoo, 4-Kansu, 10-Kandote.
49.	Doda	All PCs of Tehsil Doda except 8-Dessa, 9-Dhandal, 10-Kastigarh, 11-Shamti, 12-Chaka Kundi, 13-Assar, 14-Charrota.
50.	Bhaderwah	All PCs of Tehsil Bhaderwah and PCs 2-Budhli, 3-Chilli, 4-Drawani, 5-Kahal Jugasar, 6-Budwar, 7-Chanisar, 8-Kilotran, 9-Kharangal, 10-Gandoh in Tehsil Bhalesa ; and PCs 2-Jora, 5-Bhaja, 6-Bhalla, 7-Jagiti, 8-Bhallari, 9-Rokali, 11-Pamshayee in Tehsil Thathri.
51.	Ramban (SC)	All PCs of Tehsil Ramban except 5-Sarbagni and PCs of 8-Dessa, 9-Dhandal, 10-Kastigarh, 11-Shamti, 12-Chaka, 13-Assar, 14-Charrota of Tehsil Doda.
52.	Banihal	All PCs of Tehsil Banihal and 5-Sarbagni in Tehsil Ramban.
UDHAMPUR DISTRICT		
53.	Gulabgarh	PCs 2-Mahore, 2-Sarh, 3-Dewal, 4-Gulabgarh, 5-Chasote, 6-Bagankote, 7-Shergarhi, 8-Shikari, 9-Kanthi, 10-Tulibana, 13-Shajroo in Tehsil Gulabgarh and PC 16-Jij in Tehsil Reasi.
54.	Reasi	Tehsil Reasi except following PCs:— 1.Salal, 15-Chinkah, 16-Jij, 17-Thakrakote and following PCs of Tehsil Udhampur:— 13-Panjar, 14-Lali, 15-Ladah, 17-Dhandu, 18-Jhandawa, 32-Badhota and 19-Suhal.
55.	Gool Arnas	Following PCs of Tehsil Gool Gulabgarh:— 11-Thuru, 12-Bhudhan, 14-Kanthan, 15-Judda, 16-Dhanow, 17-Kali Masta, 18-Gool, 19-Thatharka, 20-Sangaldan, 21-Forest Block ; and 1-Salal, 15-Chinkah, 17-Thakrakote in Tehsil Reasi.
56.	Udhampur	All PCs of Tehsil Udhampur except the following PCs :— 13-Panjar, 14-Lali, 15-Ladha, 17-Dhandu, 18-Jhandawa, 19-Suhal, 20-Ludha, 21-Balian, 27-Sunal, 29-Meer, 30-Kathi, 32-Badhota.
57.	Chenani (SC)	All PCs of Tehsil Chenani and following PCs of Tehsil Udhampur :— 20-Ladha, 21-Balian, 27-Sunal, 29-Meer, 30-Kathi and following PCs of Tehsil Ramnagar. 10-Dudu, 11-Latti, 31-Ghordi, 33-Hartarian, 34-Dandal, 35-Barmeen, 36-Nalla Ghoran.
58.	Ramnagar	All PCs of Tehsil Ramnagar except the following :— 10-Dudu, 11-Latti, 31-Ghordi, 33-Hartarian, 34-Dhandal, 35-Barmeen, 36-Nala Ghoran.
KATHUA DISTRICT		
59.	Bani	PCs 14-Bani, 15-Banjai, 16-Fatehpur, 17-Sandroon, 18-Rolka, 19-Buggah, 20-Lowang, 21-Kanthai, 22-Surjan, 23-Dhanggar, 24-Koti, 25-Forest Block in Tehsil Basohli and 9-Godu Flal, 10-Bdnota, 11-Machadi, 20-Malhar in Tehsil Billawar.
60.	Basohli	PCs 1-Thein, 2-Basantpur, 3-Lakhanpur, 4-Hatli, 7-Tridwan, 36-Lakhanpur NAC, 29-Berthian and 30-Sorlian in Tehsil Kathua and PCs 1-Basohli, 1-a-Basohli NAC, 2-Sandhar, 3-Hutt, 4-Bhoond, 5-Saman, 6-Dhar Jankar, 7-Dhar Mahanpur, 8-Plahi, 9-Prita, 10- Saber, 11-Patti, 12-Athalith, 13-Mahanpur in Tehsil Basohli and PCs 21-Dhar Digno, 22-Huttar, 23-Dambra in Tehsil Billawar.

1	2	3
61.	Kathua	PCs 5-Dilwan, 6-Maha, 8-Kharote, 9-Taraf Manjili, 10-Taraf Tajwal, 11-Karian, 12-Taraf Bajwal, 13-Changran, 14-Govindsar, 15-Chak Soon Noopa, 16-Khakhyal, 17-Mirpur Ram, 18-Taraf Balla, 20-Katharian, 21-Janglote, 22-Loagate, 23-Jakhbar, 24-Airwan, 26-Chak Sakta, 27-Budhi, 28-Nanan, 31-Barwal, 32-Jherhere, 33-Kathua Forest Block, 34-Kathua NAC, 35-Perlain and 25-Folote in Tehsil Kathua.
62.	Billawar	PCs 11-Katli, 17-Bhaya, 21-Denga Amb, 23-Dhamal, 25-Mangloor, 26-Chelakh, 27-Salain in Tehsil Hiranagar and PCs 1-Ramkot, 2-Makwal, 3-Salora, 4-Rajwla, 5-Danjisdhar, 6-Thara Kalwal, 7-Kalyal, 8-Thanthoo, 12-Kohag, 13-Malti, 14-Durang, 15-Dharan Kote, 16-Bhaddu, 17-Billawar, 18-Billawar NAC, 19-Buggan, 24-Parnala, 25-Pallan in Tehsil Billawar and PC 19-Juthana in Tehsil Kathua.
63.	Hiranagar (SC)	1-Jatwal, 2-Nonath, 3-Ghagwal, 4-Sarath, 5-Bhatyari Kotlan, 6-Sanoora, 7-Mawa, 8-Nohran, 9-Chachwal, 10-Sarti Kalan, 12-Chak Dulma, 13-Jondi, 14-Londi, 15-Rajpura, 16-Kootah, 18-Gurah Mathian, 19-Bavia, 20-Katal Brahmana, 24-Hamirpur, 28-Chhan Rorian, 29-Marheen, 22-Saiswan, 30-Khanpur, 31-Hiranagar, 32-Hiranagar NAC, 33-Pansar, 34-Kore Punu, 35-Chak Deva, 36-Chak Bhagwana, 37-Chak Kahna, 38-Chadwal, 39-Forest Block in Tehsil Hiranagar.
JAMMU DISTRICT		
64.	Samba (SC)	PCs 1-NAC Samba, 2-Samba Khas, 3-Taloor, 4-Amli, 5-Durin, 6-Katli, 7-Ram Nagar, 8-Pingdore, 11-Sunian, 10-Sarna, 12-Bhartgarh, 13-Suran, 14-Goran, 15-Balhter, 17-Katwala, 18-Kharah Madena, 21-Baghore, 22-Purmandal, 24-Mohar Garh, 25-Badhari, 26-Kard in Tehsil Samba and PC 28-Chaudi in Jammu Tehsil.
65.	Vijaypur	PCs 9-Khanpur, 20-Vijaypur, 23-Gurah Salathian, 28-Harmander, 29-Chak Salarian, 30-Nanga, 31-Logwal, 32-Keso Manhasan, 33-Ramgarh, 34-Gho-Brahmana, 35 Chak Chataka, 36-Chann Fatwal, 37-Abtal, 38-Swankha, 39-Mahal Shan, 40-Rari, 41-Smailpur, 27-Birpur, 42-Tarore, 43-Bagla, 44-Gandwal in Tehsil Samba.
66.	Nagrota	PCs 39-Ranjan, 40-Sarote, 41-Jandial, 42-Gorda, 44-Nagrota, 45-Dansal, 46-Jhajar Kotli, 47-Thara, 48-Bamyal, 49-Katal Batal, 50-Shiba, 51-Jagti, 52-Jindrah, 53-Kanyala, 54-Kothar, 55-Kharte, 56-Dhan, 57-Songoon, 58-Ponthal, 59-Surinsar in Tehsil Jammu and PCs 16-Bain Bajalta, 19-Aitham in Tehsil Samba.
67.	Gandhinagar	Ward-16 (Gandhinagar), Ward-17 (Naibasti), Ward-22 (Chhani Rama), Ward-23 (Bahu), 24-Digiana, 26-Bahu, 27-Sunjwan, 29-Gadigarh, 30-Satwari in Tehsil Jammu.
68.	Jammu East	Wards 1 to 6, 9, 10, 12 and 15.
69.	Jammu West	Wards 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20 and 21.
70.	Bishnah	All PCs in Tehsil Bishnah and 25-Naugran in Tehsil Jammu.
71.	R. S. Pura (SC)	PCs 1-Salhar, 2-Rathana, 3-Kandlihar, 4-Khour, 5-Kalyana, 14-R. S. Pura with NAC, 15-Khas Gigian, 16-Chohalla, 19-Kirpind, 20-Kotli Shah Dula, 25-Marlia, 24-Darsopur, 35-Gondla in Tehsil R. S. Pura.
72.	Suchetgarh	PCs 6-Dablihar, 7-Magowali, 8-Parlah, 9-Chak Baza, 10-Nekowal, 11-Jevroh, 12-Saie Kalan, 13-Chak Mulo, 17-Badyal Brahmana, 18-Jssore, 21-Chak Agra, 22-Fatehpur Brahmana, 25-Samka, 26-Baspu, 27-Rangpur Malana, 28-Suchetgarh, 29-Chandu Chak, 30-Satowali, 31-Grarana, 32-Badyal Qazian, 33-Abdal, 34-Chakroi in Tehsil R. S. Pura.
73.	Marh	PCs 60-Prahaladpur, 61-Mandal, 62-Sum, 65-Gho Manhasan, 66-Sohanjana, 67-Thub, 68-Sahran, 69-Rathua, 70-Chanore, 71-Makwal, 72-Gool, 74-Gajansoo, 75-Kalyanpur, 76-Kahnachak, 77-Marh, 78-Gangoo Chak, 79-Kalrup, 80-Dhateryal, 31-Flora Nagbani in Tehsil Jammu.

1	2	3
74.	Raipur Domana (SC)	PCs 31-Paloura, 32-Muthi, 33-Barn, 34-Siri Panditan, 35-Gharota, 36-Raipur Domana, 37-Kot Bhalwal, 38-Amb, 43-Kaink, 63-Hakkal, 64-Khandwal, 73-Bhadora, 82-Panjore in Tehsil Jammu.
75.	Akhnoor	PCs 1-Chowki, 2-Choura, 3-Kathar, 4-Mandarian, 8-Narri, 6-Ambaran, 7-Barui, 9-Ganderwan, 10-Manda, 11-Akhnoor Khas, 12-Sungal, 13-Pangairi, 14-Devipur, 15-Chak Kirpalpur, 16-Jadh, 17-Muthi Maira, 18-Rakh Dhoke, 19-Saliote, 20-Ghar Majoor, 21-Mawa Brahmana, 22-Leherian in Tehsil Akhnoor.
76.	Chhamb (SC)	PCs 8-Mattoo, 24-Gurah Manhasan, 25-Sarwal, 23-Pargwal, 26-Bhalwal Malu, 27-Hamirpur, 28-Bakore, 29-Chak Malal, 30-Derian, 31-Sainth, 32-Gigarial, 33-Khour, 34-Kot Mera, 35-Palanwala, 36-Kharah, 37-Nathal, 38-Doori, 39-Chhani Dewanoo, 40-Samuan, 41-Chakla in Tehsil Akhnoor.
RAJOURI DISTRICT		
77.	Nowshera	All PCs of Tehsil Nowshara except 11-Narian and all PCs of Tehsil Sunderbani.
78.	Darhal	All PCs of Tehsil Budhal except 3-Khawas, 6-Kote Chalwal and following PCs of Tehsil Thanamandi :— 5-Darhal, 6-Chowdian, 7-Nadian, 8-Ujhan ; and PC 4-Nagrota in Tehsil Rajouri.
79.	Rajouri	Following PCs of Tehsil Rajouri :— 1-Gambir Muglan, 2-Dani-Dhar, 7-Bathooni, 8-Sarola, 9-Sohana, 10-Doongi Brahmana, 11-Katarmal, 12-Deri Delote, 13-Panj Grain, 14-Galhoti, 15-Fatehpur, 17-Bagla, 19-Rampur with NAC Rajouri with following PCs of Thanamandi Tehsil:— 1-Dodasan Balla, 2-Saaj, 3-Shahdara Sharief, 4-Hosplote, 10-Thanamandi with NAC and 9-Bharote.
80.	Kalakote	All PCs of Tehsil Kalakote and following PCs of Tehsil Rajouri :— 2-Dalhari, 3-Dhangri, 6-Potha Grlana, 16-Khanpur Chingus, 18-Bhadoo and PC 11-Narian of Tehsil Nowshera ; and 3-Khaskote Chalwal of Budhal Tehsil.
POONCH DISTRICT		
81.	Surankote	All PCs in Surankote Tehsil and PCs 12-Rajpur, 21-Shindra, 22-Seri-Khawja in Poonch Tehsil.
82.	Mendhar	All PCs of Tehsil Mendhar.
83.	Poonch Haveli	All PCs of Tehsil Poonch except 12-Rajpur, 21-Shindra, 22-Sheri Khawja.

Note.—Any reference in this table to a Tehsil, Patwar Circle (P.C.), Ward or N.A.C. (Notified Area Committee) shall be taken to mean the area comprised within that Tehsil, Patwar Circle, Notified Area Committee or Ward as on 1-4-1995.

The Fourth Schedule*(See Sections 16, 24 and 54)***FORMS OF OATHS OR AFFIRMATIONS****I****FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY A CANDIDATE FOR ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR**

"I, A.B., having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly of _____ do swear in the name of God/ solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India."

II**FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY A MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR**

"I, A.B., having been elected (or nominated) a member of the Legislative Assembly of _____ do swear in the name of God/ solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter."

III**FORM OF OATH OF OFFICE FOR A MEMBER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR**

"I, A.B., _____ do swear in the name of God/ solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union territory of _____, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favour, affection or ill-will."

IV**FORM OF OATH OF SECRECY FOR A MEMBER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR**

"I, A.B., _____ do swear in the name of God/ solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union territory of _____, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister."

The Fifth Schedule
(See Sections 95 and 96)

TABLE - 1

**CENTRAL LAWS MADE APPLICABLE TO THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR; AND
UNION TERRITORY OF LADAKH**

S.No.	Name of the Act	Section/Amendments
1.	The Aadhar (Targeted Delivery of Financial and other subsidies, benefits and services) Act, 2016.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
2.	The Administrative Tribunal Act, 1985.	Clause (b) of sub-section (2) of section 1 shall be omitted.
3.	The Anand Marriage Act, 1951.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
4.	The Arbitration and Conciliation Act, 1996.	Proviso to sub-section (2) of section 1 shall be omitted.
5.	The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
6.	The Charitable Endowment Act, 1890.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
7.	The Chit Funds Act, 1982.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
8.	The Code of Civil Procedure, 1908.	Clause (a) of sub-section (3) of section 1 shall be omitted.
9.	The Code of Criminal Procedure, 1973.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
10.	The Commercial Courts Act, 2015.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
11.	The Commission for Protection of Child's Rights Act, 2006.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
12.	The Commission of Inquiry Act, 1952.	Proviso to sub-section (2) of section 1 shall be omitted.
13.	The Consumer Protection Act, 1986.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
14.	The Contempt of Courts Act, 1971.	Proviso to sub-section (2) of section 1 shall be omitted.
15.	The Delimitation Act, 2002.	Section 2(f) shall be omitted.
16.	The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
17.	The Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
18.	The Dowry Prohibition Act, 1961.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
19.	The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
20.	The Easements Act, 1891.	Extended as whole.

S.No.	Name of the Act	Section/Amendments
21.	The Electricity Act, 2003.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
22.	The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
23.	The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.	Extended as whole.
24.	The Enemy Property Act, 1968.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
25.	The Energy Conservation Act, 2001.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
26.	The Family Courts Act, 1984.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
27.	The Fatal Accidents Act, 1855.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
28.	The Forest (Conservation) Act, 1980.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
29.	The General Clauses Act, 1897.	Extended as whole.
30.	The Governors (Emoluments, Allowances & Privileges) Act, 1982.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
31.	The Gram Nyayalayas Act, 2009.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
32.	The Guardian & Wards Act, 1890.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
33.	The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
34.	The Hindu Disposition of Property Act, 1960.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
35.	The Hindu Marriage Act, 1955.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
36.	The Hindu Minority & Guardianship Act, 1956.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
37.	The Hindu Succession Act, 1956.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
38.	The Identification of Prisoners Act, 1920.	Extended as whole.
39.	The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
40.	The Indian Boilers Act, 1923.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
41.	The Indian Christian Marriage Act, 1872.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
42.	The Indian Contract Act, 1872.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.

S.No.	Name of the Act	Section/Amendments
43.	The Indian Easements Act, 1882.	Extended as whole.
44.	The Indian Evidence Act, 1872.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
45.	The Indian Forest Act, 1927.	Extended as whole.
46.	The Indian Nursing Council Act, 1947.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
47.	The Indian Partnership Act, 1932.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
48.	The Indian Penal Code, 1860.	In section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
49.	The Indian Stamp Act, 1899.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
50.	The Indian Succession Act, 1925.	Extended as whole.
51.	The Indian Trust Act, 1882.	In section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
52.	The Indian Veterinary Council Act, 1984.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
53.	The Judges (Protection) Act, 1985.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
54.	The Judicial Officers (Protection) Act, 1950.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
55.	The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
56.	The Legal Services Authorities Act, 1987.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
57.	The Limitation Act, 1963.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
58.	The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
59.	The Majority Act, 1875.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
60.	The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
61.	The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
62.	The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
63.	The National Commission for Minorities Act, 1992.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
64.	The National Commission for Minority Educational Institutes Act, 2005.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
65.	The National Commission for Safaikaramcharis Act, 1993.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.

S.No.	Name of the Act	Section/Amendments
66.	The National Commission for Women Act, 1990.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
67.	The National Council for Teacher Education Act, 1993.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
67-A	National Security Act, 1980	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
68.	The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
69.	The Oaths Act, 1969.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
70.	The Partition Act, 1893.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
71.	The Pharmacy Act, 1948.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
72.	The Powers of Attorney Act, 1882.	In section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
73.	The Preconception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
74.	The Prevention of Blackmarketing & Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
75.	The Prevention of Corruption Act, 1988.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
76.	The Prevention of cruelty to animals Act, 1960.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
77.	The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
78.	The Prisoners Act, 1900.	Extended as whole.
79.	The Prisons Act, 1894.	Extended as whole.
80.	The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
81.	The Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
82.	The Probation of Offenders Act, 1958.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
83.	The Prohibition of Child Marriage Act, 2007.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
84.	The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
85.	The Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.

S.No.	Name of the Act	Section/Amendments
86.	The Protection of Human Rights Act, 1994.	Proviso to sub-section (2) of section 1 shall be omitted.
87.	The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
88.	The Public Gambling Act, 1867.	Extended as whole.
89.	The Public Records Act, 1993.	Extended as whole.
90.	The Registration Act, 1908.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
91.	The Religious Endowments Act, 1863.	Extended as whole.
92.	The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
93.	The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
94.	The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
94A.	The Representation of People Act, 1951.	In Section (2), (i) In sub-section (1) Clause (d) the words "other than the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted; and (ii) Sub-section (5) shall be omitted.
95.	The Right to Information Act, 2005.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
96.	The Sale of Goods Act, 1930.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
97.	The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act, 2007.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
98.	The Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
99.	The Special Marriage Act, 1954.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
100.	The Specific Relief Act, 1963.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
101.	The Suits Valuation Act, 1887.	Extended as whole.
102.	The Transfer of Property Act, 1882.	Extended as whole.
103.	The Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994.	Extended as whole.
104.	The Wakf Act, 1995.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
105.	The Whistle Blowers Protection Act, 2014.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.
106.	The Wild Life (Protection) Act, 1972.	In sub-section (2) of section 1, words, "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.

TABLE - 2

STATE LAWS WHICH SHALL BE APPLICABLE TO THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR AND UNION TERRITORY OF LADAKH WITH AMENDMENTS

S.No.	Year	No.	Short title	Amendments
1	2	3	4	5
1.	Svt 1977 (1920 AD)	XLII	The Transfer of Property Act	Section 139 and section 140 shall be omitted.
2.	Svt 1995 (1938 AD)	V	The Jammu and Kashmir Alienation of Land Act	Section 4 and section 4-A shall be omitted;
3.	Svt 2007 (1950 AD)	XVII	The Jammu and Kashmir Big Landed Estates Abolition Act	Section 20-A shall be omitted.
4.	1960	XXXVIII	The Jammu and Kashmir Land Grants Act	A. Provisos to sub-section 1 of section 4 shall be omitted; and B. Clause (i) of sub-section 2 of section 4 shall be omitted.
5.	1976	XVII	The Jammu and Kashmir Agrarian Reforms Act	Section 17 shall be omitted.
6.	1989	X	The Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act	Sub-Clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 17 shall be omitted.
7.	2004	XIV	The Jammu and Kashmir Reservation Act	A. In section 2 after clause (g), the following clause shall be inserted namely:— <p>"(ga) "economically weaker sections" means such categories as may be notified by the Government from time to time, on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage, other than the classes or categories defined in clauses (m), (n) and (o)";</p> <p>B. In section 3, in sub-section (1),—</p> <p>(i) in clause (a), the word "and" occurring at the end shall be omitted;</p> <p>(ii) in clause (b), for the words "backward classes:", the words "backward classes; and" shall be substituted;</p> <p>(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—</p> <p>"(c) economically weaker sections:";</p> <p>(iv) in the first proviso, for the words "the total percentage of reservation", the words, brackets and letters "the total percentage of reservation provided in clauses (a) and (b)" shall be substituted;</p> <p>(v) in the second proviso, for the words "Provided further that", the following shall be substituted, namely:—</p>

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

"Provided further that the reservation in appointments in favour of the persons belonging to economically weaker sections shall be in addition to the existing reservation as provided in this sub-section and shall be subject to a maximum of ten per cent. of the posts in each category:

Provided also that".

C. In section 9, in sub-section (1),—

(i) for the portion beginning with "shall reserve" and ending with "from time to time;", the following shall be substituted, namely:—

"shall reserve seats in the Professional Institutions for candidates belonging to,—

(a) reserved categories and such other classes or categories as may be notified from time to time; and

(b) economically weaker sections:";

(ii) in the proviso, for the words "the total percentage of reservation", the words, brackets and letter "the total percentage of reservation provided in clause (a)" shall be substituted;

(iii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the reservation in the Professional Institutions in favour of the persons belonging to economically weaker sections shall be in addition to the existing reservation as provided in this sub-section and shall be subject to a maximum of ten per cent. of the seats in each category."

TABLE - 3

**STATE LAWS INCLUDING GOVERNOR'S ACTS WHICH ARE REPEALED IN UNION TERRITORY OF
JAMMU AND KASHMIR; AND UNION TERRITORY OF LADAKH**

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
1.	The Jammu and Kashmir Accountability Commission Act, 2002.	XXXVIII of 2002
2.	The Jammu and Kashmir Advocates Welfare Fund Act, 1997.	XXVI of 1997
3.	The Jammu and Kashmir Agricultural Income Tax Act, 1962.	XXI of 1962
4.	The Jammu and Kashmir [State] Agricultural Produce Marketing Regulation Act, 1997.	XXXVI of 1997
5.	The Jammu and Kashmir Anand Marriage Act, 1954.	IX of 2011
6.	The Jammu and Kashmir Animal Diseases (Control) Act, 1949.	XV of 2006
7.	The Jammu and Kashmir Apartment Ownership Act, 1989.	I of 1989
8.	The Jammu and Kashmir Arbitration and Conciliation Act, 1997.	XXXV of 1997
9.	The Jammu and Kashmir Arya Samajist Marriages (Validation) Act, 1942.	III of Svt. 1999
10.	The Jammu and Kashmir Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1959.	XXVI of 1959
11.	The Jammu and Kashmir Banker's Books Evidence Act, 1920.	VI of 1977
12.	The Jammu and Kashmir Benami Transactions (Prohibition) Act, 2010.	V of 2010
13.	The Jammu and Kashmir Boilers Act, Samvat, 1991.	IV of Svt. 1991
14.	Buddhists Polyandrous Marriages Prohibition Act, 1941.	II of 1998
15.	The Jammu and Kashmir Cattle Trespass Act, 1920.	VII of 1977
16.	The Jammu and Kashmir Charitable Endowments Act, 1989.	XIV of 1989
17.	The Jammu and Kashmir Chit Funds Act, 2016.	XI of 2016
18.	The Jammu and Kashmir Christian Marriage and Divorce Act, 1957.	III of 1957
19.	The Jammu and Kashmir Cinematograph Act, 1933.	XXIV of 1989
20.	Code of Civil Procedure, Samvat 1977.	X of Svt. 1977
21.	Code of Criminal Procedure, Samvat 1989.	XXIII of Svt. 1989
22.	The Jammu and Kashmir Collection of Statistics Act, 2010.	XVIII of 2010
23.	The Jammu and Kashmir [State] Commission for Women Act, 1999.	V of 1999
24.	The Jammu and Kashmir Commission of Inquiry Act, 1962.	XXXII of 1962
25.	The Jammu and Kashmir Consumer Protection Act, 1987.	XIVI of 1987
26.	The Jammu and Kashmir Contempt of Courts Act, 1997.	XXV of 1997
27.	The Jammu and Kashmir Contingency Fund Act, 1957.	XXIV of 1957
28.	The Jammu and Kashmir Contract Act, Samvat 1977.	IX of Svt. 1977
29.	The Jammu and Kashmir Court Fees Act, Samvat 1977.	VII of Svt. 1977
30.	The Jammu and Kashmir Court of Wards Act, Samvat 1977.	LII of Svt. 1977

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
31.	The Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, Svt 1993.	I of Svt. 1993
32.	The Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1958.	III of 1958
33.	The Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983.	X of 1983
34.	The Jammu and Kashmir Customs Act, Svt 1958.	VIII of Svt. 1958
35.	The Jammu and Kashmir Dehi Adalats Act, 2013.	XV of 2013
36.	The Jammu and Kashmir Destruction of Records Act, 1920.	XII of 1977
37.	The Jammu and Kashmir Displaced Persons (Permanent Settlement) Act, 1971.	X of 1971
38.	The Jammu and Kashmir Dissolution of Muslim Marriages Act, 1942.	X of Svt. 1999
39.	The Jammu and Kashmir Dowry Restraint Act, 1960.	XXXVI of 1960
40.	The Jammu and Kashmir Easements Act, 1920.	XIV of Svt. 1977
41.	The Jammu and Kashmir Electricity Act, 2010.	XIII of 2010
42.	The Jammu and Kashmir Electricity (Duty) Act, 1963.	XI of 1963
43.	The Jammu and Kashmir Employees Provident Funds (And) Miscellaneous Provisions Act, 1961.	XV of 1961
44.	The Jammu and Kashmir Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 2010.	XIX of 2010
45.	The Jammu and Kashmir Energy Conservation Act, 2011.	XIV of 2011
46.	The Jammu and Kashmir Epidemic Diseases Act, 1920.	XVI of 1977
47.	(State) Evacuees (Administration of Property) (Validation of Orders, Proceedings and Acts) Act, 1958.	IV of 1958
48.	The Jammu and Kashmir Evidence Act, Samvat 1977 (1920 A.D).	XIII of Svt. 1977
49.	The Jammu and Kashmir Fatal Accidents Act, Samvat 1977.	XVII of Svt. 1977
50.	The Jammu and Kashmir Forest Act, Samvat 1987.	II of Svt. 1987
51.	The Jammu and Kashmir Forest (Conservation) Act, 1997.	XXX of 1997
52.	The Jammu and Kashmir Forest (Sale of Timber) Act, Samvat 1987.	III of Svt. 1987
53.	The Jammu and Kashmir General Clauses Act, Samvat 1977.	XX of Svt. 1977
54.	The Jammu and Kashmir Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1978.	VII of 1978
55.	Government Servants (Held in Detention) Act, 1956.	XV of 1956
56.	The Jammu and Kashmir Grant of Permit for Resettlement in (or Permanent Return to) the State Act, 1982.	X of 1982
57.	The Jammu and Kashmir Guardians and Wards Act, Samvat 1977.	XIX of Svt. 1977
58.	The Jammu and Kashmir Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1960.	II of 1960
59.	The Jammu and Kashmir Hindu Disposition of Property Act, Samvat 1997.	XVI of Svt. 1997
60.	The Jammu and Kashmir Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, Samvat 1997.	XVIII of Svt. 1997
61.	The Jammu and Kashmir Hindu Marriage Act, 1980.	IV of 1980
62.	The Jammu and Kashmir Hindu Marriage (Validation of Proceedings) Act, 1963.	XVI of 1963

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
63.	The Jammu and Kashmir Hindu Minority and Guardianship Act, 1957.	VII of 1957
64.	The Jammu and Kashmir Hindu Succession Act, 1956.	XXXVIII of 1956
65.	The Jammu and Kashmir Hindu Widows Remarriage and Property Act, Samvat 1989.	XXIX of Svt. 1989
66.	The Jammu and Kashmir Homeopathic Practitioner Act, 2003.	VIII of 2003
67.	The Jammu and Kashmir Identification of Prisoners Act, Samvat 1994.	IV of Svt. 1994
68.	The Jammu and Kashmir Infant Marriages Prevention Act, Samvat 1985.	I of Svt. 1985
69.	Instruments (Control of Noises) Act, 1959.	VII of 1959
70.	Judicial Officers Protection Act, 1971.	
71.	The Jammu and Kashmir Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2013.	VII of 2013
72.	The Jammu and Kashmir Juvenile Smoking Act, Samvat 1986.	II of Svt. 1986
73.	Land Acquisition Act, Samvat 1990.	X of Svt. 1990
74.	Legal Practitioners (Fees) Act, Samvat 1988.	VII of Svt. 1988
75.	The Jammu and Kashmir Legal Representatives Suits Act, Samvat 1977.	XXII of Svt. 1977
76.	The Jammu and Kashmir Legal Services Authorities Act, 1997.	XXXIII of 1997
77.	The Jammu and Kashmir Limitation Act, Samvat 1995.	IX of Svt. 1995
78.	The Jammu and Kashmir Livestock Improvement Act, Samvat 1996.	XXIII of Svt. 1996
79.	The Jammu and Kashmir Local Authorities Loans Act, Samvat 1997.	VI of Svt. 1997
80.	The Jammu and Kashmir Lunacy Act, Samvat 1977.	XXV of Svt. 1997
81.	The Jammu and Kashmir Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2014.	XVI of 2014
82.	The Jammu and Kashmir Majority Act, Samvat 1977.	XXVI of Svt. 1977
83.	The Jammu and Kashmir Medical Registration Act, Samvat 1998.	IV of Svt. 1998
84.	The Jammu and Kashmir Medical Termination of Pregnancy Act, 1974.	XXIII of 1974
85.	The Jammu and Kashmir Muslim Dower Act, Samvat 1977.	XLIV of Svt. 1977
86.	The Jammu and Kashmir Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 2007.	IV of 2007
87.	The Jammu and Kashmir Muslim Specified Wakafs and Specified Wakaf Properties (Management and Regulation) Act, 2004.	VIII of 2004
88.	The Jammu and Kashmir Nationalization of Forest Working Act, 1987.	VII of 1987
89.	(State) Newspapers (Incitements to Offences) Act, Svt 1971.	VIV of Svt. 1971
90.	The Jammu and Kashmir Nursing Council Act, 2012.	IV of 2012
91.	The Jammu and Kashmir Nursing Homes and Clinical Establishments (Registration and Licensing) Act, 1963.	XXXIX of 1963
92.	Official Secrets Act, Samvat 1977.	XLIII of Svt. 1977
93.	Opium Smoking Act, Samvat 2011.	XXXII of Svt. 2011
94.	Essential Services (Maintenance) Ordinance, Samvat 2001.	IX of Svt. 2001
95.	Hoarding and Profiteering Prevention Ordinance, Samvat 2000.	XIX of Svt. 2000

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
96.	Police Enhanced Penalties Ordinance, Samvat 2005.	III of Svt. 2005
97.	Prevention of Corruption Ordinance, 2001.	IV of Svt. 2001
98.	The Jammu and Kashmir Public Servants Transfer of Immovable Property (Restriction) Ordinance, 2004.	XXX of Svt. 2004
99.	The Jammu and Kashmir Partition Act, Samvat 1977.	XXX of Svt. 1977
100.	The Jammu and Kashmir Partnership Act, Samvat 1996.	V of Svt. 1996
101.	The Jammu and Kashmir Permanent Residents Certificate (Procedure) Act, 1963.	XIII of 1963
102.	The Jammu and Kashmir Pharmacy Act, Samvat 2011.	LIII of Svt. 2011
103.	The Jammu and Kashmir Poisons Act, Samvat 1977.	XXXIV of Svt. 1977
104.	The Jammu and Kashmir Preconception and Prenatal Sex Selection (Prohibition and Regulation) Act, 2002.	XXXI of 2002
105.	(State) Press and Publications Act, Svt 1989.	I of Svt. 1989
106.	The Jammu and Kashmir Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1988.	XXV of 1988
107.	The Jammu and Kashmir Prevention of Corruption Act, Samvat 2006.	XIII of Svt. 2006
108.	The Jammu and Kashmir Prevention of Cruelty to Animals Act, Samvat 1990.	XIII of Svt. 1990
109.	The Jammu and Kashmir Prevention of Defacement of Property Act, 1985.	XIX of 1985
110.	The Jammu and Kashmir Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.	XXIII of 1988
111.	The Jammu and Kashmir Prevention of Insult to State Honour Act, 1979.	X of 1979
112.	The Jammu and Kashmir Prisoners Act, Svt 1977.	XXXIII of Svt. 1977
113.	The Jammu and Kashmir Prisons Act, Svt 1977.	XXXI of Svt. 1977
114.	The Jammu and Kashmir Private Security Agencies (Regulation) Act, 2015.	IX of 2015
115.	The Jammu and Kashmir Prize Competition Act, 1956.	XII of 1956
116.	The Jammu and Kashmir Probation of Offenders Act, 1966.	XXXVII of 1966
117.	The Jammu and Kashmir Protection of Human Rights Act, 1997.	XV of 1997
118.	The Jammu and Kashmir Protection of Women from Domestic Violence Act, 2010.	XI of 2010
119.	The Jammu and Kashmir Provident Funds Act, Svt 1998.	XXII of Svt. 1998
120.	The Jammu and Kashmir Public Gambling Act, Svt 1977.	XVIII of Svt. 1977
121.	The Jammu and Kashmir Public Property (Prevention of Damage) Act, 1985.	XX of 1985
122.	The Jammu and Kashmir Public Servants (Inquiries) Act, Svt 1977.	XXVIII of Svt. 1977
123.	(State) Ranbir Penal Code, Samvat 1989.	XII of Svt. 1989
124.	The Jammu and Kashmir Registration Act, Svt. 1977.	XXXV of Svt. 1977
125.	The Jammu and Kashmir Registration (Amendment and Validation of Transfers of property) Act, 1955.	VI of 1955
126.	Registration of Deeds (Validating) Act, Samvat 2008.	VI of Svt. 2008
127.	Registration of Deeds (Validation) Act, 1956.	XXI of 1956

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
128.	Registration of Deeds (Validating) Act, 1968.	XXXIII of 1968
129.	Registration of Deeds (Validation) Act, 1976.	I of 1976
130.	Registration of Deeds (Validation) Act, 1985.	IX of 1985
131.	The Jammu and Kashmir Religious Endowments Act, Svt 1977.	L of Svt. 1977
132.	The Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957.	IV of 1957
133.	The Jammu and Kashmir Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1968.	XXXV of 1968
134.	The Jammu and Kashmir Right to Information Act, 2009.	VIII of 2009
135.	The Jammu and Kashmir Sale of Goods Act, Svt 1996.	II of 1996
136.	Separation of Judicial and Executive Functions Act, 1966.	XL of 1966
137.	The Jammu and Kashmir Small Causes Court Act, Svt 1968.	
138.	Societies Registration Act, Svt 1998.	VI of Svt. 1998
139.	The Jammu and Kashmir Specific Relief Act, Svt 1977.	XXXVIII of Svt. 1977
140.	The Jammu and Kashmir Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1997.	XXXVII of 1997
141.	The Jammu and Kashmir Succession Certificate Act, Svt 1977.	XXXIX of Svt. 1977
142.	Succession (Property Protection) Act, Svt 1977.	XXXVI of Svt. 1977
143.	The Jammu and Kashmir Suits Valuation Act, Svt 1977.	XXXVII of Svt. 1977
144.	The Jammu and Kashmir Suppression of Indecent Advertisements Act, Svt 2003.	IX of Svt. 2003
145.	The Jammu and Kashmir Transfer of Property Act, Svt 1977.	XLII of Svt. 1977
146.	The Jammu and Kashmir Transplantation of Human Organs Act, 1997.	III of 1997
147.	The Jammu and Kashmir Trusts Act, Svt 1977.	XLI of Svt. 1977
148.	The Jammu and Kashmir Venereal Diseases Act, Svt 2000.	XXI of Svt. 2000
149.	Veterinary Council Act, 2001.	XXI of 2001
150.	The Jammu and Kashmir [State] Village and Town Patrol Act, 1959.	XXIV of 1959
151.	The Jammu and Kashmir Village Sanitation Act, Svt. 1990.	V of Svt. 1990
152.	The Jammu and Kashmir Wakafs Act, 2001.	III of 2001
153.	The Jammu and Kashmir Wildlife (Protection) Act, 1978.	VIII of 1978

S.No.	Name of the Governor's Act	Governor's Act No.
1.	The Jammu and Kashmir State Trust for Welfare of Persons with Autism Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 2018.	VI of 2018
2.	The Jammu and Kashmir Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 2018.	VIII of 2018
3.	The Jammu and Kashmir Single Window (Industrial Investment and Business Facilitation) Act, 2018.	X of 2018
4.	The Jammu and Kashmir Commercial Courts Act, 2018.	XIII of 2018
5.	The Jammu and Kashmir Family Courts Act, 2018.	XXIV of 2018
6.	The Jammu and Kashmir Aadhar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2018.	XXXIV of 2018
7.	The Jammu and Kashmir Protection of Children From Sexual Violence Act, 2018.	II of 2018
8.	The Jammu and Kashmir Rights of Persons with Disabilities Act, 2018.	XL of 2018
9.	The Jammu and Kashmir Prohibition of Benami Property Transactions Act, 2018.	XLIII of 2018
10.	The Jammu and Kashmir State Commission for Protection of Women and Child Rights Act, 2018.	XLVI of 2018
11.	The Jammu and Kashmir Real Estate (Regulation and Development) Act, 2018.	LIII of 2018

TABLE - 4

**STATE ACTS INCLUDING GOVERNOR'S ACTS THAT SHALL REMAIN IN FORCE IN
UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR; AND UNION TERRITORY OF LADAKH**

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
1.	The Jammu and Kashmir Aerial Ropeways Act, 2002	XII of 2002
2.	The Jammu and Kashmir Agrarian Reforms Act, 1976	XVII of 1976
3.	Agriculturists' Relief Act, Svt. 1983	I of Svt. 1983
4.	The Jammu and Kashmir Government Aid to Agriculturists and Land Improvement Act, Svt. 1993	VII of Svt. 1993
5.	The Jammu and Kashmir State Aid to Industries Act 1961	XXII of 1961
6.	The Jammu and Kashmir Alienation of Land Act, Svt. 1995	V of Svt. 1995
7.	The Jammu and Kashmir Anatomy Act, 1959	XXII of 1959
8.	The Jammu and Kashmir Ancient Monuments Preservation Act, Svt. 1977	V of Svt 1977
9.	The Jammu and Kashmir Baba Ghulam Shah Badshah University Act, 2002	XVI of 2002
10.	The Jammu and Kashmir Big Landed Estates Abolition Act, Svt. 2007	XVII of Svt. 2007
11.	The Jammu and Kashmir Board of Professional Entrance Examination Act, 2002	XXV of 2002
12.	The Jammu and Kashmir Board of School Education Act, 1975	XXVIII of 1975
13.	The Jammu and Kashmir State Board of Technical Education Act, 2002	XXIV of 2002
14.	The Jammu and Kashmir Brick Kilns (Regulation) Act, 2010	XV II of 2010
15.	Camping and Mooring Sites Act, Svt. 2004	XII of Svt.2004
16.	The Jammu and Kashmir Chowkidari Act, 1956	XXXVII of 1956
17.	The Jammu and Kashmir Civic Laws (Special Provisions) Act, 2014	III of 2014
18.	The Jammu and Kashmir Civil Courts Act, Svt. 1977	XLVI of Svt.1977
19.	The Jammu and Kashmir Civil Services (Decentralization and Recruitment) Act, 2010	XVI of 2010
20.	The Jammu and Kashmir Civil Services (Special Provisions) Act, 2010	XIV of 2010
21.	The Srinagar and Jammu Cluster Universities Act, 2016.	III of 2016
22.	The Jammu and Kashmir State Commission for Backward Classes Act, 1997	XII of 1997
23.	The Jammu and Kashmir Common Lands (Regulation) Act, 1956	XXIV of 1956
24.	The Jammu and Kashmir Consolidation of Holdings Act, 1962	V of 1962
25.	The Jammu and Kashmir Control of Building Operations Act, 1988	XV of 1988
26.	The Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act, 1989.	X of 1989
27.	The Jammu and Kashmir Debtors Relief Act, 1976	XV of 1976
28.	The Jammu and Kashmir Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1961	XIII of 1961
29.	The Jammu and Kashmir Deputy Ministers' Salaries and Allowances Act, 1957	VI of 1957

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
30.	The Jammu and Kashmir Deputy Speaker's and Deputy Chairman's (Emoluments) Act, 1956	XXII of 1956
31.	The Jammu and Kashmir Development Act, 1970	XIX of 1970
32.	The Jammu and Kashmir Egress and Internal Movement (Control) Ordinance, Svt.2005.	V of Svt.2005
33.	The Jammu and Kashmir Enemy Agents Ordinance, Svt.2005.	VIII of Svt.2005
34.	The Jammu and Kashmir State Emergency Relief Fund Act, 1960	XIII of 1960
35.	The Jammu and Kashmir Excise Act, Samvat 1958	--
36.	The Jammu and Kashmir Extraction of Resin Act, 1988.	IX of 1988
37.	The Jammu and Kashmir State Evacuees (Administration of Property) Act, Samvat 2006 (1949 A.D).	VI of Svt. 2006
38.	The Jammu and Kashmir Ferry Boats Control Act, 1971.	XVIII of 1971
39.	The Jammu and Kashmir State Finance Commission Act, 2006	XVIII of 2006
40.	The Jammu and Kashmir Finance Commission for Panchayats and Municipalities Act, 2011	XVI of 2011
41.	The Jammu and Kashmir Fire Force Act, 1967.	XXII of 1967
42.	The Jammu and Kashmir Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006.	XII of 2006
43.	The Jammu and Kashmir Fisheries Act, 2018.	XVI of 2018
44.	The Jammu and Kashmir Flood Plain Zones (Regulation and Development) Act, 2005.	XVII of 2005
45.	The Jammu and Kashmir State Forest Corporation Act, 1978.	XII of 1978
46.	The Jammu and Kashmir Forest (Protection) Force Act, 2001.	VI of 2001
47.	The Jammu and Kashmir Fruit Nurseries (Licensing) Act, 1987.	XXII of 1987
48.	The Jammu and Kashmir Gift Goods (Unlawful Possession) Act, 1963.	XL of 1963
49.	The Jammu and Kashmir Golf Development and Management Authority Act, 2013.	VIII of 2013
50.	The Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act, 2017.	V of 2017
51.	The Jammu and Kashmir Government Gazette Act, Svt. 1945.	XII of Svt. 1945
52.	The Jammu and Kashmir Governor's Special Security Force Act, 2018	Governors Act No.XLII of 2018
53.	The Jammu and Kashmir Habitual Offenders (Control and Reform) Act, 1956.	XI of 1956
54.	The Jammu and Kashmir Handicrafts (Quality Control) Act, 1978.	IV of 1978
55.	The Jammu and Kashmir Heritage Conservation and Preservation Act, 2010.	XV of 2010
56.	The Jammu and Kashmir Highways Act, Svt. 2007.	XXVII of Svt. 2007
57.	The Jammu and Kashmir Home Guards Act, Svt. 2006.	III of Svt. 2006
58.	The Jammu and Kashmir Housing Board Act, 1976.	VII of 1976
59.	The Jammu and Kashmir Industrial Establishments (National and Festival) Holidays Act, 1974.	XIII of 1974
60.	The Jammu and Kashmir Inspector General of Prisons (Change in Designation) Act, 2001.	XIII of 2001

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
61.	The Jammu and Kashmir Islamic University of Science and Technology Kashmir Act, 2005.	XVIII of 2005
62.	The Jammu and Kashmir Kahcharai Act, Svt. 2011.	XVIII of Svt. 2011
63.	Kashmir and Jammu Universities Act, 1969.	XXIV of 1969
64.	Kashmir Silk Protection Act, 1964.	
65.	The Jammu and Kashmir Khadi and Village Industries Board Act, 1965.	XVI of 1965
66.	Ladakh Autonomous Hill Development Council Act, 1997.	XXXI of 1997
67.	Ladakh Buddhists Succession to Property Act, Svt. 2000.	XVIII of Svt. 2000
68.	The Jammu and Kashmir Lambardari Act, 1972.	X of 1972
69.	The Jammu and Kashmir Land Grants Act, 1960.	XXXVIII of 1960
70.	The Jammu and Kashmir Land Improvement Schemes Act, 1972.	XXIV of 1972
71.	The Jammu and Kashmir Land Revenue Act, Svt. 1996.	XII of Svt. 1996
72.	The Jammu and Kashmir Legislative Assembly Speaker's Emoluments Act, 1956.	IV of 1956
73.	The Jammu and Kashmir Legislative Council Chairman's (Emoluments) Act, 1962.	XXVIII of 1962
74.	The Jammu and Kashmir State Legislature Members' Pension Act, 1984.	II of 1984
75.	The Jammu and Kashmir Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1962.	XVI of 1962
76.	The Jammu and Kashmir State Legislature Proceedings (Protection of Publication) Act, 1960.	XXXVII of 1960
77.	Levy of Tolls Act, Svt. 1995.	VIII of Svt. 1995
78.	The Jammu and Kashmir Migrant Immovable Property (Preservation, Protection and Restraint on Distress Sales) Act, 1997.	XVI of 1997
79.	The Jammu and Kashmir Migrants (Stay of Proceedings) Act, 1997.	XVII of 1997
80.	The Jammu and Kashmir Ministers and Ministers of State Salaries Act, 1956.	VI of 1956
81.	The Jammu and Kashmir Ministers and Presiding Officers Medical Facilities Act, 1975.	XXII of 1975
82.	The Jammu and Kashmir Money Lenders and Accredited Loan Providers Act, 2010.	XXIII of 2010
83.	The Jammu and Kashmir Motor Spirit and Diesel Oil (Taxation of Sales) Act, Svt. 2005.	V of Svt. 2005
84.	The Jammu and Kashmir Motor Vehicles Taxation Act, 1957.	XXVI of 1957
85.	The Jammu and Kashmir Mulberry Protection Act, Svt. 2006.	X of Svt. 2006
86.	The Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000.	XX of 2000
87.	The Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act, 2000.	XXI of 2000
88.	The Jammu and Kashmir Municipal Ombudsman Act, 2010.	XX of 2010
89.	The Jammu and Kashmir Municipalities Public Disclosure Act, 2010.	XXIV of 2010
90.	The Jammu and Kashmir Muslim Marriages Registration Act, 1981.	XXII of 1981
91.	The Jammu and Kashmir Namdha Quality Control Act, Svt. 2010.	VI of Svt. 2010
92.	National Defence Fund Donation of Immovable Property (Exemption from Stamp Duty and Registration) Act, 1963.	V of 1963

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
93.	The Jammu and Kashmir Natural Calamities Destroyed Areas Improvement Act, Svt. 2011.	XXXVIII of Svt. 2011
94.	The Jammu and Kashmir Non-Biodegradable Material (Management) Handling and Disposal Act, 2007.	XII of 2007
95.	The Jammu and Kashmir Obsolete Laws (Repeal) Act, 2010.	XXVII of 2010
96.	The Jammu and Kashmir Ombudsman for Panchayats Act, 2014.	V of 2014
97.	The Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989.	IX of 1989
98.	The Jammu and Kashmir Paramedical Council Act, 2014.	VII of 2014
99.	The Jammu and Kashmir Passengers Taxation Act, 1963.	XII of 1963
100.	The Jammu and Kashmir Plant Disease and Pests Act, 1973.	XIV of 1973
101.	Plyboard Industries (Acquisition of Shares and of the Industrial Undertakings) Act, 1987.	VI of 1987
102.	Police Act, Svt. 1983.	II of Svt. 1983
103.	The Jammu and Kashmir Preservation of Specified Trees Act, 1969	V of 1969
104.	The Jammu and Kashmir Prevention of Beggary Act, 1960.	XL of 1960
105.	The Jammu and Kashmir Prevention of Fragmentation of Agricultural Holdings Act, 1960.	XXV of 1960
106.	Prevention of Ribbon Development Act, Svt. 2007.	XXVI of Svt. 2007
107.	Prevention of Rum Rasum Act, Svt. 1997.	I of Svt. 1997
108.	The Jammu and Kashmir Prevention and Suppression of Sabotages Activities Act, 1965.	XXII of 1965
109.	The Jammu and Kashmir Prevention of Unfair Means Examination Act, 1987.	XX of 1987
110.	The Jammu and Kashmir Private Colleges (Regulation and Control) Act, 2002	XXII of 2002
111.	Probate and Administration Act, Svt. 1977.	XXIX of Svt. 1977
112.	The Jammu and Kashmir Professions, Trades, Callings and Employment Tax Act, 2005.	IX of 2005
113.	The Jammu and Kashmir Prohibition on Conversion of Land and Alienation of Orchards Act, 1975.	VIII of 1975
114.	The Jammu and Kashmir Prohibition on Manufacture of Specified Copper Utensils (By Machine) Act, 2006.	XIII of 2006
115.	The Jammu and Kashmir Prohibition of Ragging Act, 2011.	VI of 2011
116.	The Jammu and Kashmir State Prohibition of Smoking (Cinema and Theatre Halls) Act, Svt. 2009.	XVIII of Svt. 2009
117.	The Jammu and Kashmir Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection in Public Service Vehicles Act, 1997.	XX of 1997
118.	The Jammu and Kashmir Property Rights to Slum Dwellers Act, 2012.	XI of 2012
119.	The Jammu and Kashmir Property Tax Board Act, 2013.	XI of 2013
120.	The Jammu and Kashmir Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2018.	XIII of 2018

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
121.	The Jammu and Kashmir Public Men and Public Servants Declaration of Assets and Other Provisions Act, 1983.	V of 1983
122.	The Jammu and Kashmir Public Premises (Eviction of Un-authorised Occupants) Act, 1988.	XVII of 1988
123.	The Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978.	VI of 1978
124.	The Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act, 2011.	IX of 2011
125.	The Jammu and Kashmir Registration of Contractors Act, 1956.	XVI of 1956
126.	The Jammu and Kashmir Registration of Tourist Trade Act, 1978.	IX of 1978
127.	The Jammu and Kashmir Regulation of Accounts Act, Svt. 2001.	XIV of Svt. 2001
128.	The Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004.	XIV of 2004
129.	The Jammu and Kashmir Residential and Commercial Tenancy Act, 2012.	V of 2012
130.	The Jammu and Kashmir Restitution of Mortgaged Properties Act, 1976.	XIV of 1976
131.	The Jammu and Kashmir Right of Prior Purchase Act, Svt. 1993.	II of Svt. 1993
132.	The Jammu and Kashmir Road Safety Council Act, 2018.	V of 2018
133.	The Jammu and Kashmir Saffron Act, 2007.	V of 2007
134.	Salaries and Allowances of Members of Jammu and Kashmir State Legislature Act, 1960.	XIX of 1960
135.	Salaries and Allowances of Leader of Opposition in the State Legislature Act, 1985.	XVI of 1985
136.	The Sapphire Act, Svt. 1989.	XVI of Svt. 1989
137.	The Jammu and Kashmir School Education Act, 2002.	XXI of 2002
138.	The Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperatives Act, 1999.	X of 1999
139.	The Jammu and Kashmir State Sheep and Sheep Products Development Board Act, 1979.	IX of 1979
140.	Sher-i-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology Act, 1982.	VII of 1982
141.	Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences (Grant of Degrees) Act, 1983.	XII of 1983
142.	The Jammu and Kashmir Shri Amarnath Ji Shrine Act, 2000.	XVIII of 2000
143.	The Jammu and Kashmir Shri Mata Sukhrala Devi Ji and Shri Mata Bala Sundari Shrine Act, 2013.	III of 2013
144.	The Jammu and Kashmir Shri Mata Vaishno Devi Shrine Act, 1988.	XVI of 1988
145.	The Jammu and Kashmir Shri Mata Vaishno Devi University Act, 1999.	XII of 1999
146.	The Jammu and Kashmir Shri Shiv Khori Shrine Act, 2008.	IV of 2008
147.	The Jammu and Kashmir Sikh Gurdwaras and Religious Endowments Act, 1973.	XV of 1973
148.	The Jammu and Kashmir Silk (Development and Protection) Act, 1988.	XXVIII of 1988
149.	The Jammu and Kashmir Special Security Group Act, 2000.	VI of 2000
150.	The Jammu and Kashmir Special Tribunal Act, 1988.	XIX of 1988
151.	Stamp Act, Svt. 1977.	XL of Svt. 1977
152.	The Jammu and Kashmir Tenancy Act, Svt. 1980.	II of Svt. 1980

S.No.	Name of the Act	Act/Ordinance No.
153.	The Jammu and Kashmir Tenancy (Stay of Ejectment Proceedings) Act, 1966.	XXXIII of 1966
154.	The Jammu and Kashmir State Town Planning Act, 1963.	XX of 1963
155.	The Jammu and Kashmir Treasure Trove Act, Svt. 1954.	---
156.	The Jammu and Kashmir Underground Public Utilities (Acquisition of Rights of User in Land) Act, 2014.	IV of 2014
157.	Urban Immovable Property Tax (Repeal and Saving) Act, 2002.	XXVIII of 2002
158.	The University of Ladakh Act, 2018.	Governor's Act No. LVI of 2018
159.	The Jammu and Kashmir Urban Property (Ceiling) Act, 1971.	XII of 1971
160.	Usurious Loans Act, Svt. 1977.	XLVII of Svt. 1977
161.	The Jammu and Kashmir Utilization of Lands Act, Svt. 2010.	IX of Svt. 2010
162.	The Jammu and Kashmir Vaccination Act, 1967.	XXI of 1967
163.	The Jammu and Kashmir Vegetable Seeds Act, Svt. 2009.	XII of Svt. 2009
164.	The Jammu and Kashmir State Vigilance Commission Act, 2011.	I of 2011
165.	The Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010.	XXI of 2010
166.	The Jammu and Kashmir Willow (Prohibition on Export and Movement) Act, 2000.	XVI of 2000

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 34)

[9 अगस्त, 2019]

विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित
या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “नियत दिन” से वह दिन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;
- (ख) “अनुच्छेद” से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;
- (ग) “सभा निर्वाचन-क्षेत्र” और “संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र” के वही अर्थ हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में हैं;
- (घ) “निर्वाचन आयोग” से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;
- (ङ) “विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य” से ऐसे राज्यक्षेत्र के, जो भारत के संविधान के प्रारंभ के ठीक पूर्व जम्मू-कश्मीर देशी राज्य में थे, समाविष्ट करके नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य अभिप्रेत है;
- (च) “विधि” के अंतर्गत संपूर्ण विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य में या उसके किसी भाग में, नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत हैं;
- (छ) “विधान सभा” से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा अभिप्रेत है;
- (ज) “उपराज्यपाल” से राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्रका प्रशासक अभिप्रेत है;
- (झ) “अधिसूचित आदेश” से राजपत्र में प्रकाशित कोई आदेश अभिप्रेत है;
- (ञ) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में, “जनसंख्या अनुपात” से 2011 की जनगणना के अनुसार अनुपात अभिप्रेत है;
- (ट) संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में, “अनुसूचित जातियों” से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां या ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनके समूह अभिप्रेत हैं, जिन्हें उस संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा गया है;
- (ठ) संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में, “अनुसूचित जनजातियों” से ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदाय के भाग या उनमें के समूह अभिप्रेत हैं, जिन्हें उस संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा गया है;
- (ड) संसद् के किसी सदन या विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल के संबंध में, “आसीन सदस्य” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य है;
- (ढ) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, “संघ राज्यक्षेत्र” से, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रअभिप्रेत है;

(ण) “अंतरित राज्यक्षेत्र” से वह राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो नियत दिन को विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य से इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन बनाए गए संघ राज्यक्षेत्रों को अंतरित किया गया है; और

(त) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी जिला, तहसील या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह नियत दिन को उस प्रादेशिक खंड में समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।

भाग 2

जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन

3. विधान-मंडल के बिना लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रका बनाया जाना—नियत दिन से ही, एक नया संघ राज्यक्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका नाम लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र होगा, जिसमें विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

“कारगिल और लेह जिले”,

और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के भाग नहीं रहेंगे।

4. विधान-मंडल के साथ जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका बनाया जाना—नियत दिन से ही, एक नया संघ राज्यक्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र होगा, जिसमें उन राज्यक्षेत्रों से भिन्न, जो धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे।

5. विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल का एक ही उपराज्यपाल होना—नियत दिन से ही, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रका, ऐसी अवधि के लिए, उपराज्यपाल होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाए।

6. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, “1. राज्य” शीर्षक के अन्तर्गत,—

(क) प्रविष्टि 15 को हटा दिया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 15 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

(ग) “2. संघ राज्यक्षेत्र” शीर्षक के अन्तर्गत,—

प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“8. जम्मू-कश्मीर : वे राज्यक्षेत्र, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

9. लद्दाख : वे राज्यक्षेत्र, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

7. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार की व्यावृत्ति शक्तियां—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार की, नियत दिन के पश्चात्, उस संघ राज्यक्षेत्रके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

भाग 3

विधान-मंडल में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

8. संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान की चौथी अनुसूची की सारणी में,—

(क) प्रविष्टि 21 को हटाया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि 22 से प्रविष्टि 31 को क्रमशः प्रविष्टि 21 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ;

(ग) प्रविष्टि 30 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“31. जम्मू-कश्मीर 4”।

9. आसीन सदस्यों का आबंटन—(1) नियत दिन से ही, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के चार आसीन सदस्य, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

लोक सभा

10. लोक सभा में प्रतिनिधित्व—नियत दिन से ही, लोक सभा में उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको पांच स्थान और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको एक स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की पहली अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

11. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) नियत दिन से ही, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निदेशित रूप से संशोधन किया जाएगा।

(2) निर्वाचन आयोग, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में विनिर्दिष्ट स्थानों के आबंटन के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रतथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए लोक सभा का निर्वाचन करा सकेगा।

12. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध—(1) उस निर्वाचन-क्षेत्र का, जो धारा 10 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन को, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, यथास्थिति, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हो गया है।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल और विधान सभा

10. लोक सभा में प्रतिनिधित्व—नियत दिन से ही, लोक सभा में उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको पांच स्थान और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको एक स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की पहली अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

11. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) नियत दिन से ही, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निदेशित रूप से संशोधन किया जाएगा।

(2) निर्वाचन आयोग, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में विनिर्दिष्ट स्थानों के आबंटन के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रतथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए लोक सभा का निर्वाचन करा सकेगा।

12. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध—(1) उस निर्वाचन-क्षेत्र का, जो धारा 10 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन को, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, यथास्थिति, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हो गया है।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल और विधान सभा

13. संविधान के अनुच्छेद 239क का लागू होना—नियत दिन से ही, अनुच्छेद 239क में [या किसी अन्य अनुच्छेद में, जिसमें राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति निर्देश अन्तर्विष्ट है] अंतर्विष्ट उपबंध, जो “पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र” को लागू होते हैं, “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र” को भी लागू होंगे।

14. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए विधान सभा और उसका गठन—(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा और उसे उक्त संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल के रूप में अभिहित किया जाएगा।

(2) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए एक विधान सभा होगी।

¹ 2021 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक सौ सात होगी।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके पाकिस्तान के दखल वाले क्षेत्र का दखल में नहीं हटा दिया जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुन लेते हैं, तब तक,—

(क) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में चौबीस स्थान रिक्त रहेंगे और सभा की कुल सदस्यता की गणना में उन्हें हिसाब में नहीं लिया जाएगा ; और

(ख) उक्त क्षेत्र या स्थानों को, इस अधिनियम के भाग 5 के अधीन यथा उपबंधित प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन में अपवर्जित किया जाएगा।

(5) नियत दिन से ही, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको यथा लागू सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1995 का, इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निदेशित रूप से संशोधन किया जाएगा।

(6) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(7) उपधारा (6) के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी अनुसूचित जातियों की अथवा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित जनसंख्या का अनुपात जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी कुल जनसंख्या से है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना के, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, प्रति निर्देश का अर्थ तब तक, जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2011 की जनगणना के प्रति निर्देश है।

(8) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उस तारीख से समाप्त हो जाएगा, जिसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन लोक सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण समाप्त होगा।

(9) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, “1. राज्य” शीर्षक के अधीन,—

“(क) प्रविष्टि 10 को हटाया जाएगा”।

“(ख) प्रविष्टि 11 से प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 10 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा”।

(10) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, “2. संघ राज्यक्षेत्र” शीर्षक के अन्तर्गत,—

(क) प्रविष्टि 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
“3. जम्मू-कश्मीर	83	6	83	6”

(11) भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 तक के और अनुच्छेद 329 के उपबंध जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, उसकी विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी राज्य, किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ; और अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में “समुचित विधान सभा” के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद् के प्रति निर्देश है।

15. स्त्रियों का प्रतिनिधित्व—धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल, यदि उसकी यह राय है कि विधान सभा में स्त्रियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए विधान सभा में दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

16. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

(क) वह भारत का नागरिक हो और वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है ;

(ख) वह कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

17. विधान सभा की अवधि—विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन निकाली गई आपात् की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

18. विधान सभा का सत्र, सत्रावसान और विघटन—(1) उपराज्यपाल, समय-समय पर, विधान सभा को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) उपराज्यपाल, समय-समय पर,—

(क) सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।

19. विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—(1) विधान सभा, यथाशक्यशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी ।

2)) विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य,—

(क) यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा,

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ग) विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो :

परन्तु यह और कि जब कभी सभा का विघटन किया जाता है, तो विघटन के पश्चात् होने वाले सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा ।

(3) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधान सभा का ऐसा सदस्य जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(4) विधान सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधान सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

(5) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का, जो उपराज्यपाल आदेश द्वारा, अवधारित करे, संदाय किया जाएगा ।

20. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना—(1) विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंध ऐसी

प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।

(2) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान सभा में विचाराधीन है तब उसको विधान सभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह धारा 25 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा।

21. विधान सभा में उपराज्यपाल का विशेष अभिभाषण—(1) उपराज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधान सभा में अभिभाषण करेगा और विधान सभा को उसके आह्वान के कारण बताएगा।

(2) विधान सभा की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए, उपबंध किया जाएगा।

22. विधान सभा के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार—जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह विधान सभा में बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान सभा की किसी सभिति की कार्यवाही में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस धारा के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

23. विधान सभा में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का उपराज्यपाल का अधिकार—(1) उपराज्यपाल विधान सभा में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) उपराज्यपाल विधान सभा में उस समय लम्बित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश भेज सकेगा और जब ऐसा कोई संदेश इस प्रकार भेजा जाता है, तब विधान सभा उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगी।

24. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, उक्त संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष चौथी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

25. सभा में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सभा की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति—(1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विधान सभा की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(3) विधान सभा की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सभा को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि वाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी विधान सभा की कार्यवाही विधिमान्य होगी।

(4) विधान सभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति विधान सभा के दस सदस्यों से या सदस्यों की कुल संख्या का एक बटा दसवां भाग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

(5) यदि विधान सभा के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सभा को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे, जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है।

26. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति, संसद् तथा विधान सभा दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा ऐसी सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो राष्ट्रपति द्वारा नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति का संसद् में स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि उसने उक्त संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

(2) यदि विधान सभा का कोई सदस्य,—

(क) सभा की सदस्यता के लिए धारा 27 या धारा 28 में वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त हो जाता है; या

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(3) यदि विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सभा की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है।

27. सदस्यता के लिए निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या प्रशासन के अधीन या ऐसे पद को छोड़कर, जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद द्वारा या विधान सभा द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के उपबंधों के अधीन अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन किसी निरर्हता के अधीन हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न उपराज्यपाल के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले उपराज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

28. सदस्य होने के लिए दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों के अधीन रहते हुए (जिसके अंतर्गत यह उपांतरण भी है कि उसमें राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे, क्रमशः, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा और इस अधिनियम की धारा 24, धारा 30 और धारा 50 के प्रति निर्देश हैं) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं, और तदनुसार :—

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची इस अधिनियम का भाग समझी जाएगी ; और

(ख) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य होने से निरर्हित होगा, यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित है।

29. शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि विधान सभा में कोई व्यक्ति धारा 24 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि वह उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं है या निरर्हित कर दिया गया है, उसे संसद या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का दायी होगा, जो उक्त संघ राज्यक्षेत्र को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

30. सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि—(1) इस अधिनियम के उपबंधों और विधान सभा की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, विधान सभा में वाक्-स्वातंत्र्य होगा।

(2) विधान सभा या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी विधान सभा के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) अन्य बातों में विधान सभा और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जिनका उपयोग लोक सभा और उसके सदस्यों तथा समितियों द्वारा तत्समय किया जा रहा है।

(4) जिन व्यक्तियों को इस अधिनियम के आधार पर विधान सभा या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उस विधान सभा के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

31. सदस्यों के वेतन और भत्ते—विधान सभा के सदस्य, ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें विधान सभा, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जो उपराज्यपाल आदेश द्वारा अवधारित करे, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

32. विधायी शक्ति का विस्तार—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधान सभा, संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में, राज्य सूची में क्रमशः प्रविष्टि 1 और प्रविष्टि 2 पर उल्लिखित विषयों, अर्थात् “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” के सिवाय या समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से किसी विषय के संबंध में, जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में लागू होता है, विधि बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, संविधान द्वारा संसद् को प्रदत्त जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, किसी विषय के संबंध में, विधि बनाने की शक्ति को अल्पीकृत नहीं करेगी।

33. संघ की संपत्ति को कौन से छूटवहां तक के सिवाय, जहां तक संसद्, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित सभी कौनों से संघ की संपत्ति को छूट होगी :

परंतु इस धारा की कोई बात जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका दायित्व संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उद्गृहीत करने से तब तक नहीं रोकेगी, जब तक वह कर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में उद्गृहीत होता रहता है।

34. कतिपय विषयों की बाबत विधान सभा द्वारा पारित विधियों पर निर्बंधन—(1) अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 287 और अनुच्छेद 288 के उपबंध विधान सभा द्वारा उन अनुच्छेदों में, निर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा उन विषयों की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में लागू होते हैं।

(2) अनुच्छेद 304 के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों सहित, विधान सभा द्वारा उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा उन विषयों की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में लागू होते हैं।

35. संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति—(1) यदि विधान सभा द्वारा, संविधान की सातवीं अनुसूची में, राज्य सूची में प्रगणित विषयों के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद् द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई किसी विधि के किसी उपबंध के, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके पश्चात् पारित की गई है, विरुद्ध है या यदि विधान सभा द्वारा, संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध किसी उपबंध के विधान सभा द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई किसी विधि से भिन्न किसी पूर्ववर्ती विधि के किसी उपबंध से भिन्न है, तो प्रत्येक दशा में, यथास्थिति, संसद् द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पहले बनाई गई विधि अभिभावी होगी और संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी :

परंतु यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो वह विधि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में अभिभावी होगी :

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात संसद् को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है, जो राज्य की विधान सभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।

36. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध—(1) कोई विधेयक या संशोधन उपराज्यपाल की सिफारिश से ही विधान सभा में पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा यदि ऐसा विधेयक या संशोधन निम्नलिखित विषयों में से किसी की बाबत उपबंध करता है, अर्थात् :—

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन ;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन ;

(ग) संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से धन का विनियोग ;

(घ) किसी व्यय को संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना ;

(ङ) संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि या संघ राज्यक्षेत्रके लोक लेखा मद्दे धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निकाला जाना या संघ राज्यक्षेत्रके लेखाओं की संपरीक्षा :

परंतु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस उपधारा के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी ।

(2) कोई विधेयक या संशोधन पूर्वोक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उसके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है ।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सभा से उपराज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है ।

37. विधेयकों के व्यपगत होने के संबंध में प्रक्रिया—(1) विधान सभा में लंबित विधेयक विधान सभा के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा ।

(2) ऐसा विधेयक जो विधान सभा में लंबित है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा ।

38 विधेयकों पर अनुमति—जब कोई विधेयक विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उपराज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है :

परंतु उपराज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, विधान सभा को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि विधान सभा विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टता किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें, जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब विधान सभा विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेगी और यदि विधेयक संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और उपराज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उपराज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है :

परंतु यह और कि उपराज्यपाल उस विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा,—

(क) जिस विधेयक से, उसके विधि बन जाने पर, उपराज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकटापन्न हो जाएगा ; या

(ख) जो विधेयक अनुच्छेद 31क के खंड (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित है ; या

(ग) जो विधेयक राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अपने विचार के लिए आरक्षित रखने का निदेश दे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 39 के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा, यदि उसमें केवल धारा 36 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों से या उन विषयों में से किसी के आनुषंगिक किसी विषय से संबंधित उपबंध है और दोनों दशाओं में से किसी में, विधान सभा के अध्यक्ष का यह प्रमाणपत्र कि वह धन विधेयक है उस पर पृष्ठांकित है, और उसके द्वारा हस्ताक्षरित है ।

39. विचार के लिए आरक्षित विधेयक—जब कोई विधेयक उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति उपराज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को विधान सभा को ऐसे संदेश के साथ, जो धारा 38 के पहले परंतुक में वर्णित है, लौटा दे और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर विधान सभा द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और यदि वह उस सभा द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ।

40. मंजूरी और सिफारिशों के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना—विधान सभा का कोई अधिनियम और किसी ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी या सिफारिश नहीं की गई थी, यदि उस अधिनियम को उपराज्यपाल द्वारा, या, राष्ट्रपति के विचार के लिए उपराज्यपाल द्वारा आरक्षित रख लिए जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा, अनुमति दे दी गई थी।

41. वार्षिक वित्तीय विवरण—(1) उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के समक्ष, उस वर्ष के लिए संघ राज्यक्षेत्रकी प्राकृतित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा गया है।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राकृतियों में,—

(क) इस अधिनियम में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां; और

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां,

पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेख से होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित व्यय जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात् :—

(क) उपराज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको भारत की संचित निधि में से दिए गए उधारों की बाबत संदेय-भार, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि-भार और मोचन-भार तथा उससे संबंधित अन्य व्यय भी हैं;

(ग) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;

(घ) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय;

(ङ) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित कोई राशियां;

(च) उपराज्यपाल द्वारा उसके विशेष दायित्व के निर्वहन में उपगत व्यय;

(छ) कोई अन्य व्यय, जो संविधान द्वारा या संसद् द्वारा या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए।

42. विधान सभा में प्राकृतियों के संबंध में प्रक्रिया—(1) प्राकृतियों में से जितने प्राकृत जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं, वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान सभा में उन प्राकृतियों में से किसी प्राकृत पर चर्चा को निवारित करती है।

(2) उक्त प्राकृतियों में से जितने प्राकृत अन्य व्यय से संबंधित हैं, वे विधान सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।

(3) किसी अनुदान की मांग उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

43. विनियोग विधेयक—(1) विधान सभा द्वारा धारा 42 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से—

(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित, किंतु विधान सभा के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अतिरिक्त व्यय की,

पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में विधान सभा में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस उपधारा के अधीन अग्रह्य है या नहीं।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से इस धारा के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं।

44. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान—(1) यदि—

(क) धारा 43 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई कोई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो उपराज्यपाल, यथास्थिति, विधान सभा के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या ऐसे पूर्व अनुमोदन से विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं।

45. लेखानुदान—(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, विधान सभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए धारा 42 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में धारा 43 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की, शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की विधान सभा को शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान या उस उपधारा के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में धारा 42 और धारा 43 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं।

46. प्रक्रिया के नियम—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधान सभा अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी :

परन्तु उपराज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्,—

(क) वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए ;

(ख) किसी वित्तीय विषय से या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से संबंधित विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन करने के लिए ;

(ग) जहां तक इस अधिनियम द्वारा उपराज्यपाल से स्वविवेकानुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां तक उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रभाव डालने वाली किसी बात पर विचार-विमर्श करने का या प्रश्न पूछने का प्रतिषेध करने के लिए,

नियम बना सकेगा।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, विद्यमान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाएं, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के संबंध में प्रभावी होंगे।

47. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी राजभाषा या राजभाषाएं तथा उसकी विधान सभा में प्रयोग होने वाली भाषा या भाषाएं—(1) विधान सभा, विधि द्वारा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली राजभाषा या राजभाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगी।

(2) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में कार्य जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

48. अधिनियमों, विधेयकों, आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा—धारा 47 में किसी बात के होते हुए, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धन न करे, तब तक जो—

(क) विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके सभी संशोधनों के ;

(ख) विधान सभा द्वारा पारित सभी अधिनियमों के ; और

(ग) विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के,

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे :

परन्तु जहां विधान सभा ने उस विधान सभा में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां राजपत्र में उपराज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

49. विधान सभा में चर्चा पर निर्बन्धन—उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में विधान सभा में कोई चर्चा नहीं होगी ।

50. न्यायालय द्वारा विधान सभा की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना—(1) विधान सभा की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) विधान सभा का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस विधान सभा में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ।

51. विधान सभा का सचिवालय—(1) विधान सभा का एक पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा ।

(2) विधान सभा, विधि द्वारा, विधान सभा के सचिवीय कर्मचारिवृन्द में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी ।

(3) जब तक विधान सभा उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध नहीं करती है, तब तक उपराज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् विधान सभा के सचिवीय कर्मचारिवृन्द में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाया गया कोई नियम, उक्त उपधारा के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा ।

52. विधान सभा के विप्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की उपराज्यपाल की शक्ति—(1) उस समय को छोड़कर, जब विधान सभा सत्र में है, यदि किसी समय उपराज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा, जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन अध्यादेश बनाने की शक्ति केवल ऐसे विषयों तक विस्तारित होगी, जिनके संबंध में विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है ।

(2) इस धारा के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो विधान सभा के ऐसे अधिनियम का होता है, जिसे उपराज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा तथा विधान सभा के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति के पहले या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधान सभा उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देती है, तो प्रवर्तन में नहीं रहेगा ; और

(ख) उपराज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा ।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए मंत्रिपरिषद्

53. मंत्रिपरिषद्—(1) जिन बातों में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह किन्हीं न्यायिक या न्यायिककल्प कृत्यों को अपने विवेकानुसार या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन करे, उन बातों को छोड़कर, उपराज्यपाल की उन विषयों के संबंध में, जिनके संबंध में विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जो विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।

(2) उपराज्यपाल, किसी ऐसे मामले में अपने कृत्यों का प्रयोग करने में स्वविवेकानुसार कार्य करेगा—

(i) जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के कार्यक्षेत्र के बाहर आता है ; या

(ii) जिसमें किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे या किन्हीं न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करे ;

(iii) जो अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो से संबंधित है :

परंतु यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं, जिसके संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो उपराज्यपाल का उसके विवेकानुसार विनिश्चय अंतिम होगा और उपराज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।

(3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने उपराज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

54. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध—(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।

(2) मंत्री, उपराज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

(3) मंत्रिपरिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(4) किसी मंत्री द्वारा अपना पदग्रहण करने से पहले, उपराज्यपाल, इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

(5) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक विधान सभा का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

(6) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो विधान सभा, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक वह विधान सभा इस प्रकार अवधारित नहीं करती है, तब तक ऐसे होंगे, जो उपराज्यपाल द्वारा अवधारित किए जाएं।

55. कार्य संचालन—(1) उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद् की सलाह पर,—

(क) मंत्रियों में कार्य के आबंटन के लिए ; और

(ख) मंत्रियों के साथ कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, जिसमें उपराज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद् या किसी मंत्री के बीच मतभेद के मामले में अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया भी है,

नियम बनाएगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपराज्यपाल की समस्त कार्यपालिका कार्यवाई, चाहे अपने मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा की गई हो, उपराज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी।

(3) उपराज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो उपराज्यपाल द्वारा, मंत्रिपरिषद् की सिफारिश पर, बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह उपराज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

56. उपराज्यपाल को जानकारी देने, आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य—मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय उपराज्यपाल को संसूचित करे ;

(ख) संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी उपराज्यपाल मांगे, वह दे।

विधान परिषद्

57. जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान परिषद् का उत्सादन—(1) किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, नियम, विनियम या अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से ही विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान परिषद् का उत्सादन हो जाएगा।

(2) विधान परिषद् के उत्सादन पर, उसका प्रत्येक सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में नहीं रहेगा।

(3) नियत दिन से ठीक पूर्व विधान परिषद् में लंबित सभी विधेयक परिषद् के उत्सादन पर व्यपगत हो जाएंगे।

भाग 4

लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रका प्रशासन

58. लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल की नियुक्ति—(1) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किए गए उपराज्यपाल के माध्यम से उस विस्तार तक कार्य करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रकी शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।

(3) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम, संसद् द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का, जो लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के किसी ऐसे अधिनियम का है, जो लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको लागू होता है।

(4) उपराज्यपाल की सहायता, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार(रों) द्वारा की जाएगी।

भाग 5

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

59. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सहयुक्त सदस्य” से धारा 60 के अधीन परिसीमन आयोग से सहयुक्त कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ख) “परिसीमन आयोग” से परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन और उसके पश्चात् संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) “निर्वाचन आयोग” से भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) “नवीनतम जनगणना आंकड़े” से ऐसे नवीनतम जनगणना के अभिनिश्चित जनगणना संबंधी आंकड़े अभिप्रेत हैं, जिसके अंतिम रूप से प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं ;

(ङ) “संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र” से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रसे लोक सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विधि द्वारा उपबंधित कोई निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) “सभा निर्वाचन-क्षेत्र” से विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विधि द्वारा उपबंधित कोई निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है।

60. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में स्थानों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी जाएगी और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित किया जाएगा—

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या ;

(ख) उन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, जिनमें संघ राज्यक्षेत्रको विभाजित किया जाएगा, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक का विस्तार और उनमें से प्रत्येक में वे स्थान, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे ; और

(ग) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्रमें संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन और उनके विस्तार का वर्णन, जो आवश्यक या समीचीन हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट विषयों का अवधारण करते समय, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे;

(ख) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी भौतिक विशिष्टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखना होगा; और

(ग) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जिनमें कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो।

(3) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए सहयुक्त सदस्यों के रूप में ऐसे चार व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, और वे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के चार सदस्य हों:

परंतु सहयुक्त सदस्यों में से किसी को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि किसी सहयुक्त सदस्य का पद, मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो वह, जहां तक साध्य हो, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ ही एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों; और

(ग) उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(6) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

61. परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 60 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्रण संबंधी भूल को उसमें अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या किन्हीं आदेशों में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो जाए, वहां ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो उसे ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

62. 2011 की जनगणना के आधार पर संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के बारे में विशेष उपबंध—(1) नियत दिन से ही, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उपधारा (1) का अधीन आदेशों का प्रकाशन होने पर भी या उक्त धारा की उपधारा (2) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिसीमन अधिनियम, 2002 को नीचे यथा उपबंधित रीति में संशोधित किया गया समझा जाएगा:—

(क) धारा 2 के खंड (च) में, “किन्तु इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है” शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजन के लिए, “वर्ष 2001 में हुई जनगणना” शब्दों और अंकों का, जहां कहीं वे आते हैं, “वर्ष 2011 में हुई जनगणना” शब्द और अंक के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

(2) उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें, धारा 60 के अधीन यथा उपबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों का सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में पुनः समायोजन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा और उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें, धारा 11 के अधीन यथा उपबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों का संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में पुनः समायोजन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा और उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

63. सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनः समायोजन के बारे में विशेष उपबंध—धारा 59 से धारा 61 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् पहली जनगणना के लिए प्राप्त किए गए सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा और इस भाग में “अंतिम जनगणना के आंकड़ों” के प्रति किसी निर्देश का अर्थ 2011 की जनगणना के आंकड़ों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

64. परिसीमन के बारे में प्रक्रिया—इस भाग के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में संसद् द्वारा बनाई गई विधि में यथा उपबंधित प्रक्रिया वैसे ही लागू होगी जैसे वह उस विधि के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में लागू होती है।

भाग 6

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

65. अनुसूचित जातियां आदेश का लागू होना—नियत दिन से ही, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको लागू होगा।

66. अनुसूचित जनजातियां आदेश का लागू होना—नियत दिन से ही, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको लागू होगा।

भाग 7

प्रकीर्ण तथा संक्रमणकालीन उपबंध

67. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि—(1) नियत दिन से ही, किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसकी वाबत जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा को विधियां बनाने की शक्ति है, भारत सरकार को या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें प्राप्त सभी राजस्व तथा भारत की संचित निधि में से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको दिए गए सभी अनुदान तथा सभी उधार और भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि की प्रतिभूति पर लिए गए सभी उधार तथा उधारों के प्रतिसंदाय में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी।

(2) ऐसी संचित निधि में से कोई धनराशियां इस अधिनियम के अनुसार और उसमें उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं।

(3) ऐसी संचित निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में से धनराशियों के संदाय, उससे धनराशियों के निकाले जाने का तथा उन विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन, उपराज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा।

68. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका लोक लेखा और उसमें जमा किया गया धन—(1) नियत दिन से ही, उपराज्यपाल द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका लोक लेखा” नाम से ज्ञात लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

(2) उपराज्यपाल द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धन की, जो संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि में जमा किए गए धन से भिन्न है, अभिरक्षा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लोक लेखा में उनका संदाय और ऐसे लेखा से धन का निकाला जाना और पूर्वोक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सभी विषय, मंत्रिपरिषद् की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

69. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि—(1) अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि स्थापित की जाएगी, जो “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से

ऐसी राशियां जमा की जाएंगी जो, समय-समय पर, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अवधारित की जाएं और ऐसी निधि में से अग्रिम धन देने के लिए उपराज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि उपराज्यपाल द्वारा धारित की जाएगी।

(2) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि में से कोई अग्रिम धन किसी अनवेक्षित व्यय का विधि द्वारा किए गए विनियोजनों के अधीन विधान सभा द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसे व्यय की पूर्ति के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद् की सलाह पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, उसमें धनराशियों के संदाय तथा उससे धनराशियों के निकाले जाने से संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगा।

70. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेना—(1) संघ राज्यक्षेत्रकी कार्यपालिका शक्ति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जो विधान सभा, विधि द्वारा, समय-समय पर, नियत करे, उधार लेने और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जो इस प्रकार नियत की जाएं, प्रत्याभूति देने तक विस्तारित है।

(2) प्रत्याभूति देने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई रकम जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित होगी।

71. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लेखाओं का प्ररूप—जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लेखाओं को ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा, जो उपराज्यपाल, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह अभिप्राप्त करने के पश्चात्, नियमों द्वारा, विहित करे।

72. संपरीक्षा प्रतिवेदन—भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की धारा 67 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख की पश्चातवर्ती किसी अवधि के लिए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको विधान सभा के समक्ष रखवाएगा।

73. सांविधानिक तंत्र के विफल हों जाने की दशा में उपबंध—यदि राष्ट्रपति का, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा, तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

74. राष्ट्रपति द्वारा व्यय का प्राधिकृत किया जाना—जहां धारा 73 के अधीन किसी आदेश के कारण विधान सभा विघटित कर दी गई है या ऐसी विधान सभा के रूप में उसके कृत्य निलंबित कर दिए गए हैं, वहां, जब लोक सभा सत्र में नहीं है, तब जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से व्यय के लिए संसद् की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी।

भाग 8

उच्च न्यायालय

75. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का सामान्य उच्च न्यायालय होना—(1) नियत दिन से ही,—

(क) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए, सामान्य उच्च न्यायालय होगा;

(ख) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पद धारण कर रहे हैं, उसी दिन से सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

(2) सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बाबत व्यय का आबंटन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

76. विधिज्ञ परिषद् और अधिवक्ताओं के संबंध में विशेष उपबंध—(1) धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख से ही, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में, “जम्मू-कश्मीर” शब्दों को हटाया जाएगा ;

(ख) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(छ) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद् होगी।”।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता है और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विधिज्ञ परिषद् का सदस्य बना रह सकेगा।

(3) ऐसे अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को, जो धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व हकदार हैं, उस तारीख को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में भी विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(4) जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ऐसे सिद्धांतों के अनुसार विनियमित होगा, जो धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार की वाबत प्रवृत्त है।

77. जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया—जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की वाबत धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आवश्यक उपांतरणों सहित, जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी और तदनुसार जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया की वाबत नियम बनाने और आदेश करने की ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस तारीख के ठीक पूर्व जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं :

परंतु ऐसे कोई नियम या आदेश, जो जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की वाबत धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, जब तक जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों द्वारा परिवर्तित या प्रतिसंहत नहीं कर दिए जाते, जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की वाबत आवश्यक उपांतरणों सहित इस प्रकार लागू होंगे, मानो वे उस न्यायालय द्वारा बनाए गए हों या किए गए हों।

78. व्यावृत्तियां—इस भाग की कोई बात संविधान के किन्हीं उपबंधों के जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय को लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेगी और इस भाग का प्रभाव किसी ऐसे उपबंध के अधीन रहते हुए होगा, जो धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय की वाबत किसी विधान-मंडल या ऐसा उपबंध करने की शक्ति रखने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाए।

भाग 9

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका महाधिवक्ता

79. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका महाधिवक्ता—(1) उपराज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।

(2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो उक्त सरकार उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों।

(3) महाधिवक्ता को, अपने कर्तव्यों के पालन में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

(4) महाधिवक्ता, उपराज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो उपराज्यपाल अवधारित करे।

भाग 10

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

80. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके व्यय को प्राधिकृत किया जाना—विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल, नियत दिन के पूर्व किसी भी समय, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी

विधान सभा द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लंबित रहने तक, नियत दिन से आरंभ होने वाली छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे :

परंतु जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल, नियत दिन के पश्चात् जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय, ऐसी किसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के परे की नहीं होगी, जो वह आवश्यक समझे, प्राधिकृत कर सकेगा।

81. लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके व्यय को प्राधिकृत किया जाना—विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल, नियत दिन के पूर्व किसी भी समय, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह संसद् द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लंबित रहने तक, नियत दिन से आरंभ होने वाली छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे :

परंतु राष्ट्रपति, नियत दिन के पश्चात्, भारत की संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय, ऐसी किसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के परे की नहीं होगी, जो वह आवश्यक समझे, प्राधिकृत कर सकेगा।

82. जम्मू-कश्मीर राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत अनुच्छेद 151 के खंड (2) में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टों को उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) तत्पश्चात् जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल, रिपोर्टों को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(3) जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल, आदेश द्वारा,—

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत या किसी पूर्वतर वित्तीय वर्ष की बाबत किसी सेवा पर जम्मू-कश्मीर की संचित निधि में से उपगत ऐसे किसी व्यय को, जो उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकम के, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में प्रकट किया गया हो, आधिक्य में हो, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया घोषित कर सकेगा; और

(ख) उक्त रिपोर्टों से उद्भूत किसी विषय पर की जाने वाली किसी कार्रवाई का उपबंध कर सकेगा।

83. राजस्व का वितरण—(1) चौदहवें वित्त आयोग द्वारा विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य को दिए गए राजस्व को केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके बीच जनसंख्या अनुपात तथा अन्य सन्नियमों के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा :

परंतु नियत दिन को, राष्ट्रपति, संघ राज्यक्षेत्रवित्त आयोग को उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखने के लिए और उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय करने के लिए निर्देश करेगा :

परंतु यह और कि नियत दिन को, राष्ट्रपति, पन्द्रहवें वित्त आयोग को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको उसके निदेश निबंधनों में सम्मिलित करने के लिए और उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए अधिनिर्णय करने के लिए निर्देश करेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समुचित अनुदान कर सकेगी और यह भी सुनिश्चित कर सकेगी कि उस परिक्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में पर्याप्त फायदे और प्रोत्साहन दिए जाएं।

भाग 11

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

84. इस भाग का लागू होना—(1) इस भाग के उपबंध विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की नियत दिन के ठीक पूर्व की आस्तियों और दायित्वों के, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके बीच प्रभाजन के संबंध में लागू होंगे।

(2) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अधीन होगा।

(3) प्रभाजन की प्रक्रिया नियत दिन से बारह मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

भाग 12

कतिपय निगमों और किन्हीं अन्य विषयों के बारे में उपबंध

85. सलाहकार समिति(यां)—(1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, नियत दिन से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी :

(क) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों और निगमों की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के मध्य प्रभाजन ;

(ख) विद्युत शक्ति उत्पादन और आपूर्ति तथा जलापूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं को बनाए रखने संबंधी मुद्दे ;

(ग) जम्मू-कश्मीर राज्य वित्तीय निगम से संबंधित मुद्दे ;

(घ) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों से संबंधित व्याज और शेयरों के विभाजन और निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी मुद्दे ;

(ङ) कतिपय राज्य संस्थाओं में की सुविधाओं से संबंधित मुद्दे ;

(च) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों से संबंधित मुद्दे, जो इस धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार गठित समितियां, छह मास के भीतर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जो ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी समितियों की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगा।

86. कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध—(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या उस राज्य में के किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्र, यदि ऐसा अनुज्ञापत्र नियत दिन के ठीक पूर्व अंतरित राज्यक्षेत्र में के किसी क्षेत्र में विधिमान्य और प्रभावी था, तत्समय उस क्षेत्र में प्रवृत्त उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस क्षेत्र में उस दिन के पश्चात् और उसकी विधिमान्यता की अवधि तक विधिमान्य और प्रभावी बना रहा समझा जाएगा और ऐसे किसी अनुज्ञापत्र को उस क्षेत्र में उपयोग के लिए उसे विधिमान्य करने के प्रयोजन के लिए किसी संघ राज्यक्षेत्र के परिवहन प्राधिकारी या उसमें किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु उपराज्यपाल, उन शर्तों में, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था, अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न की गई हों, परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगा।

(2) किसी ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी में किसी परिवहन यान को चलाने के लिए नियत दिन के पश्चात् उस परिवहन यान की वास्तविक कोई पथकर, प्रवेश फीस या वैसी ही प्रकृति के अन्य प्रभार उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे यदि ऐसे यान को उस दिन के ठीक पूर्व अंतरित राज्यक्षेत्र में चलाने के लिए ऐसे किसी पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के संदाय से छूट प्राप्त हो :

परन्तु केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण को, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन से परामर्श करने के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां ऐसे पथकर, प्रवेश फीस या इसी प्रकार के अन्य प्रभार ऐसी किसी सड़क या पुल के उपयोग के लिए उद्ग्रहणीय हैं, जिसका सन्निर्माण या विकास वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा, ऐसे संयुक्त उपक्रम द्वारा जिसमें राज्य सरकार एक शेयरधारक है या प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया गया है।

87. आय-कर के बारे में विशेष उपबंध—जहां इस भाग के उपबंधों के अधीन कारबार चलाने वाले किसी निगमित निकाय की आस्तियां, अधिकार और दायित्व ऐसे किन्हीं अन्य निगमित निकायों को अंतरित किए जाते हैं, जो अन्तरण के पश्चात् वही कारबार चलाते हों, वहां प्रथम वर्णित निगमित निकाय को हुई हानियां या लाभ या अभिलाभ, जिनका ऐसा अन्तरण न होने पर, आय-कर अधिनियम, 1960 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अग्रणीत या मुजरा किया जाना अनुज्ञात कर दिया गया होता, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अंतरिती, निगमित निकायों के बीच प्रभाजित किए जाएंगे और ऐसे प्रभाजन पर, प्रत्येक अंतरिती निगमित निकाय को आबंटित हानि के अंश के संबंध में कार्यवाही उक्त अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार की जाएगी मानो वे हानियां स्वयं अंतरिती निगमित निकाय को उसके द्वारा चलाए गए किसी कारबार में उन वर्षों में हुई हों जिनमें वे हानियां हुई थीं।

भाग 13

सेवाओं के बारे में उपबंध

88. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध—(1) इस धारा में “राज्य काडर” पद का—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है;

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है; और

(ग) भारतीय वन सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में उसका है।

[(2) जम्मू-कश्मीर के विद्यमान काडर के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के हों और उनका भाग बन जाएंगे तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सभी भावी आबंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर से किए जाएंगे, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्स्थानी काडर आबंटन नियमों में आवश्यक उपान्तरण किए जा सकेंगे।

(3) ऐसे अधिकारी, जो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के हैं या आबंटित हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार कार्य करेंगे।]

89. अन्य सेवाओं से संबंधित उपबंध—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी आधार पर सेवा कर रहा हो, उस दिन से ही जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल के साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलापों के संबंध में अंतिम रूप से सेवा करता रहेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी प्रत्येक निदेश उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों की, यथास्थिति, सरकार या प्रशासन के परामर्श से जारी किया जाएगा।

(2) जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल, नियत दिन के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उस उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रका, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, सेवा के लिए, कर्मचारियों से विकल्प की ईप्सा करने पर प्राप्त विकल्प पर विचार करने के पश्चात्, अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा और उस तारीख का, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अवधारण करेगा :

परन्तु ऐसा आबंटन किए जाने के पश्चात् भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल, सेवा में किसी कमी को पूरा करने के लिए, अधिकारियों को एक उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रसे दूसरे संघ राज्यक्षेत्रमें प्रतिनियुक्त कर सकेगा :

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे किसी उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रको उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन अंतिम रूप से आबंटित किया जाता है, यदि वह उसमें पहले से सेवा नहीं कर रहा है तो उस उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रमें, ऐसी तारीख से, जो, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके प्रशासन के बीच करार पाई जाए या ऐसे करार के अभाव में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, सेवा करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार को इस धारा के अधीन जारी किए गए अपने आदेशों में से किसी का भी पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

90. सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध—(1) इस धारा या धारा 89 की कोई बात, नियत दिन को या उसके पश्चात् संघ या किसी संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहे व्यक्तियों की सेवा शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जिसे धारा 89 के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित किया गया समझा गया है, नियत दिन के ठीक पूर्व लागू होने वाली सेवा शर्तों में उसके लिए अलाभकर परिवर्तन उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पूर्व की गई सभी सेवाएं, उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए—

¹ 2021 के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) यदि उसे धारा 89 के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्रको आवंटित किया गया समझा जाए, तो उस संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलापों के संबंध में की गई सेवाएं समझी जाएंगी ;

(ख) यदि उसे उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रके प्रशासन के संबंध में संघ को आवंटित किया गया समझा जाए, तो संघ के कार्यकलापों के संबंध में की गई सेवाएं समझी जाएंगी ।

(3) धारा 89 के उपबंध किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

91. अधिकारियों के उसी पद पर बने रहने के बारे में उपबंध—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के कार्यकलापों के संबंध में ऐसे किसी क्षेत्र में, जो उस दिन उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रमें से किसी में आता है, किसी पद या अधिकार-पद को धारण करता हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता हो, उस उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रमें वही पद या अधिकार-पद धारण करता रहेगा और उसी दिन से ही उस उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार द्वारा या उसमें के किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद या अधिकार-पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सक्षम प्राधिकारी को, नियत दिन से ही, ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसके ऐसे पद या अधिकार-पद पर बने रहने पर प्रभाव डालने वाला आदेश पारित करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

92. पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, आदि के कर्मचारियों के लिए उपबंध—नियत दिन से ही, राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, निगमों और अन्य स्वशासी निकायों के कर्मचारी ऐसे उपक्रम, निगम या स्वशासी निकायों में एक वर्ष की अवधि तक कार्य करते रहेंगे और इस अवधि के दौरान संबंधित निगमित निकाय उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों के बीच कर्मिकों के वितरण से संबंधित पद्धतियों का अवधारण करेगा ।

93. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध—(1) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का लोक सेवा आयोग, नियत दिन से ही, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका लोक सेवा आयोग होगा ।

(2) संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति के अनुमोदन से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा ।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति, नियत दिन से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य होगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन नियत दिन को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रलोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य हो जाए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार से सेवा की ऐसी शर्तें पाने का हकदार होगा, जो उन शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी, जिनका वह उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन हकदार था ।

(5) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रलोक सेवा आयोग द्वारा नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत किए गए कार्य के बारे में आयोग की रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जहां तक संभव हो, उन दशाओं के संबंध में, यदि कोई हों, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, उसके इस प्रकार स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों को स्पष्ट करने संबंधी ज्ञापन के साथ उस रिपोर्ट की प्रति जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

भाग 14

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

94. 1956 के अधिनियम 37 की धारा 15 का संशोधन—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में, नियत दिन से ही, खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर" शब्दों के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

95. विधियों का राज्यक्षेत्रीय विस्तार—इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की सारणी 1 में की सभी केंद्रीय विधियां, उसमें यथा उपबंधित रीति से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको लागू होंगी ।

96. विधियों के अनुकूलन की शक्ति—नियत दिन के पूर्व बनाई गई, इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में यथावर्णित, किसी विधि के उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार उस दिन से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा, उस विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, जैसा आवश्यक या समीचीन हो, कर सकेगी और तब ऐसी प्रत्येक विधि, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाए, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

97. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति—इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 96 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किया गया कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में उसके लागू होने

को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ, उस विधि का अर्थान्वयन, उसके सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से कर सकेगा, जो उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष मामले की बाबत आवश्यक या उचित हो।

98. कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों, आदि को नामित करने की शक्ति—उपराज्यपाल, संबंधित संघ राज्यक्षेत्रों के बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो नियत दिन को या उसके पश्चात्, उस दिन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे प्रयोक्तव्य कृत्यों का, जो उस अधिसूचना में वर्णित हों, प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी विधि तदनुसार प्रभावी होगी।

99. विधिक कार्यवाहियाँ—जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य इस अधिनियम के अधीन उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजनाधीन किसी संपत्ति, किन्हीं अधिकारों या दायित्वों की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का पक्षकार हो, वहां जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर उस संपत्ति या उन अधिकारों या दायित्वों का उत्तराधिकारी होता है या उनमें कोई अंश अर्जित करता है, उन कार्यवाहियों में विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया या पक्षकार के रूप में जोड़ा गया समझा जाएगा और कार्यवाहियाँ तदनुसार चालू रखी जा सकेंगी।

100. लंबित कार्यवाहियों का अंतरण—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस दिन को जम्मू-कश्मीर राज्य के भीतर आता हो, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, यदि वह कार्यवाही अनन्तः उस राज्यक्षेत्र से संबंधित है जो उस दिन से किसी संघ राज्यक्षेत्र के राज्यक्षेत्र हैं, तो वह उस संघ राज्यक्षेत्र के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही अंतरित हो जानी चाहिए तो उसे जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) इस धारा में,—

(क) “कार्यवाही” के अन्तर्गत कोई वाद, मामला या अपील है; और

(ख) संघ राज्यक्षेत्र में “तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी” से अभिप्रेत है—

(i) वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष वह कार्यवाही होगी, यदि वह नियत दिन के पश्चात् संस्थित की जाती है; या

(ii) शंका की दशा में उस राज्य का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जो नियत दिन के पश्चात्, यथास्थिति, उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या प्रशासन या केन्द्रीय सरकार द्वारा या नियत दिन के पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार द्वारा तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के रूप में अवधारित किया जाए।

101. कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार—ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य में किन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार प्लीडर के रूप में नामांकित किया जाता है, उस दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए, उन न्यायालयों में, इस बात के होते हुए भी कि उन न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उनका कोई भाग संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी संघ राज्यक्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है, विधि व्यवसाय करने का हकदार बना रहेगा।

102. अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों से असंगत होने की दशा में प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

103. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश, नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

पहली अनुसूची

(धारा 9 देखिए)

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र

राज्य सभा के सदस्य

क्र० सं०	आसीन सदस्य का नाम	कार्यकाल
1.	फैयाज मीर मोहम्मद	11/02/2015 से 10/02/2021
2.	लावाय श्री नजीर अहमद	16/02/2015 से 15/02/2021
3.	मन्हास श्री शमशेर सिंह	11/02/2015 से 10/02/2021
4.	गुलाम नबी आजाद	16/02/2015 से 15/02/2021

दूसरी अनुसूची
[धारा 11(1) देखिए]

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 का संशोधन

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

क्र. सं.	निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
1.	बारामूला	बारामूला जिला
2.	श्रीनगर	श्रीनगर जिला
3.	अनंतनाग	अनंतनाग जिला
4.	उधमपुर	उधमपुर, डोडा और कटुआ जिले
5.	जम्मू	जम्मू, राजौरी और पूंछ जिले

लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

क्र. सं.	निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
1.	लद्दाख	लद्दाख जिला

टिप्पण—(i) इस अनुसूची में किसी जिले के प्रति निर्देश से 1 अगस्त, 1975 को उस जिले में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत होगा।

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में सम्मिलित उन व्यौरों के अनुसार, जो संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 (सं.आ. 48) द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू है।

तीसरी अनुसूची
[धारा 14(5) देखिए]
सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1995 का संशोधन
जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
सभा निर्वाचन-क्षेत्र

क्र०सं०	सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	विस्तार
1	2	3
कुपवाड़ा जिला		
1.	करनाह	करनाह तहसील की सभी पटवार सर्किलें; कुपवाड़ा तहसील का केरान पटवार सर्किल ।
2.	कुपवाड़ा	18-मुलाकोट, 20-राडाबग, 22-बुमहामा, 23-द्रगमुल्ला, 25-गुथी, 26-बटेरगम, 27-डाडीकूट, 30-गुलगाम, 31-हर्राई, 32-हायन, 33-ब्रेहगम, 34-गुगलोस, 35-क्रालपोर, 36-गुजेरयाल, 37-गुंदीजोना-रेशी, 38-पंजगाम, 39-मीलयाल, 40-शूलूरा, 41-दरदीहैरी-खारागुंड, 42-कुपवाड़ा पटवार सर्किलें और हंडवाड़ा तहसील में 55-मंझगाम पटवार सर्किल ।
3.	लोलाव	कुपवाड़ा तहसील में 1-हारदुरिंग, 2-चोंतीवाडी, 3-माचिल, 4-कालारोच, 5-खुमरायल, 6-कांथपोरा, 7-बावूरा, 8-मैदानपोरा, 9-खुरहामा, 10-वारनाउ, 11-कुसान, 12-सोगाम, 13-दारापोरा, 14-लालपोरा, 15-चांदीगाम, 16-तेकीपोरा, 17-देवार ईंदरबग, 19-मणीगाह, 29-हैहामा, 45-दरदापोरा पटवार सर्किलें ।
4.	हंडवाड़ा	हंडवाड़ा तहसील में 8-मैदान चोगाल, 28-तरतपोरा, 29-विलगाम, 30-लीलम, 31-दूलोपोरा, 32-उपाजावाणी, 33-शोगापोरा, 34-नीलीपोरा, 35-मगम, 36-जगरपोरा, 39-ब्रेहनीपोरा, 40-राजपोरा, 41-जचालदारा, 42-बडेर, 43-तुर्कापोरा, 44-चांजीमुल्ला, 45-वाडीपोरा, 46-भाकी अखार, 47-बाटाकूट, 48-बारीपोरा, 49-वारीपोरा गोनीपोरा, 50-नुटानूमा, 51-कंडी खास, 52-हंडवाड़ा, 53-धामा, 54-पंचाकूट और कुपवाड़ा तहसील में 21-केगम, 28-नगरीमलपोरा, 24-नजातपोरा पटवार सर्किलें ।
5.	लंगेट	हंडवाड़ा तहसील में 1-लंगेट, 2-उनुसु, 3-पोहरूपेठ, 4-ग्लूरा, 5-मारतगाम, 6-हंगा, 7-शानू, 9-नौगाम, 10-मवार, 11-कलामचकला, 12-अदूरा, 13-हारिल, 14-द्रांगसू-शाह-नागरी, 15-उडीपोरा, 16-क्रालागुंड, 17-लोकीपोरा, 18-किचलो काजीपोरा, 19-खाईपोरा, 20-पंडितपोरा, 21-सुपर-नागम, 22-अशापोरा, 23-सफलपोरा, 24-क्रालपोरा, 25-दीदारपोरा, 26-शाथगुंड-बाल्ला, 27-रावलपोरा, 37-वैसाकावनार, 38-लचामपोरा पटवार सर्किलें ।
बारामूला जिला		
6.	उरी	उरी तहसील में सभी पटवार सर्किलें ।
7.	राफियाबाद	बारामूला तहसील में 11-चाकलू, 12-नाडीहाल, 13-शितलू, 15-बिनेर काहडूरा; और सोपोर तहसील में 5-नोवपोरा कलां, 8-वातेरगाम, 9-फिदारपोरा, 10-हांदीपोरा, 11-यारबुग, 12-रिबन-रामहामा, 13-लादोरा, 14-रेहामा, 15-चिजाहामा, 16-वानपोरा, 17-पंजाला-गुंडाबाल, 18-सायलकूट, 19-बलहामा-थाकनपूरा, 20-चातूमा, 21-डांगीवाचा, 22-रावाचा, 23-हारदुचानम, 24-वक्शीपोरा-बाटपोरा, 25-जिथान, 36-बहरामपोरा, 37-चितलोरा, 38-अचावल पटवार सर्किलें ।
8.	सोपोर	सोपोर तहसील में अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ 1-सोपोर, 2-बारापोरा, 3-आरामपोरा, 4-डंगरपोरा, 6-वातलाब, 32-सीलू, 33-बोटिंगू, 34-मुंडजी, 35-दूरू, 39-हरडु-शिवा, 41-अडीपोरा-बोमाई, 42-वाडूरा, 40-तुजार-पाहलीहर, 43-हरवान, 44-जालूरा पटवार सर्किलें ।

1	2	3
9.	गुरेज़	गुरेज़ तहसील में सभी पटवार सर्किलें।
10.	बांदीपोरा	बांदीपोरा तहसील में सभी पटवार सर्किलें और सोनावारी तहसील में 1-अजास पटवार सर्किल।
11.	सोनावारी	1-अजास पटवार सर्किल को छोड़कर सोनावारी तहसील में सभी पटवार सर्किलें।
12.	संग्रामा	बारामूला तहसील में 16-क्रीरी, 17-विजार, 18-औथोरा, 19-शालकावाड़, 20-नोवपोरा-जागीर, 21-बगूरा, 22-काचुमुकम, 24-मनीगाम, 25-कलांतराबाल्ला, 26-दांदमोह, 27-सुल्तानपोरा कंडी पटवार सर्किलें और सोपौर तहसील में, 7-तरजू, 26-हायगाम, 27-सीर-जागीर, 28-बुलगाम, 29-संग्रामा, 30-क्रांक-शिवेन, 31-वागुव पटवार सर्किलें।
13.	बारामूला	बारामूला तहसील में 1-लारीडोरा, 2-हीवान, 30-मालापोरा, 4-किचहामा, 50-उष्कारा, अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ 6-खानपोरा, 7-खजाबाग, 8-टाकी-सुल्तान, 9-खाईतांगन, 10-डेलिना, 14-कंसीपोरा, 23-चंदूसा पटवार सर्किलें।
14.	गुलमर्ग	गुलमर्ग तहसील में सभी पटवार सर्किलें; और पत्तन तहसील में 2-वाइलू कालपोरा, 8-श्रीवारपोरा, 9-चोकर, 10-वारीपोरा-बंगिल, 12-मालमोह, 13-नोवलारी, 16-याल।
15.	पत्तन	पत्तन तहसील में 2-वाइलू-कालपोरा, 8-श्रीवारपोरा, 9-चोकर, 10-वारीपोरा बंगिल, 12-मालमोह, 13-नोवलारी और 16-याल पटवार सर्किलों को छोड़कर।
श्रीनगर जिला		
16.	कंगन	कंगन तहसील की सभी पटवार सर्किल; और गंडेरबल तहसील में 1-मनीगाम, 2-वाइलू, 3-नुनार पटवार सर्किलें।
17.	गंडेरबल	1-मनीगाम, 2-वाइलू, 3-नुनार को छोड़कर गंडेरबल तहसील और श्रीनगर तहसील में हरन पटवार सर्किल।
18.	हजरतबल	श्रीनगर नगरपालिका में वार्ड 16 (श्रीनगर तहसील में न आने वाले मगर गंडेरबल तहसील में आने वाले नगरपालिका संबंधी क्षेत्रों को छोड़कर) और गंडेरबल तहसील में 9-बाचपोरा पटवार सर्किल और वार्ड 17 और वार्ड 12 के निम्नलिखित मोहल्लों को छोड़कर मुगल मोहल्ला, सूरतेंग, ख्वाजापोरा, कोचा निदान, जिंदाशाह और इन वार्डों में नाव में रहने वाली जनसंख्या।
19.	जादीवाल	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 14 व 15 और अंचार की नाव में रहने वाली और इन वार्डों के घाटों में रहने वाली जनसंख्या।
20.	ईदगाह	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 8 व 11 और श्रीनगर तहसील में 38-पालपोरा और 41-संगम पटवार सर्किलें।
21.	खानयार	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 10-13 और वार्ड 12 के निम्नलिखित मोहल्ले-मुगल मोहल्ला, सूरतेंग, ख्वाजापोरा, जिंदाशाह और कोचा निदान और इन वार्डों की नाव पर रहने वाली जनसंख्या।

1	2	3
22.	हवाकादल	श्रीनगर नगरपालिका में वार्ड 7 और 9 एवं वार्ड 6, 7 और 9 की नाव पर रहने वाली जनसंख्या ।
23.	अमिरकादल	श्रीनगर नगरपालिका में (i) नातीपोरा (ग्रामीण), (ii) रावलपोरा (ग्रामीण), (iii) हैदरपोरा (ग्रामीण) को छोड़कर वार्ड 3 और 4 ; तथा चादूरा तहसील में आरामवाड़ी, गुंड चंडाल, स्टिंगू, सूथो किरथेर बाग को छोड़कर तथा बडागाम तहसील में वाटडूर गालवनपोरा लालू और शेषगाम बाघ तथा इन वार्डों तथा वार्ड 5 की नाव पर रहने वाली जनसंख्या ।
24.	सोनवार	श्रीनगर नगरपालिका में वार्ड 1 तथा 2 और तहसील श्रीनगर में वादामी बाग कंटोनमेंट एवं 21-चित्रहामा, 19-दारा, 29-खुनुमु, 30-बल्हामा, 31-जेवान पटवार सर्किलें और इन वार्डों में घाटों की नाव पर रहने वाली जनसंख्या ।
25.	बटामालू	श्रीनगर नगरपालिका में वार्ड 5 एवं 6 ; और श्रीनगर तहसील में 6-मुजगंड, 42-बाचीपोरा तेंगपोरा पटवार सर्किलें ।
बडगम जिला		
26.	चादुरा	चादुरा तहसील में निम्नलिखित पटवार सर्किलें:—16-चादुरा, 24-छत्तरगाम, 25-वगोरा, 26-वाथूरा, 27-खंडा, 28-बुगाम बाटापोरा, 29-कालापोरा, 30-हयातपोरा, 31-पोहरू, 32-रख सलीना, 33-बगाति कानीपोरा, 34-नोवगाम, 35-कानीहामा, 36-दौलतपोरा, श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 4 की सीमा के बाहर 38-नातीपोरा के ग्रामीण क्षेत्र और 39-लसजन तथा आरामवाड़ी, गुंड, चंदल स्टेंगू, सुथू, किर्येरबाग और 40-कुर्सू पादशाहीबाग ।
27.	बडगम	तहसील बडगम में 1-सोडबग, 2-धमना, 3-वहाबपोरा, 4-अर्थ, 5-बडवान, 6-बेमिना, 7-पल्लर, 8-गेरिंड कलां, 9-शोलिपोरा, 10-नम्मरुल्लाह-पोरा, 11-जहामा, 12-वाटर-वानी, 28-चुने, 29-बडगम, 30-ओमपोरा, 31-नर्कारा, 32-हमहमा, 35-करेबा दामोदर, 36-गुंड साथु, 37-इंचाकूट, 38-इचगाम, 33-रावलपोरा (ग्रामीण), 34-हैदरपोरा (ग्रामीण) पटवार सर्किलें ।
28.	वीरवाह	वीरवाह तहसील में 1-मुजेत गुरीपोरा, 2-कबूसा खालिसा, 3-कबूसा जागिर, 4-बाटापोरा कनिहामा, 5-सनूर कालिपोरा, 6-हर्दू मालपोरा, 7-बंदागाम, 8-अटलिगाम, 9-मुला-थुल्ला, 10-सोनापाह, 12-गोंडिपोरा, 21-शांगिलपोरा, 22-खाग, 23-मालपोरा खाग, 24-हिमचीपोरा, 25-लालपोरा, 26-वीरवाह, 27-चेवदारा, 28-पेट मुखामा, 29-रथुसन, 30-बोना मखामा, 31-नागम, 32-इस्कंदरपोरा, 33-अरीपंथन, 34-पालपोरा, 36-हर्दुआ-शोर्श पटवार सर्किलें ।
29.	खानसाहिब	वीरवाह तहसील में 11-होखालात्री, 13-पर्यन, 14-कंडूरा, 15-ब्रंग, 16-सीताहरन, 17-जोगीखरियन, 18-अरिजल, 19-कमरू, 20-रावलपोरा-वीरवाह और 35-सैल पटवार सर्किलें; और बडगम तहसील में 13-वाटरहेल, 14-ज्वालापोरा, 15-सोंडीपोरा, 16-डालीपोरा, 17-यारीखह, 18-तालापोरा, 19-परनावहा 20-दरियागाम, 21-फ्रेस्टवार खासीपोरा, 22-अरीगाम, 23-खान साहिब, 24-रायथान, 25-कचवाड़ी, 26-गर्वेत कलां, 27-फलचाल पटवार सर्किलें ।
30.	चरार-ए-शरीफ	चदुरा तहसील में 1-गोगजी पथारी, 2-ब्रिंजन, 3-हफरू बाटापोरा, 4-ब्रानवार, 5-सुरस्यार, 6-डाडा-ओमपारा, 7-हंजुरा, 8-नोवपोरा, 9-पाखरपोरा, 10-हड्डू दलवान फुटलीपोरा, 11-तीलसरह, 12-चरारे शरीफ, 13-बटकालू, 14-दारावन नवगाम, 15-छटेसन, 17-नगम, 18-बादीपोरा, 19-यारीकलां, 20-रोपोरा नामतिहाल, 21-कनिर, 22-रंगेर, 23-सोगम और 37-नोहर पटवार सर्किलें ।

1	2	3
		पुलवामा जिला
31.	ट्राल	ट्राल तहसील की सभी पटवार सर्किलें।
32.	पमपोरे	पमपोरे तहसील की सभी पटवार सर्किलें और पुलवामा तहसील की 26-अवंतिपोरा, 27-पडगमपोरा, 29-लिल्हर, 46-निहामा और 47-काकापोरा।
33.	पुलवामा	पुलवामा तहसील की 1-इन्द्र, 2-गंगू, 5-पुलवामा अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 9-रतनिपोरा, 10-पाहू, 11-ट्रिच, 12-कोइल, 13-पिंगलिना, 14-नरवा, 17-लिटर-शिस्टर, 18-नयना, 19-पंजगाम, 20-डोगरीपोरा, 21-ऋषिपोरा, 22-लडेरपुर, 23-नौनगरी, 24-टोकना, 25-मालंगपोरा, 28-लाजूरा, 40-पालापोरा, 45-नेवा, 48-जागीर पारिगाम, 49-तुमची नवपोरा और 50-हाकरीपोरा पटवार सर्किलें।
34.	राजपोरा	पुलवामा तहसील की 3-करीमाबाद, 4-मोरन, 6-कंगन, 7-वाहीबुग, 8-गूसू, 15-बोनराह, 16-त्रिचाल, 30-रामू, 31-बिल्लोडरगुंड, 32-कम्बायार, 33-दुवगाम, 34-मितरीगाम, 35-अभामा, 36-नुजान, 37-खायगाम, 38-नूरपोरा पेईन, 39-अरिहल, 41-ताहब-शादीपोरा, 42-अचान, 43-चांदीगाम, 44-राजपोरा पटवार सर्किलें।
35.	वाची	शोपियान तहसील की 8-कालरू मलिकगुंड, 9-नडिगाम, 11-डंगेरपोरा, 12-तुर्का बंगम, 13-उरापोरा, 14-हरडू-हंडो, 15-हरमैन, 16-चक-चौलेंड, 17-कपरन, 19-डन्गाम, 20-चकोरा, 21-प्रताबपोरा, 24-कांजी उल्लर, 25-चित्रगाम, 26-दरिकापोरा, 27-हेफ, 28-सुगान, 29-अवनेरा, 30-वाची, 31-अगलर, 32-जेनापोरा और 39-अलौपोरा-शेखपोरा पटवार सर्किलें।
36.	शोपियान	शोपियान तहसील में 1-सैदापोरा, 2-मीमानदार, 3-अरहामा, 4-पिन्जुरा, 5-गानोवपोरा अरिष, 6-बेमनिपोरा, 7-हरापोरा, 10-ट्रेंज, 18-वेहिल्लल-अवदू, 22-सेड्यू, 23-राम नगरी, 33-दियारू, 34-वार्थिपोरा, 35-दरमदूरा, 36-जूर-बदेरहामा, 37-नारापोरा, 38-कीगम, 40-केल्लर मस्तपोरा, 41-पहलीपोरा, 42-सिंधु-श्रीमल, 43-शोपियान, 44-देवीपोरा (वन खंड) पटवार सर्किलें।
		अनंतनाग जिला
37.	नूराबाद	कुलगाम तहसील की 5-मालवान, 6-पहलू, 7-अखल, 23-गुडेर, 34-ब्रिनाल लंबेर, 46-दमहाल-हांजीपोरा, 47-अहमदा-आवाद, 48-यारू, 49-हरदू-मंदागोरी, 51-मंजगाम, 52-असनूर, 53-वाहू, 54-अविल, 55-खूरी-वाटपोरा, 56-नगम, 57-दनौव-कांडीमार्ग, 58-वादीजेहलान, 59-चिमर, 60-कस्बाबुल, 61-नन्दिमार्ग पटवार सर्किलें।
38.	कुलगाम	तहसील कुलगाम में 1-कुलगाम अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 2-हनद-चवलगाम, 3-अमनू, 4-चम्बागुन्ड, 11-अषमुजी, 19-मिरहामा, 20-अकेय, 21-परिवान, 22-चेहला, 24-अरेह, 25-बिहिवाग, 26-गोपालपोरा, 38-बुगाम, 39-तारीगाम-देवसर, 43-यामरोच, 44-मुनदगुफन, 45-कतेरसू, 50-लडगूरहामा पटवार सर्किलें।
39.	होमशालीबुग	तहसील कुलगाम में 8-ऊरनहल, 9-तुली-नौपोरा, 10-कुजार, 12-रेडवानी, 13-अरवानी, 14-फ्रीसाल, 15-जबलीपोरा, 16-वनपोरा, 17-हस्सनपोरा तावला, 18-खंडी-पाहूडी, 40-तारीगाम-देवीबुग, 41-मतिबुग, 42-होमशालीबुग पटवार सर्किलें।
40.	अनंतनाग	तहसील अनंतनाग में 1-कस्बा भगत, 2-खानावाल, 3-रूहू, 4-कमर, 5-अंचिदूरा, 6-हरदू-चिचान, 10-रणबीरपोरा पटवार सर्किलें।
41.	देवसर	तहसील कुलगाम में 27-देवसर, 28-बोना देवसर, 29-किलाम-बुजगाम, 30-हबलिशी, 31-निपोरा, 32-लरम-गानीपोरा, 33-चौगाम, 35-रजलू, 36-वलटेगू, 37-सोपत टेंगपोरा, 62-ओरल, पटवार सर्किलें; और डोरू तहसील में 18-वेसू, 19-नासू बदरगुंड, 20-पंजेठ, 21-कुरीगाम, 23-काजीगुंड अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित पटवार सर्किलें।

1	2	3
42.	डोरू	डोरू तहसील में 1-डोरू, 2-ब्रागाम, 3-ओईबामदूथ, 4-मांटपोरा, 5-लड़कीपोरा, 6-हकुरा-बदासगाम, 7-वाटगुंड, 8-वेरीनाग, 9-सादीबाडा, 10-मुंडहा, 11-हिल्लर, 12-नौगाम शाहाबाद, 13-रेन-चौगुंड, 14-थामानकूट, 15-कमार, 16-हल्सीदार, 17-कापरोन, 22-वानगुंड पटवार सर्किलें।
43.	कोकरनाग	अनंतनाग तहसील में 28-सागम, 29-बिडेर-हयातपोरा, 30-भाई, 31-अकिनगाम, 32-नगाम, 33-सूफ-शाली, 34-पंजगाम, 35-बिन्दो-जुलांगाम, 36-देवलगाम, 37-नलला सुन्द-ब्रागी, 38-लोहार-सांजी, 39-अहलान-गोदोल, 40-खारात्ती, 41-देसू, 42-खारापोरा, 43-कस्बा-नोऊबुघ, 44-माती हंडू, 45-लारनू, 46-कोकरनाग अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 47-अचबल अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित पटवार सर्किलें।
44.	शानगुम	अनंतनाग तहसील में 13-साहिबाबाद, 14-नौगाम, 15-इमोह, 16-ब्राकापुरा, 17-शानगुम, 18-उत्तारसू, 19-क्रेरी, 20-चतरगुल, 21-वीकालपुरा, 22-रानीपोरा, 23-देथो-नागनारायण, 24-गोपालपोरा, 25-तेलवानी, 26-क्वारीगम, 27-आहुपैसन पटवार सर्किलें।
45.	बिजवेहरा	बिजवेहरा तहसील में सभी पटवार सर्किलें और अनंतनाग तहसील में 7-माचाबावन, 11-नानिलांग, 12-अकोरा पटवार सर्किलें।
46.	पहलगाम	पहलगाम तहसील में सभी पटवार सर्किलें और अनंतनाग तहसील में 8-सीर-केनलीगुंड, 9-सालिया पटवार सर्किलें।
डोडा जिला		
47.	किशतवाड	तहसील किशतवाड में 1-मारघी, 2-इन्शान, 3-चेरूडू, 4-रेनाई, 5-नौपाची, 6-चांजेर, 7-कादेराना, 8-देहराना, 9-लोपारा, 10-लोहारना, 11-सौउंधार, 19-पालमार, 30-त्रिगाम, 31-किशतवाड, 32-मट्टा, 33-पूचाल, 34-दूल, 35-बागनाह, 36-गालारबाहटा, 37-अथोली, 38-सोहाल, 39-इशितआरी, 40-गुलाबगढ़, 41-मामू, 42-किशतवाड अधिसूचित क्षेत्र समिति और 43-फोरेस्ट ब्लॉक पटवार सर्किलें।
48.	इंदरवाल	किशतवाड तहसील में 12-चिंगाम, 13-इंदरवाल, 14-चाटरू, 15-सिगडी, 16-मूल छितर, 17-दुबिल, 18-कोचाल, 20-फिल्लर, 21-पखलान, 22-केशवान, 23-शान्दरी, 24-संगना, 25-पटनाजी, 26-ज्वालापुर, 27-लौंडरी, 28-बधात और 29-कारूल पटवार सर्किलें; भालेसा (गन्दोह) तहसील में 1-जाकयास पटवार सर्किल और थाथरी तहसील में निम्नलिखित हैं :- 1-जंगलवार, 3-मालानू, 4-कांसू, 10-कंडोटे पटवार सर्किलें।
49.	डोडा	डोडा तहसील में 8-देस्सा, 9-धांडल, 10-कास्तीगढ़, 11-शाम्ती, 12-चाका कुंडी, 13-अस्सार, 14-चारोंटा पटवार सर्किलों को छोड़कर सभी पटवार सर्किलें।
50.	भदरवाह	तहसील भदरवाह की सभी पटवार सर्किलें और भलेसा तहसील में 2-बुधली, 3-चिल्ली, 4-द्रावानी, 5-काहाल जुगासार, 6-बुडवार, 7-चानिसार, 8-किलोट्रान, 9-खारांगल, 10-गंडोह पटवार सर्किलें तथा थाथरी तहसील में 2-जोरा, 5-भाजा, 6-भल्ला, 7-जागति, 8-भल्लारी, 9-रोकाली, 11-पामशायी पटवार सर्किलें।
51.	रामबन (अ.जा.)	रामबन तहसील की 5-सारबागनी पटवार सर्किल को छोड़कर सभी पटवार सर्किलें तथा डोडा तहसील की 8-देस्सा, 9-धांधल, 10-कास्तीगढ़, 11-शाम्ती, 12-चाका, 13-अस्सार, 14-चारोंटा पटवार सर्किलें।
52.	बनिहाल	बनीहाल तहसील की सभी पटवार सर्किलें और रामबन तहसील में 5-सारबागनी।

1	2	3
उधमपुर जिला		
53.	गुलाबगढ़	गुलाबगढ़ तहसील में 1-माहोरे, 2-सारह, 3-देवाल, 4-गुलाबगढ़, 5-चासोटे, 6-बागानकोटे, 7-शेरगढ़ी, 8-शिकारी, 9-कांथी, 10-तुलीबाना, 13-शाजरू पटवार सर्किलें और तहसील रिआसी में 16-जिज पटवार सर्किलें।
54.	रिआसी	54 रिआसी तहसील में निम्नलिखित पटवार सर्किलों को छोड़कर:— 1-सालाल, 15-चिंकाह, 16-जिज, 17-थाकराकोटे तथा उधमपुर तहसील निम्नलिखित पटवार सर्किलें:—13-पंजार, 14-लाली, 15-लाडाह, 17-धांडू, 18-झांडावा, 32-बदहोटा और 19-सुहाल।
55.	गुलअरनास	गुल गुलाबगढ़ तहसील में की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:—11-थुरू, 12-बुधान, 4-कांथान, 15-जुड्डा, 16-धानोआ, 17-काली मस्ता, 18-गूल, 19-थाथरका, 20-संगालदान, 21-फारेस्ट ब्लॉक; और रिआसी तहसील में 1-सालाल, 15-चिंकाह, 17-थाकराकोटे पटवार सर्किलें।
56.	उधमपुर	उधमपुर तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलों को छोड़कर सभी पटवार सर्किलें:—13-पंजार, 14-लाली, 15-लाडा, 17-धांडू, 18-झांडावा, 19-सुहाल, 20-लुधा, 21, बालियां, 27-सुनाल, 29-मीर, 30-कांथी, 32-बाधोटा।
57.	चेनानी (अ.जा.)	चेनानी तहसील की सभी पटवार सर्किलें और उधमपुर तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:—20-लाडा, 21-बालियां, 27-सुनाल, 29-मीर, 30-कांथी तथा रामनगर तहसील के निम्नलिखित पटवार सर्किलें:— 10-डुडु, 11-लाट्टी, 31-घोरडी, 33-हरतारियन, 34-धंदाल, 35-बारमीन, 36-नल्ला घोरान।
58.	रामनगर	रामनगर तहसील की निम्नलिखित सर्किलों को छोड़कर सभी पटवार सर्किलें:—10-डुडु, 11-लाट्टी, 31-घोरडी, 33-हरतारियन, 34-धंदाल, 35-बारमीन, 36-नाला घोरान।
कठुआ जिला		
59.	बानी	बासोहली तहसील में 14-बानी, 15-बांजाल, 16-फतेहपुर, 17-संदरून, 18-रोलका, 19-बुग्गाह, 20-लोवांग, 21-कांथाल, 22-सुरजान, 23-धानगार, 24-कोटी, 25-फारेस्ट ब्लॉक पटवार सर्किलें तथा बिल्लावर तहसील में 9-गोडुफलाल, 10-बदनोटा, 11-माचाडी, 20-मल्हार पटवार सर्किलें।
60.	बासोहली	कठुआ तहसील में 1-थेइन, 2-बसंतपुर, 3-लखनपुर, 4-हाटली, 7-त्रिडवान, 36-लखनपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 29-बर्थियान और 30-सोरलैन तथा बासोहली तहसील में 1-बासोहली, 1क-बासोली अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 2-संधार, 3-हुट्ट, 4-भूंड, 5-सामान, 6-धार जंकार, 7-धार महानपुर, 8-प्लाही, 9-प्रीता, 10-सावेर, 11-पट्टी, 12-इथालिथ, 13-महानपुर पटवार सर्किलें तथा बिल्लावर तहसील में 21-धार डिगनो, 22-हुत्तार, 23-डांवरा पटवार सर्किलें।
61.	कठुआ	कठुआ तहसील की 5-दिलवान, 6-माहा, 8-खारोटे, 9-तराफ मानजिली, 10-तराफ ताजवाल, 11-कारियां, 12-तराफ बाजवाल, 13-चांगरान, 14-गोविंदसार, 15-चाक सून नूपा, 16-खाखयाल, 17-मीरपुर राम, 18-तराफ बल्ला, 20-काथारीयान, 21-जंगलोटे, 22-लोआगाटे, 23-जखवार, 24-अइरवान, 26-चाक सकता, 27-बुधी, 28-नानन, 31-वारवाल, 32-झेरहेरे, 33-कठुआ फारेस्ट ब्लॉक, 34-कठुआ अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 35-पेरलैन तथा 25-फोलोटे पटवार सर्किलें।

1	2	3
62.	बिल्लावर	हीरानगर तहसील की 11-काटली, 17-भाया, 21-डेंगा अंब, 23-धमाल, 25-मंगलूर, 26-चेलाख, 27-सालैन पटवार सर्किलें, तथा बिल्लावर तहसील में 1-रामकोट, 2-माकवाल, 3-सालोरा, 4-राजबल्टा, 5-दांजीसधर, 6-थारा कलवाल, 7-काल्याल, 8-थांधू, 12-कोहाग, 13-माल्टी, 14-दुरांग, 15-धारान कोटे, 16-भादू, 17-बिल्लावर, 18-बिलावर अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 19-बुगान, 24-पारनाला, 25-पल्लन पटवार सर्किलें तथा कटुआ तहसील में 19-जुथाना पटवार सर्किलें।
63.	हीरानगर (अ.जा.)	हीरानगर तहसील में 1-जटवाल, 2-नोनाथ, 3-घागवाल, 4-साराथ, 5-भटियारी कोटलान, 6-सानूरा, 7-मावा, 8-नोहरान, 9-चाचवाल, 10-सारती कलां, 12-चाक दुलमा, 13-जोंडी, 14-लेंडी, 15-राजपुरा, 16-कुटाह, 18-गुराह माथियान, 19-बाबिया, 20-काटल ब्राहमणा, 24-हमीरपुर, 28-छान रोरियन, 29-मारहीन, 22-सेसवान, 30-खानपुर, 31-हीरानगर, 32-हीरानगर अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 33-पंसार, 34-कोरे पुनु, 35-चाक देवा, 36-चाक भगवाना, 36-चाक कहना, 38-चडवाल, 39-फारेस्ट ब्लॉक।
जम्मू जिला		
64.	साम्बा (अ.जा.)	साम्बा तहसील में 1- अधिसूचित क्षेत्र समिति साम्बा, 2-साम्बा खास, 3-ताल्लूर, 4-अमली, 5-दुरिन, 6-कतली, 7-रामनगर, 8-पिंगडोर, 11-सुनियान, 10-सरना, 12-भरतगढ़, 13-सुरान, 14-गोरान, 15-बाल्हटर, 17-काटवाला, 18-खराह मडेना, 21-बाधोर, 22-पुरमंडल, 24-मोहरगढ़, 25-वाधारी, 26-कद पटवार सर्किलें और जम्मू तहसील में 28-चौडी पटवार सर्किलें।
65.	विजयपुर	साम्बा तहसील में 9-खानपुर, 20-विजयपुर, 23-गुराह सलाथियां, 28-हरमंदर, 29-चाक सलारियन, 30-तंगा, 31-लोगवाल, 32-केसो मनहासन, 33-रामगढ़, 34-घो-ब्रह्माना, 35-चाक चटाका, 36-चन्न फटवाल, 37-अबताल, 38-स्वांखा, 39-महलशान, 40-रारी, 41-स्माईलपुर, 27-बीरपुर, 42-तरोरे, 43-बागला, 44-गंडवाल पटवार सर्किलें।
66.	नगरोटा	जम्मू तहसील में 39-रंजन, 40-सरोटे, 41-जंडियाल, 42-गोरडा, 44-नगरोटा, 45-दंसाल, 46-झाजर कोटली, 47-थारा, 48-बामयाल, 49-काटल बाटल, 50-शिबा, 51-जगती, 52-जिंदराह, 53-कन्याला, 54-कोठार, 55-खारते, 56-धान, 57-सोंगून, 58-पोंथल, 59-सुरिनसार पटवार सर्किलें और साम्बा तहसील में 16-बेन बजाल्टा, 19-एथाम पटवार सर्किलें।
67.	गांधीनगर	तहसील जम्मू में वार्ड-16 (गांधी नगर), वार्ड-17 (नई बस्ती), वार्ड-22 (छानी रामा), वार्ड-23 (बाहु), 24-डिगियाना, 26-बाहु, 27-सुंजवान, 29-गाडीगढ़, 30-सतवाडी।
68.	जम्मू पूर्व	वार्ड 1 से 6, 9, 10, 12 और 15।
69.	जम्मू पश्चिम	वार्ड 7, 8, 11, 13, 14,, 18, 19, 20, और 21।
70.	बिश्राह	तहसील विशनाह में सभी पटवार सर्किलें और तहसील जम्मू में 25-नौगरन।
71.	आर०एस० पुरा (अ.जा.)	तहसील आर०एस० पुरा में 1-सल्हार, 2-राथाना, 3-कांडलीहर, 4-खौर, 5-कल्याणा, 14-आर०एस० पुरा अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित 15-खाम गिगियन, 16-चोहल्ला, 19-किरपिंड, 20-कोटली शाह दुला, 25-मर्लिया, 24-दारसोपुर, 35-गोंडला पटवार सर्किलें
72.	सुचेतगढ़	तहसील आर०एस० पुरा में 6-डबलीहार, 7-मागोवाली, 8-परलाह, 9-चाक बाजा, 10-नेकोवाल, 11-जेवरोह, 12-साई कलां, 13-चाक मुलो, 17-बद्याल ब्राह्मण, 18-जेसोर, 21-चाक आगरा, 22-फतेहपुर ब्राह्मण, 25-सामका, 26-बसपुर, 27-रंगपुर मलाना, 28-सुचेतगढ़, 29-चंडू चाक, 30-सातोवाली, 31-घराना, 32-बडयाल काज़ियां, 33-अब्दाल, 34-चकरोई पटवार सर्किलें।
73.	मरह	जम्मू तहसील में 60-प्रह्लादपुर, 61-मंडल, 62-सुम, 65-घोमन्हासन, 66-सोहनजाना, 67-थव, 68-सहरान, 69-रथुआ, 70-चानोर, 71-मकवाल, 72-गोल, 74-गजानसू, 75-कल्याणपुर, 76-काहनाचक, 77-मरह, 78-गंगु-चाक, 79-कालरूप, 80-धातेरयाल, 31-फलोरा नागबानी पटवार सर्किलें।

1	2	3
74.	रायपुर दोमाना (अ.जा.)	जम्मू तहसील में 31-पलोरा, 32-मुथि, 33-बारन, 34-सिरी पंडितान, 35-घारोटा, 36-रायपुर दोमाना, 37-कोट भलवाल, 38-अम्ब, 43-कैक, 63-हक्काल, 64-खंडवाल, 73-भद्रोरा, 82-पांजोरे पटवार सर्किलें।
75.	अखनूर	तहसील अखनूर में 1-चौकी, 2-चाउरा, 3-काथार, 4-मंदारियन, 8-नरी, 6-अम्बारान, 7-बारुई, 9-गंडेरवान, 10-मंदा, 11-अखनूर खास, 12-सुंगाल, 13-पंगियारी, 14-देवीपुर, 15-चाक किरपालपुर, 16-जाध, 17-मुथि माइरा, 18-राख धोके, 19-सालीओट, 20-घर माजुर, 21-मावा ब्राह्मना, 22-लेहरियान पटवार सर्किलें।
76.	छंब (अ.जा.)	अखनूर तहसील में 8-मट्टू, 24-गुराह मन्हासन, 25-सरवाल, 23-परगवाल, 26-भलवाल मालु, 27-हमीरपुर, 28-बाकोरे, 29-चाक मलाल, 30-डेरियन, 31-सैथ, 32-गिगारियाल, 33-खौर, 34-कोट मेरा, 35-पलानवाला, 36-खराह, 37-नथाल, 38-दूरी, 39-छानी देवनू, 40-सामुआन, 41-चाकला पटवार सर्किलें।

राजौरी जिला

77.	नौशेरा	11-नारियान को छोड़कर नौशेरा तहसील की सभी पटवार सर्किलें और सुंदरबनी तहसील की सभी पटवार सर्किलें।
78.	दरहल	3-खावास, 6-कोटे चलवल को छोड़कर बुधाल तहसील की सभी पटवार सर्किलें और थानामंडी तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:-- 5-दरहल, 6-चोदियान, 7-नडियान, 8-उजहान और राजौरी तहसील में 4-नगरोटा पटवार सर्किलें।
79.	राजौरी	राजौरी तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:-- 1-गंवीर मुगलान, 2-दानी-धर, 7-बाथुनी, 8-सरोला, 9-सोहना, 10-डूंगी ब्राह्मण 11-कटरमाल, 12-डेयरी डेलोटे, 13-पंज ग्रेन, 14-गलहोटी, 15-फतैहपुर, 17-बागला, 19-रामपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति राजौरी सहित और थानामंडी तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:-- 1-डोडासन बल्ला, 2-साज, 3-शाहदरा शरीफ, 4-होम्पलोटे, 10-थानामंडी अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित और 9-भरोरे।
80.	कलाकोटे	कलाकोटे तहसील की सभी पटवार सर्किलें और राजौरी तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:-- 2-दलहारी, 3-धांगरी, 6-पोथा गरलाना, 16-खानपुर चिंगुस, 18-भादून और नौशेरा तहसील का 11-नरियान पटवार सर्किल और बुधल तहसील का 3-खासकोटे चलवाल।

पुंछ जिला

81.	सुरनकोट	सुरनकोट तहसील में सभी पटवार सर्किलें और पुंछ तहसील में 12-राजपुर, 21-शिंद्रा, 22-सेरी ख्वाजा पटवार सर्किलें।
82.	मेंधार	मेंधार तहसील की सभी पटवार सर्किलें।
83.	पुंछ हवेली	12-राजपुर, 21-शिंद्रा, 22-शेरी ख्वाजा को छोड़कर पुंछ तहसील की सभी पटवार सर्किलें।

टिप्पण—इस सारणी में किसी तहसील, पटवार सर्किल (पीसी), वार्ड या एनएसी (अधिसूचित क्षेत्र समिति) के प्रति किसी निर्देश से 1 अप्रैल, 1995 को उस तहसील, पटवार सर्किल, अधिसूचित क्षेत्र समिति या वार्ड के भीतर सम्मिलित क्षेत्र अभिप्रेत होगा।

चौथी अनुसूची

(धारा 16, धारा 24 और धारा 54 देखिए)

शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप

1

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

“मैं, अमुक, जो की विधान सभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।”

2

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

“मैं, अमुक, जो की विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।”

3

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् के सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

“मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं संघ राज्यक्षेत्र के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।”

4

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् के सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

“मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ राज्यक्षेत्र के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।”

पांचवीं अनुसूची
(धारा 95 और धारा 96 देखिए)
सारणी 1

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र; और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू केन्द्रीय विधियां

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
1.	आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
2.	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985	धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) का लोप किया जाएगा।
3.	आनंद विवाह अधिनियम, 1909	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
4.	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
5.	बेनामी संपत्ति संब्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
6.	पूत विन्यास अधिनियम, 1890	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
7.	चिट फंड अधिनियम, 1982	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
8.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप किया जाएगा।
9.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
10.	वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
11.	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
12.	जांच आयोग अधिनियम, 1952	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
13.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
14.	न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
15.	परिसीमन अधिनियम, 2002	धारा 2 की उपधारा (च) का लोप किया जाएगा।
16.	मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
17.	विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
18.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
19.	ओपधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
20.	सुखाचार अधिनियम, 1891	पूर्णतः विस्तारित।

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
21.	विद्युत अधिनियम, 2003	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
22.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
23.	सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निरुमाण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993	पूर्णतः विस्तारित।
24.	शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
25.	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
26.	कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
27.	घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
28.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
29.	साधारण खंड अधिनियम, 1897	पूर्णतः विस्तारित।
30.	राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
31.	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
32.	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
33.	हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
34.	हिन्दू संपत्ति व्ययन अधिनियम, 1916	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
35.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
36.	हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
37.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
38.	बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1920	पूर्णतः विस्तारित।
39.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
40.	भारतीय बायलर अधिनियम, 1923	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
41.	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
42.	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
43.	भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882	पूर्णतः विस्तारित।
44.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
45.	भारतीय वन अधिनियम, 1927	पूर्णतः विस्तारित।
46.	भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
47.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
48.	भारतीय दंड संहिता, 1860	धारा 1 में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
49.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
50.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	पूर्णतः विस्तारित।
51.	भारतीय न्याय अधिनियम, 1882	धारा 1 में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
52.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
53.	न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1995	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
54.	न्यायिक अधिकारी (संरक्षण) अधिनियम, 1850	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
55.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
56.	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
57.	परिमीमा अधिनियम, 1963	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
58.	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
59.	वयस्कता अधिनियम, 1875	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
60.	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
61.	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
62.	मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
63.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
64.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
65.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
66.	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
67.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
67क.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
68.	राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
69.	शपथ अधिनियम, 1969	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
70.	विभाजन अधिनियम, 1893	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
71.	भेषजी अधिनियम, 1948	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
72.	मुख्तारनामा अधिनियम, 1882	धारा 1 में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
73.	गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
74.	चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
75.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
76.	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
77.	लोक संपत्ति तुकसान निवारण अधिनियम, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
78.	बन्दी अधिनियम, 1900	पूर्णतः विस्तारित।
79.	कारागार अधिनियम, 1894	पूर्णतः विस्तारित।
80.	प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
81.	इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
82.	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
83.	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
84.	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
85.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
86.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
87.	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
88.	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867	पूर्णतः विस्तारित।
89.	लोक अभिलेख अधिनियम, 1993	पूर्णतः विस्तारित।
90.	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
91.	धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863	पूर्णतः विस्तारित।
92.	धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
93.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
94.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
94क.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	धारा 2 में,— (i) उपधारा (1) के खंड (घ) में "जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा; और (ii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।
95.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
96.	माल विक्रय अधिनियम, 1930	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
97.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
98.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
99.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
100.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
101.	वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887	पूर्णतः विस्तारित।
102.	संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882	पूर्णतः विस्तारित।
103.	मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994	पूर्णतः विस्तारित।
104.	वक्फ अधिनियम, 1995	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
105.	सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
106.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

सारणी 2

राज्य विधियाँ, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को संशोधनों के साथ लागू होंगी

क्रम सं०	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4	5
1.	संवत् 1977 (1920 एडी)	42	संपत्ति अन्तरण अधिनियम	धारा 139 और धारा 140 का लोप किया जाएगा।
2.	संवत् 1995 (1938 एडी)	5	जम्मू-कश्मीर भूमि का अन्यसंक्रामण अधिनियम	धारा 4 और धारा 4क का लोप किया जाएगा।
3.	संवत् 2007 (1950 एडी)	17	जम्मू-कश्मीर वृहद् भू-संपदा उत्त्पादन अधिनियम	धारा 20क का लोप किया जाएगा।
4.	1960	38	जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम	अ. धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों का लोप किया जाएगा ; और आ. धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (i) का लोप किया जाएगा।
5.	1976	17	जम्मू-कश्मीर भूमि संबंधी सुधार अधिनियम	धारा 17 का लोप किया जाएगा।
6.	1989	10	जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम	धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा।
7.	2004	14	जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम	अ. धारा 2 में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— ‘(छक) “आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग” से ऐसे प्रवर्ग अभिप्रेत हैं, जो सरकार द्वारा खंड (ड), खंड (ढ) और खंड (ण) में परिभाषित वर्गों या प्रवर्गों से भिन्न, कौटुंबिक आय और अन्य आर्थिक अलाभ सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ;’। आ. धारा 3 की उपधारा (1) में,—)i(खंड (क) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ; (ii(खंड (ख) में, “पिछड़ा वर्ग” शब्दों के स्थान पर “पिछड़ा वर्ग ; और” शब्द रखे जाएंगे ; (iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(ग) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग :”; (iv) पहले परंतुक में, “आरक्षण की कुल प्रतिशतता” शब्दों के स्थान पर “खंड (क) और खंड (ख) में उपबंधित आरक्षण की कुल प्रतिशतता” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;)v) दूसरे परंतुक में, “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— “परंतु यह और कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण, इस उपधारा में यथा उपबंधित विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्वधीन होगा ; परंतु यह भी कि”।

1	2	3	4	5
				<p>इ. धारा 9 की उपधारा (1) में,—</p> <p>)i(“सरकार, आरक्षित प्रवर्गों तथा” से आरंभ होने वाले और “स्थान आरक्षित करेगी” पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“सरकार,—</p> <p>(क) आरक्षित प्रवर्गों और ऐसे अन्य वर्गों या प्रवर्गों के, जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ; और</p> <p>(ख) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के, अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित करेगी :”;</p> <p>)ii(परंतुक में, “आरक्षण की कुल प्रतिशतता” शब्दों के स्थान पर “खंड (क) में उपबंधित आरक्षण की कुल प्रतिशतता” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;</p> <p>)iii(परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“परंतु यह और कि वृत्तिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण इस उपधारा में यथा उपबंधित विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक प्रवर्ग में स्थानों का अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यक्षीन होगा :”।</p>

सारणी 3

राज्यपाल वाले अधिनियमों सहित ऐसी राज्य विधियां जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ; और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में निरसित हो गई हैं

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
1.	जम्मू-कश्मीर जवाबदेयी आयोग अधिनियम, 2002	2002 का 38
2.	जम्मू-कश्मीर अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1997	1997 का 26
3.	जम्मू-कश्मीर कृषि आय-कर अधिनियम, 1962	1962 का 21
4.	जम्मू-कश्मीर (राज्य) कृषि उपज विपणन विनियमन अधिनियम, 1997	1997 का 36
5.	जम्मू-कश्मीर आनंद विवाह अधिनियम, 1954	2011 का 9
6.	जम्मू-कश्मीर पशु रोग (नियंत्रण) अधिनियम, 1949	2006 का 15
7.	जम्मू-कश्मीर अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1989	1989 का 1
8.	जम्मू-कश्मीर माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1997	1997 का 35
9.	जम्मू-कश्मीर आर्य समाज विवाह (विधिमार्ग्यकरण) अधिनियम, 1942	1999 का 3
10.	जम्मू-कश्मीर आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1959	1959 का 26
11.	जम्मू-कश्मीर बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1920	1977 का 6
12.	जम्मू-कश्मीर वेनामी संब्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 2010	2010 का 5
13.	जम्मू-कश्मीर वायलर अधिनियम, संवत् 1991	संवत् 1991 का 4
14.	बौद्ध बहुपत्नीत्व विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1941	1998 का 2
15.	जम्मू-कश्मीर पशु अतिचार अधिनियम, 1920	1977 का 7
16.	जम्मू-कश्मीर पूर्त विन्यास अधिनियम, 1989	1989 का 14
17.	जम्मू-कश्मीर चिट फंड अधिनियम, 2016	2016 का 11
18.	जम्मू-कश्मीर क्रिश्चियन विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1957	1957 का 3
19.	जम्मू-कश्मीर चलचित्र अधिनियम, 1933	1989 का 24
20.	सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977	संवत् 1977 का 10
21.	दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989	संवत् 1989 का 23
22.	जम्मू-कश्मीर सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2010	2010 का 18
23.	जम्मू-कश्मीर (राज्य) महिला आयोग अधिनियम, 1999	1999 का 5
24.	जम्मू-कश्मीर जांच आयोग अधिनियम, 1987	1962 का 32
25.	जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987	1987 का 16
26.	जम्मू-कश्मीर न्यायालय अवमान अधिनियम, 1997	1997 का 25
27.	जम्मू-कश्मीर आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1957	1957 का 24
28.	जम्मू-कश्मीर संविदा अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 9
29.	जम्मू-कश्मीर न्यायालय फीस अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 7
30.	जम्मू-कश्मीर प्रतिपाल्य न्यायालय अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 52
31.	जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, संवत् 1993	संवत् 1993 का 1

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
32.	जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1958	1958 का 3
33.	जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1983	1983 का 10
34.	जम्मू-कश्मीर सीमाशुल्क अधिनियम, संवत् 1958	संवत् 1958 का 8
35.	जम्मू-कश्मीर देही अदालत अधिनियम, 2013	2013 का 15
36.	जम्मू-कश्मीर अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1920	1920 का 12
37.	जम्मू-कश्मीर विस्थापित व्यक्ति (स्थाई बंदोबस्त) अधिनियम, 1971	1971 का 10
38.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1942	संवत् 1999 का 10
39.	जम्मू-कश्मीर दहेज अवरोध अधिनियम, 1960	1960 का 36
40.	जम्मू-कश्मीर सुखाचार अधिनियम, 1920	संवत् 1977 का 14
41.	जम्मू-कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010	2010 का 13
42.	जम्मू-कश्मीर विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1963	1963 का 11
43.	जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि (और) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1961	1961 का 15
44.	जम्मू-कश्मीर सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 2010	2010 का 19
45.	जम्मू-कश्मीर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2011	2011 का 14
46.	जम्मू-कश्मीर महामारी अधिनियम, 1920	1977 का 16
47.	(राज्य) निष्क्रान्त (संपत्ति का प्रशासन) (आदेशों, कार्यवाहियों और अधिनियमों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1958	1958 का 4
48.	जम्मू-कश्मीर साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977 (1920 ए.डी.)	संवत् 1977 का 13
49.	जम्मू-कश्मीर घातक दुर्घटना अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 17
50.	जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, संवत् 1987	संवत् 1987 का 2
51.	जम्मू-कश्मीर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1997	1997 का 30
52.	जम्मू-कश्मीर वन (काष्ठ विक्रय) अधिनियम, संवत् 1987	संवत् 1987 का 3
53.	जम्मू-कश्मीर साधारण खंड अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 20
54.	जम्मू-कश्मीर सदाचरण बन्दी (अस्थायी निर्मुक्ति) अधिनियम, 1978	1978 का 7
55.	सरकारी सेवक (निरोध में रखे गए) अधिनियम, 1956	1956 का 15
56.	जम्मू-कश्मीर राज्य में पुनर्व्यस्थापन (या स्थायी वापसी) के लिए अनुदत्त अनुज्ञापत्र अधिनियम, 1982	1982 का 10
57.	जम्मू-कश्मीर संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 19
58.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1960	1960 का 2
59.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू संपत्ति व्ययन अधिनियम, संवत् 1997	संवत् 1997 का 16
60.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू विरासत (निर्योग्यता निराकरण) अधिनियम, संवत् 1997	संवत् 1997 का 18
61.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू विवाह अधिनियम, 1980	1980 का 4

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
62.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू विवाह (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1963	1963 का 16
63.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1957	1957 का 7
64.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	1956 का 38
65.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू विधवा पुनर्विवाह और संपत्ति अधिनियम, संवत् 1989	संवत् 1989 का 29
66.	जम्मू-कश्मीर होम्योपैथी व्यवसायी अधिनियम, 2003	2003 का 8
67.	जम्मू-कश्मीर बन्दी शनाख्त अधिनियम, संवत् 1994	संवत् 1994 का 4
68.	जम्मू-कश्मीर शिशु विवाह निवारण अधिनियम, संवत् 1985	संवत् 1985 का 1
69.	उपकरण (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1959	1959 का 7
70.	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1971	
71.	जम्मू-कश्मीर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2013	2013 का 7
72.	जम्मू-कश्मीर किशोर धूम्रपान अधिनियम, संवत् 1986	संवत् 1986 का 2
73.	भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990	संवत् 1990 का 10
74.	विधि व्यवसायी (फीस) अधिनियम, संवत् 1988	संवत् 1988 का 7
75.	जम्मू-कश्मीर विधिक प्रतिनिधि वाद अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 22
76.	जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1997	1997 का 33
77.	जम्मू-कश्मीर परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995	संवत् 1995 का 9
78.	जम्मू-कश्मीर पशुधन अभिवृद्धि अधिनियम, संवत् 1996	संवत् 1996 का 23
79.	जम्मू-कश्मीर स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, संवत् 1997	संवत् 1997 का 6
80.	जम्मू-कश्मीर पागलपन अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 25
81.	जम्मू-कश्मीर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2014	2014 का 16
82.	जम्मू-कश्मीर व्यस्कता अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 26
83.	जम्मू-कश्मीर आयुर्विज्ञान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1998	संवत् 1998 का 4
84.	जम्मू-कश्मीर गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1974	1974 का 23
85.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम मेहर अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 64
86.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 2007	2007 का 4
87.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विनिर्दिष्ट वक्फ और विनिर्दिष्ट वक्फ संपत्ति (प्रबंध और विनियमन) अधिनियम, 2004	2004 का 8
88.	जम्मू-कश्मीर वन कार्यकरण का राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1987	1987 का 7
89.	(राज्य) समाचारपत्र (अपराध उद्दीपन) अधिनियम, संवत् 1971	संवत् 1971 का 14
90.	जम्मू-कश्मीर नर्स परिपद् अधिनियम, 2012	2012 का 4
91.	जम्मू-कश्मीर परिचर्या गृह और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन) अधिनियम, 1963	1963 का 39
92.	शासकीय गुप्त बात अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 43

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
93.	अफीम धूम्रपान अधिनियम, संवत् 2011	संवत् 2011 का 32
94.	आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अध्यादेश, संवत् 2001	संवत् 2001 का अध्यादेश 9
95.	जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण अध्यादेश, संवत् 2000	संवत् 2002 का अध्यादेश 19
96.	पुलिस शास्ति वृद्धि अध्यादेश, संवत् 2005	संवत् 2005 का अध्यादेश 3
97.	भ्रष्टाचार निवारण अध्यादेश, 2001	संवत् 2001 का अध्यादेश 4
98.	जम्मू-कश्मीर लोक सेवक स्थावर संपत्ति अंतरण (निर्बन्धन) अध्यादेश, 2004	संवत् 2004 का अध्यादेश 30
99.	जम्मू-कश्मीर विभाजन अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 30
100.	जम्मू-कश्मीर भागीदारी अधिनियम, संवत् 1996	संवत् 1996 का 5
101.	जम्मू-कश्मीर स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (प्रक्रिया) अधिनियम, 1963	1963 का 13
102.	जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, संवत् 2011	संवत् 2011 का 53
103.	जम्मू-कश्मीर विष अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 34
104.	जम्मू-कश्मीर गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग चयन (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 2002	2002 का 31
105.	(राज्य) प्रेस और प्रकाशन अधिनियम, संवत् 1989	संवत् 1989 का 1
106.	जम्मू-कश्मीर चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1988	1988 का 25
107.	जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत् 2006	संवत् 2006 का 13
108.	जम्मू-कश्मीर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, संवत् 1990	संवत् 1990 का 13
109.	जम्मू-कश्मीर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985	1985 का 19
110.	जम्मू-कश्मीर स्वापक ओपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988	1988 का 23
111.	जम्मू-कश्मीर राज्यगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1979	1979 का 10
112.	जम्मू-कश्मीर बन्दी अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 33
113.	जम्मू-कश्मीर कारागार अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 31
114.	जम्मू-कश्मीर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2015	2015 का 9
115.	जम्मू-कश्मीर पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1956	1956 का 12
116.	जम्मू-कश्मीर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1966	1966 का 37
117.	जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1997	1997 का 15
118.	जम्मू-कश्मीर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2010	2010 का 11
119.	जम्मू-कश्मीर भविष्य निधि अधिनियम, संवत् 1998	संवत् 1998 का 22
120.	जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 18
121.	जम्मू-कश्मीर लोक संपत्ति (क्षति का निवारण) अधिनियम, 1985	1985 का 20
122.	जम्मू-कश्मीर लोक सेवक (जांच) अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 28
123.	(राज्य) रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989	संवत् 1989 का 12

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
124.	जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 35
125.	जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण (संपत्ति अंतरण का संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955	1955 का 6
126.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यता) अधिनियम, संवत् 2008	संवत् 2008 का 6
127.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956	1956 का 21
128.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यता) अधिनियम, 1968	1968 का 33
129.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976	1976 का 1
130.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1985	1985 का 9
131.	जम्मू-कश्मीर धार्मिक विन्यास अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 50
132.	जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957	1957 का 4
133.	जम्मू-कश्मीर स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1968	1968 का 35
134.	जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2009	2009 का 8
135.	जम्मू-कश्मीर माल विक्रय अधिनियम, संवत् 1996	संवत् 1996 का 2
136.	न्यायिक और कार्यपालक कृत्यों की पृथक्ता अधिनियम, 1966	1966 का 40
137.	जम्मू-कश्मीर लघुवाद न्यायालय अधिनियम, संवत् 1968	.
138.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1998	संवत् 1998 का 6
139.	जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट अनुतोप अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 38
140.	जम्मू-कश्मीर वाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1997	1997 का 37
141.	जम्मू-कश्मीर उत्तराधिकार (प्रमाणपत्र) अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 39
142.	उत्तराधिकार (संपत्ति संरक्षण) अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 36
143.	जम्मू-कश्मीर वाद मूल्यांकन अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 37
144.	जम्मू-कश्मीर अशिष्ट विज्ञापनों का दमन अधिनियम, संवत् 2003	संवत् 2003 का 9
145.	जम्मू-कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 42
146.	जम्मू-कश्मीर मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1997	1997 का 3
147.	जम्मू-कश्मीर न्यास अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 41
148.	जम्मू-कश्मीर रतिज रोग अधिनियम, संवत् 2000	संवत् 2000 का 21
149.	पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2001	2001 का 21
150.	जम्मू-कश्मीर (राज्य) ग्रामीण और शहरी गश्त अधिनियम, 1959	1959 का 24
151.	जम्मू-कश्मीर ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम, संवत् 1990	संवत् 1990 का 5
152.	जम्मू-कश्मीर वक्फ अधिनियम, 2001	2001 का 3
153.	जम्मू-कश्मीर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978	1978 का 8

क्रम सं०	राज्यपाल वाले अधिनियम का नाम	राज्यपाल वाले अधिनियम संख्या
1.	जम्मू-कश्मीर राज्य स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 2018	2018 का 6
2.	जम्मू-कश्मीर ओपधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 2018	2018 का 8
3.	जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की (औद्योगिक विनिधान और कारबार सुविधा) अधिनियम, 2018	2018 का 10
4.	जम्मू-कश्मीर वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2018	2018 का 13
5.	जम्मू-कश्मीर कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 2018	2018 का 24
6.	जम्मू-कश्मीर आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2018	2018 का 34
7.	जम्मू-कश्मीर लैंगिक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2018	2018 का 2
8.	जम्मू-कश्मीर दिव्यांगजन व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2018	2018 का 40
9.	जम्मू-कश्मीर बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 2018	2018 का 43
10.	जम्मू-कश्मीर राज्य महिला और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2018	2018 का 46
11.	जम्मू-कश्मीर भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2018	2018 का 53

सारणी 4

राज्यपाल के अधिनियमों सहित राज्य अधिनियम जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त रहेंगे :-

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
1.	जम्मू-कश्मीर आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 2002	2002 का 12
2.	जम्मू-कश्मीर भूमि संबंधी सुधार अधिनियम, 1976	1976 का 17
3.	कृषक अनुतोष अधिनियम, संवत् 1983	संवत् 1983 का 1
4.	जम्मू-कश्मीर कृषकों और भूमि सुधार को सरकारी सहायता अधिनियम, संवत् 1993	संवत् 1993 का 7
5.	जम्मू-कश्मीर उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1961	1961 का 22
6.	जम्मू-कश्मीर भूमि अन्यसंक्रामण अधिनियम, संवत् 1995	संवत् 1995 का 5
7.	जम्मू-कश्मीर शरीर रचना विज्ञान अधिनियम, 1959	1959 का 22
8.	जम्मू-कश्मीर प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 5
9.	जम्मू-कश्मीर बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002	2002 का 16
10.	जम्मू-कश्मीर वृद्ध भू-संपदा उत्पादन अधिनियम, संवत् 2007	संवत् 2007 का 17
11.	जम्मू-कश्मीर वृत्तिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002	2002 का 25
12.	जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975	1975 का 28
13.	जम्मू-कश्मीर राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002	2002 का 24
14.	जम्मू-कश्मीर ईट भट्टा (विनियमन) अधिनियम, 2010	2010 का 17
15.	कैम्पिंग और मूरिंग स्थल अधिनियम, संवत् 2004	संवत् 2004 का 12
16.	जम्मू-कश्मीर चौकीदारी अधिनियम, 1956	1956 का 37
17.	जम्मू-कश्मीर नागरिक विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2014	2014 का 3
18.	जम्मू-कश्मीर सिविल न्यायालय अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 46
19.	जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेन्द्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2010	2010 का 16
20.	जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2010	2010 का 14
21.	श्रीनगर और जम्मू क्लस्टर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016	2016 का 3
22.	जम्मू-कश्मीर राज्य विच्छेदा वर्ग आयोग अधिनियम, 1997	1997 का 12
23.	जम्मू-कश्मीर सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1956	1956 का 24
24.	जम्मू-कश्मीर धृति समेकन अधिनियम, 1962	1962 का 5
25.	जम्मू-कश्मीर निर्माण संक्रिया नियंत्रण अधिनियम, 1988	1988 का 15
26.	जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989	1989 का 10
27.	जम्मू-कश्मीर ऋणी अनुतोष अधिनियम, 1976	1976 का 40
28.	जम्मू-कश्मीर पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1961	1961 का 13
29.	जम्मू-कश्मीर उप मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1957	1957 का 6
30.	जम्मू-कश्मीर उपाध्यक्ष और उप सभापति (उपलब्धियां) अधिनियम, 1956	1956 का 22

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
31.	जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम, 1970	1970 का 19
32.	जम्मू-कश्मीर बाह्य और आंतरिक संचलन (नियंत्रण) अध्यादेश, संवत् 2005	संवत् 2005 का अध्यादेश 5
33.	जम्मू-कश्मीर शत्रु अभिकर्ता अध्यादेश, संवत् 2005	संवत् 2005 का अध्यादेश 8
34.	जम्मू-कश्मीर राज्य आपात अनुतोष निधि अधिनियम, 1960	1960 का 13
35.	जम्मू-कश्मीर उत्पाद-शुल्क अधिनियम, संवत् 1958	
36.	जम्मू-कश्मीर रेजिन निस्सारण अधिनियम, 1988	1988 का 9
37.	जम्मू-कश्मीर राज्य निष्क्रांत (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम, संवत् 2006 (1949 ए.डी.)	संवत् 2006 का 6
38.	जम्मू-कश्मीर पारनौका नियंत्रण अधिनियम, 1971	1971 का 18
39.	जम्मू-कश्मीर राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 2006	2006 का 18
40.	जम्मू-कश्मीर पंचायत और नगरपालिका के लिए वित्त आयोग अधिनियम, 2011	2011 का 16
41.	जम्मू-कश्मीर अग्नि बल अधिनियम, 1967	1967 का 22
42.	जम्मू-कश्मीर राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2006	2006 का 12
43.	जम्मू-कश्मीर मत्स्य उद्योग अधिनियम, 2018	2018 का 16
44.	जम्मू-कश्मीर बाढ़ प्रवण क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2005	2005 का 17
45.	जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम, 1978	1978 का 12
46.	जम्मू-कश्मीर वन (संरक्षण) बल अधिनियम, 2001	2001 का 6
47.	जम्मू-कश्मीर फल पौधशाला (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1987	1987 का 22
48.	जम्मू-कश्मीर दान माल (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1963	1963 का 40
49.	जम्मू-कश्मीर गोल्फ विकास और प्रबंध प्राधिकरण अधिनियम, 2013	2013 का 8
50.	जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	2017 का 5
51.	जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र अधिनियम, संवत् 1945	संवत् 1945 का 12
52.	जम्मू-कश्मीर राज्यपाल विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2018	2018 का राज्यपाल वाला अधिनियम सं० 42
53.	जम्मू-कश्मीर आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1956	1956 का 11
54.	जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प (कालिटी नियंत्रण) अधिनियम, 1978	1978 का 4
55.	जम्मू-कश्मीर परंपरा संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, 2010	2010 का 15
56.	जम्मू-कश्मीर राजमार्ग अधिनियम, संवत् 2007	संवत् 2007 का 27
57.	जम्मू-कश्मीर होमगार्ड अधिनियम, संवत् 2006	संवत् 2006 का 3
58.	जम्मू-कश्मीर आवासन बोर्ड अधिनियम, 1976	1976 का 7
59.	जम्मू-कश्मीर औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्योहार) अवकाश अधिनियम, 1974	1974 का 13
60.	जम्मू-कश्मीर कारावास महातिरीक्षक (पदनाम में परिवर्तन) अधिनियम, 2001	2001 का 13
61.	जम्मू-कश्मीर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कश्मीर इस्लामिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005	2005 का 28
62.	जम्मू-कश्मीर कचहरी अधिनियम, संवत् 2011	संवत् 2011 का 18

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
63.	जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969	1969 का 24
64.	कश्मीर रेशम संरक्षण अधिनियम, 1964	
65.	जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1965	1965 का 16
66.	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् अधिनियम, 1997	1997 का 31
67.	लद्दाख बौद्ध संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम, संवत् 2000	संवत् 2000 का 18
68.	जम्मू-कश्मीर लम्बरदारी अधिनियम, 1972	1972 का 10
69.	जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम, 1960	1960 का 38
70.	जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1972	1972 का 24
71.	जम्मू-कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, संवत् 1996	संवत् 1996 का 12
72.	जम्मू-कश्मीर विधान सभा अध्यक्ष उपलब्धियां अधिनियम, 1956	1956 का 4
73.	जम्मू-कश्मीर विधान परिषद् सभापति (उपलब्धियां) अधिनियम, 1962	1962 का 28
74.	जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल सदस्य पेंशन अधिनियम, 1984	1984 का 2
75.	जम्मू-कश्मीर विधान-मंडल (निर्हरता निवारण) अधिनियम, 1962	1962 का 16
76.	जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1960	1960 का 37
77.	पथकर उद्घाटन अधिनियम, संवत् 1995	संवत् 1995 का 8
78.	जम्मू-कश्मीर प्रवासी स्थावर संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम् विक्रय पर अवरोध) अधिनियम, 1997	1997 का 16
79.	जम्मू-कश्मीर प्रवासी (कार्यवाहियों पर रोक) अधिनियम, 1997	1997 का 17
80.	जम्मू-कश्मीर मंत्री और राज्य मंत्री वेतन अधिनियम, 1956	1956 का 6
81.	जम्मू-कश्मीर मंत्री और पीठासीन अधिकारी चिकित्सा सुविधा अधिनियम, 1975	1975 का 22
82.	जम्मू-कश्मीर साहूकार और प्रत्यायित ऋण प्रदाता अधिनियम, 2010	2010 का 23
83.	जम्मू-कश्मीर मोटर स्ट्रिट और डीजल तेल (विक्रय कराधान) अधिनियम, संवत् 2005	संवत् 2005 का 5
84.	जम्मू-कश्मीर मोटर यान कराधान अधिनियम, 1957	1957 का 26
85.	जम्मू-कश्मीर शहृत संरक्षण अधिनियम, संवत् 2006	संवत् 2006 का 10
86.	जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000	2000 का 20
87.	जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000	2000 का 21
88.	जम्मू-कश्मीर नगरपालिका लोकपाल अधिनियम, 2010	2010 का 20
89.	जम्मू-कश्मीर नगरपालिका लोक प्रकटन अधिनियम, 2010	2010 का 24
90.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1981	1981 का 22
91.	जम्मू-कश्मीर नामधा क्वालिटी नियंत्रण अधिनियम, संवत् 2010	संवत् 2010 का 6
92.	राष्ट्रीय रक्षा निधि स्थावर संपत्ति दान (स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रीकरण से छूट) अधिनियम, 1963	1963 का 5
93.	जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक आपदा विनाशक्षेत्र सुधार अधिनियम, संवत् 2011	संवत् 2011 का 38

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
94.	जम्मू-कश्मीर गैर-जैव अवक्रमणीय सामग्री (प्रबंध) रखरखाव और निपटान अधिनियम, 2007	2007 का 12
95.	जम्मू-कश्मीर अप्रचलित विधि (निरसन) अधिनियम, 2010	2010 का 27
96.	जम्मू-कश्मीर पंचायती लोकपाल अधिनियम, 2014	2014 का 5
97.	जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989	1989 का 9
98.	जम्मू-कश्मीर पराचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2014	2014 का 7
99.	जम्मू-कश्मीर यात्री कराधान अधिनियम, 1963	1963 का 12
100.	जम्मू-कश्मीर पादप रोग और नाशकजीव अधिनियम, 1973	1973 का 14
101.	प्लाइवर्ड उद्योग (शेयर और औद्योगिक उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1987	1987 का 6
102.	पुलिस अधिनियम, संवत् 1983	संवत् 1983 का 2
103.	जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1969	1969 का 5
104.	जम्मू-कश्मीर भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1960	1960 का 40
105.	जम्मू-कश्मीर कृषि जोतों का खंडकरण निवारण अधिनियम, 1960	1960 का 25
106.	रिबन विकास निवारण अधिनियम, संवत् 2007	संवत् 2007 का 26
107.	रम रसम निवारण संवत् 1997	संवत् 1997 का 1
108.	जम्मू-कश्मीर अभिध्वंस क्रियाकलापों का निवारण और दमन अधिनियम, 1965	1965 का 22
109.	जम्मू-कश्मीर अनुचित साधन परीक्षा निवारण अधिनियम, 1987	1987 का 20
110.	जम्मू-कश्मीर निजी महाविद्यालय (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2002	2002 का 22
111.	प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 29
112.	जम्मू-कश्मीर वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम, 2005	2005 का 9
113.	जम्मू-कश्मीर भूमि संपरिवर्तन और फलोद्यान के अन्यसंक्रामण पर प्रतिषेध अधिनियम, 1975	1975 का 8
114.	जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट तांबा बर्तन (मशीन द्वारा) विनिर्माण पर प्रतिषेध अधिनियम, 2006	2006 का 8
115.	जम्मू-कश्मीर रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, 2011	2011 का 6
116.	जम्मू-कश्मीर राज्य धूम्रपान प्रतिषेध (सिनेमा और रंगशाला) अधिनियम, संवत् 2009	संवत् 2009 का 18
117.	जम्मू-कश्मीर धूम्रपान प्रतिषेध और लोक सेवा यान में गैर-धूम्रपानकर्ता का स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 1997	1997 का 20
118.	जम्मू-कश्मीर गंदी बस्ती निवासी का संपत्ति अधिकार अधिनियम, 2012	2012 का 11
119.	जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013	2013 का 11
120.	जम्मू-कश्मीर निक्षेपकर्ता (वित्तीय स्थापन में) के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2018	2018 का 13
121.	जम्मू-कश्मीर लोक पुरुष और लोक सेवक की आस्ति घोषणा और अन्य उपबंध अधिनियम, 1983	1983 का 5
122.	जम्मू-कश्मीर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1988	1988 का 17
123.	जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978	1978 का 6

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
124.	जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011	2011 का 9
125.	जम्मू-कश्मीर ठेकेदार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1956	1956 का 16
126.	जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1978	1978 का 9
127.	जम्मू-कश्मीर लेखा विनियम अधिनियम, संवत् 2001	संवत् 2001 का 14
128.	जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004	2004 का 14
129.	जम्मू-कश्मीर आवासीय और वाणिज्यिक किराएदारी अधिनियम, 2012	2012 का 5
130.	जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1976	1976 का 14
131.	जम्मू-कश्मीर पूर्व क्रय अधिकार अधिनियम, संवत् 1993	संवत् 1993 का 2
132.	जम्मू-कश्मीर सड़क सुरक्षा परिषद् अधिनियम, 2018	2018 का 5
133.	जम्मू-कश्मीर केसर अधिनियम, 2007	2007 का 5
134.	जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1960	1960 का 19
135.	राज्य विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष वेतन और भत्ता अधिनियम, 1985	1985 का 16
136.	नीलम अधिनियम, संवत् 1989	संवत् 1989 का 16
137.	जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2002	2002 का 21
138.	जम्मू-कश्मीर स्वावलंबी सहकारी अधिनियम, 1999	1999 का 10
139.	जम्मू-कश्मीर राज्य भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड अधिनियम, 1979	1979 का 9
140.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1982	1982 का 7
141.	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (डिग्री अनुदान) अधिनियम, 1983	1983 का 12
142.	जम्मू-कश्मीर श्री अमरनाथ जी पूजा स्थल अधिनियम, 2000	2000 का 18
143.	जम्मू-कश्मीर श्री माता सुखराला देवी जी और श्री माता बाला सुन्दरी पूजा स्थल अधिनियम, 2013	2013 का 3
144.	जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1988	1988 का 16
145.	जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999	1999 का 12
146.	जम्मू-कश्मीर श्री शिव खोड़ी पूजा स्थल अधिनियम, 2008	2008 का 4
147.	जम्मू-कश्मीर सिख गुरुद्वारा और धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1973	1973 का 15
148.	जम्मू-कश्मीर रेशम (विकास और संरक्षण) अधिनियम, 1988	1988 का 28
149.	जम्मू-कश्मीर विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 2000	2000 का 6
150.	जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम, 1988	1988 का 19
151.	स्टांप अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 40
152.	जम्मू-कश्मीर किराएदारी अधिनियम, संवत् 1980	संवत् 1980 का 2
153.	जम्मू-कश्मीर किराएदारी (बेदखली कार्यवाही पर रोक) अधिनियम, 1966	1966 का 33
154.	जम्मू-कश्मीर राज्य नगर योजना अधिनियम, 1963	1963 का 20
155.	जम्मू-कश्मीर निखात निधि अधिनियम, संवत् 1954	

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
156.	जम्मू-कश्मीर भूमिगत लोक उपयोगिता (भूमि उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2014	2014 का 4
157.	शहरी स्थावर संपत्ति कर (निरसन और व्यावृत्ति) अधिनियम, 2002	2002 का 28
158.	लद्दाख विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018	2018 का राज्यपाल अधि० सं० 56
159.	जम्मू-कश्मीर शहरी संपत्ति (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1971	1971 का 12
160.	अति ब्याज ऋण अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 47
161.	जम्मू-कश्मीर भूमि उपयोगिता अधिनियम, संवत् 2010	संवत् 2010 का 9
162.	जम्मू-कश्मीर टीकाकरण अधिनियम, 1967	1967 का 21
163.	जम्मू-कश्मीर सब्जी बीज अधिनियम, संवत् 2009	संवत् 2009 का 12
164.	जम्मू-कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम, 2011	2011 का 1
165.	जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंध) अधिनियम, 2010	2010 का 21
166.	जम्मू-कश्मीर बल्ला (निर्यात और संचलन प्रतिषेध) अधिनियम, 2000	2000 का 16